राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ६५वां दिवस [संख्या ३७

मंगलवार, १५ अप्रेल, १६५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १३६६

श्री रामेश्वरलाल दयाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री पी.के. चौधरी : It is an important question. It must be answered.

श्री अध्यक्ष: We will come back to it.

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

भूमि बन्दोबस्त व बिगौड़ी की दरें

१३६६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा), क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) राजस्थान में सैटिलमेंट कहां २ हो चुका है और कहां कहां बाकी है ?

(ख) पांचों डिवीज़नों में बिगौड़ी, एक दरों पर है कि भिन्न २ ?

(ग) यह दरें किन किन आधारों पर कायम की जाती हैं ?

(घ) डिस्ट्रिक्ट टौंक में तहसीलवाइज़ बिगौड़ी की दरें समान हैं या भिन्न २ हैं ?

(ङ) यदि भिन्न भिन्न हैं तो क्यों ?

(च) मालपुरा, टोडा, दूनी और उणियारा की बिगौड़ी दरों में क्या क्या अन्तर है ?

Page No.2

उप राजस्व मन्त्री : (श्री सम्पतराम) : (क) साबिक रियासत जैसलमेर, : अतिरिक्त १७ गांव जो पोकरण तहसील में गये हैं के, सब ग्राम गैर बन्दोबस्तशुदा हैं। इन में समेरी सेटिलमेंट की कार्यवाही ज़ारी है। ज़िला अलवर के ७७ ग्राम, ज़िला सवाई माधोपुर के ११६ ग्राम, ज़िला कोटा के ६१ ग्राम एवं जयपुर के २६२ ग्रामों में बन्दोबस्त बाकी है जो जेर कार है।

(ख) पांचों डिविज़नों में त्रिगोड़ी की दरें भिन्न भिन्न हैं।

(ग) पहले तो बन्दोबस्त पुरानी रियासतों के कानूनों पर आधारित था पर जब से राजस्थान लैंन्ड रेवेन्यु एक्ट अमल में आया है तब से इस विधान के अनुसार दरें निश्चित की जाती हैं।

(घ) ज़िला टोंक में तहसीलवार त्रिगोड़ियां भिन्न भिन्न हैं।

(ङ) ये भिन्नता भूमि की उपजाऊपन, पैदावार, यातायात की सुविधाएं और लगान कायम करने के विभन्न आंकड़ों पर आधारित होती हैं, राजबट भी बदलता रहा है।

(च) तहसील मालपुरा, टोड़ा रायसिंह, दूनी और टि. उनियारा की दरों का नक्शा माननीय सदस्य को दे दिया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकलय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि मालपुरा दूनी की दरों की लिस्ट दे दी गई है, यह तो ठीक है पर टोड़ा और दूनी की दरों में भिन्नता क्यों है?

श्री सम्पतराम : अगर माननीय सदस्य ने सैटिलमेंट के कायदे कानून को देखा होता तो इस सवाल का क्लेरिफ़िकेशन हो जाता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कायदे कानून भी देखे हैं और सैटिलमेंट की रिपोर्ट छपती है उसे भी देखा है, उसके आधार पर जो तहसीलें मुलका होती हैं उनकी रेट एक सी होती है, दूनी और टोडा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की ज़मीन, पैदावार एक सी है फिर यह दरों में भिन्नता क्यों रखी गई है?

श्री सम्पतराम : यह आप सैटिलमेंट का सवाल पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न से भिन्न है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो यही निवेदन करता हूं कि एक ही ज़मीन है, दोनों जगह की ज़मीन का क्लासिफिकेशन एक सा हुआ, वहां की ज़मीन में किसी तरह की भिन्नता नहीं है, दूनी और टोडा के गांव हैं, उनकी एक सी ही उपज होती है, फिर यह रेट में भिन्नता क्यों रखी गई है?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : टोडा रायसिंह और दूनी की एक सी ज़मीन नहीं है, और जो रेट्स रखी गई है वे ठीक हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आवां का और दूणी का सेटलमेंट हुआ है उस वक्त सेटलमेंट की रिपोर्ट में टोडा की रेट को

Page No.3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

क्वोट किया है क्योंकि दोनों की ज़मीन मुलक हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Information has been given. Now he is giving his own suggestions.

श्री अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमलाल ।

मदनगंज (किशनगढ़) की राजकीय हिन्दी मिडिल स्कूल,

१३६७. **श्री पुरुषोत्तमलाल** (किशनगढ़) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मदनगंज (किशनगढ़) में स्थित राजकीय हिन्दी मिडिल स्कूल में लड़कों की संख्या इस वक्त कितनी है और जिस इमारत में यह स्कूल चल रही है क्या वह पर्याप्त है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्या सरकार इसमें अधबनी दुकानों को, कमरों का रूप देकर इस कमी को पूरा करने का इरादा रखती है ?

(ग) क्या मौजूदा इमारत पर, जो तीस हज़ार रुपये की लागत की है तथा जिसे जनता ने सन १९५३ ई० में ही शिक्षा विभाग को समर्पित कर दी थी अब तक कितने रुपये खर्चे किये गये और क्या कभी इसकी मरम्मत या सफेदी वगैरह भी कराई गई है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) राजकीय हिन्दी मिडिल स्कूल मदनगंज (किशनगढ़) में छात्रों की संख्या ३१५ है। जी नहीं, छात्रों की संख्या को देखते हुए स्कूल की इमारत पर्याप्त नहीं है ।

(ख) इन अधबनी दुकानों को पूरा करने के लिए २५०) रु० की स्वीकृति देदी गई है और पूरा करने का कार्य चालू है । आशा है, नये सत्र के चालू होने से पूर्व ही कार्य पूरा हो जावेगा और स्कूल के लिए कमरों की कमी नहीं रहेगी।

(ग) जब से उक्त स्कूल की इमारत सरकार के अधीन आई है, इस स्कूल की इमारत पर ३५०) रु० मरम्मत आदि पर खर्च किये जा चुके हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : इन अधबनी दुकानों को अभी तक इसी तरह बने रहने देने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दुकानें सरकार ने नहीं बनाई थीं, जनता द्वारा अर्धबनी ही दी गई थीं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या गेम फंड में से रुपया दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सरकार द्वारा दिया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या रकम भी दी गई है अधबनी दुकानों को पूरा करने के लिये ?

(अश्रव्य)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वे सब अन्दर ही पढ़ते हैं या बाहर पढ़ते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हो सकता है बाहर भी पढ़ते हों मैं पूरा नहीं कर सकता।

प्रश्न संख्या १३६८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित !

सेल्स टैक्स अधिकारी जयपुर,

१३६६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे।

(क) जून १९५७ से दिसम्बर ५७ तक जयपुर जिले के सेल टैक्स अधिकारी के पास कर मुक्त लाइसेंस की कितनी दर्ख्वास्तें पेश हुई ?

(ख) ग्रामोद्योग विकास समिति बस्सी की ओर ऐसी दर्ख्वास्तें कब २ पेश हुई ?

(ग) उन दर्ख्वास्तों पर क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) इस समिति को लाइसेंस न दिये जाने के कारण कितनी हानि हुई ?

उपवित्त मन्त्री : (श्री सम्पत राम)

(क) ३८।

(ख) केवल एक प्रार्थनापत्र दिनांक १०-७-५७ को पेश किया गया था।

(ग) प्रर्थानापत्र पर की गई कार्यवाही के विवरण की तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(घ) इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : ३८ दर्ख्वास्तें सरकार के पास पेश हुई, उनमें से कितनों को कर-मुक्त लाइसेंस दिया गया ?

श्री सम्पतराम : यह मेरे पास फेक्ट्स नहीं हैं। चाहें तो जो लम्बी लिस्ट है उसको पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : लम्बी लिस्ट काहे की है, क्या जिनको एग्जेम्प्शन मिला है, उनकी ?

श्री सम्पतराम : All the 38 application were considered and what happened to a particular application, that is not known to me.

रावराजा श्री सरदारसिंह : किन किन को एग्ज़ामिनेशन एग्जेम्प्शन मिला है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्त कौर।

विकास खण्ड, कानरपुर

१३७०. **श्रीमती सतवन्त कौर** (करनपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) जन-सहयोग के नाते 'करनपुर'

Page No.5

(श्रीमती सतवन्तकौर)

विकास खंड में विकास अधिकारी द्वारा कितना धन जनता से इकट्ठा किया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी इकट्ठी की गई रकम का, कोई रिकार्ड में इन्दराज नहीं है ?

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

उपयोजना मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) नकदी में १२,७३२-०-६ ।

(ख) जी नहीं। केवल एक १४४=१२० की रकम हिसाब में दर्ज नहीं पाई गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । श्री बी. आर. आचार्य, खचान्ची की मृत्यु हो चुकी है । उपरोक्त रकम की जांच व वसूल की कार्यवाही हो रही है ।

डॉ० **चन्द्रकला** : क्या विकास अधिकारी जनता से इस तरह की रकम इकट्ठी करने के अधिकारी हैं ?

श्री **सम्पतराम** : हां, अधिकारी हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वे इस तरह इकट्ठी की हुई रकम को समय पर इन्दराज नहीं करने के अधिकारी हैं ?

श्री सम्पतराम : नहीं, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है ।

डॉ० बहादुरसिंह : इस तरह के इन्द्राज नहीं करके गलती की या अधिकारों का उपयोग किया ?

श्री **सम्पतराम** : खजान्जी की मृत्यु हो गई इसलिये यह एन्ट्री रह गई ।

श्री **श्रीभानसिंह** : किस रूल के अन्तर्गत गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स इस तरह के कान्ट्रीब्यूशन्स करते हैं ?

श्री **सम्पतराम** : ऐसे कार्यों के लिये पब्लिक से कॉन्ट्रीब्यूशन इक्ट्ठा कर सकते हैं ।

श्री **श्रीभानसिंह** : Was it contributed or collected by the officer ?

श्री **सम्पतराम** : It was a contribution made by the people.

श्री पी. के. चौधरी : आपने कहा कि इस तरह से इक्ट्ठी की हुई रकम का इन्द्राज नहीं करने का उनको अधिकार था, तो क्या यह बतायेंगे कि कौन से कानून के माफिक उनको यह अधिकार था ?

श्री **सम्पतराम** : यह मैंने कतई नहीं कहा कि रेकॉर्ड नहीं करने का उसका अधिकार था, मिस्टेक से या न मालूम किन कारणों से ऐसा हो गया ।

श्री **श्रीभानसिंह** : यह कॉन्ट्रीब्युशन किस विशेष काम के लिये लिया गया ? Was this contribution for specific work or general .

श्री **सम्पतराम** : This information is not with me. I think it was not for general work.

Page No.6

श्री मुरलीधर व्यास : जो इस प्रकार चन्दा इक्ट्ठा किया जाता है उसकी कोई रसीद दी जाती है कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : हां, जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है उसकी रसीदें तो दी ही जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : किस प्रकार दी जाती हैं ?

श्री सम्पत राम : रसीदों का क्या, फॉर्म है, कितने उसमें खाने हैं, यह तो बताना मुश्किल है।

श्री श्रीभानसिंह : जब कोई काम करना हो तभी तो पब्लिक से इस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन इक्ट्ठा किया जाता है ?

श्री सम्पत राम : सामुदायिक योजना में विविध कार्यवाहियां चलती हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन करना जरूरी हो जाता है तो इस मुल्क की तरक्की के लिये विभिन्न प्रकार के कामों के लिये धन इक्ट्ठा किया जाता है जो वाजिब है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या श्रम दान भी कॉन्ट्रीब्यूशन समझा जाता है ?

श्री सम्पत राम : निश्चित तौर से।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि स्पेसिफिक वर्क के लिये ही चन्दा इकट्ठा किया जा सकता है, जनरली कलेक्ट नहीं किया जा सकता ?

श्री सम्पत राम : स्पेसिफिक वर्क के लिये भी और दो चार पांच गांवों के लिये भी हो सकता है।

श्री धन्नालाल हरित : क्या श्रमदान और सम्पत्तिदान में अन्तर नहीं समझा जाता ?

श्री सम्पत राम : रुपयों में जो दिया जाता है वह सम्पत्तिदान है और जो श्रम के रूप में दिया जाता है वह श्रमदान है।

ऑफिस कानूनगो व असिस्टेंट सदर कानुनगो।

१३७१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सत्य है कि ऑफिस कानूनगो व असिस्टेन्ट सदर कानूनगो को इन्सपेक्टर लैन्ड रेकार्ड्स की केटेगरी में माना गया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इन्सपेक्टर को ३० रु० माहवार कन्वियेन्स अलॉउन्स व ऑफिस कानूनगो को २५ रु० माहवार ऑफिस अलॉउन्स दिया जाता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि असिस्टेन्ट सदर कानूनगो जबकि इन्स्पेक्टर लैन्ड रेकॉर्ड्स व ऑफिस कानूनगो की केटेगरी में आते हैं और उनके पास ऑफिस कानूनगो से कार्य कम नहीं ऐसी हालत में उन्हें कोई अलॉउन्स नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां।

Page No.7

(श्री सम्पतराम)

(२) जी हां।

(३) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचंद : कब से विचाराधीन हैं ?

श्री सम्पत राम : यहां मेरे पास निश्चित तारिख तो नहीं, लेकिन इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इनको इस प्रकार का अलॉउन्स दिया जाय या नहीं।

श्री लक्ष्मीचंद : कब तक विचार हो जायगा ?

श्री सम्पत राम : जल्दी ही फैसला हो जायगा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्चा की गई धन राशि

१३७२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : क्या वित्त मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

सन् ५७ से ५८ तक समाज कल्याण विभाग द्वारा कहां-कहां व किस-किस ज़िले में कितना कितना रुपया खर्च किया जा चुका है, कृपया विवरण बतायें।

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई वित्त मन्त्री की ओर से) :

समाज कल्याण विभाग द्वारा ज़िलेवार खर्च नहीं किया जाता और न ही खर्च के आंकड़ों का हिसाब ज़िलेवार रक्खा जाता है, अतः सन् ५७ से ५८ तक के खर्च के ज़िले वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेन्ट इस बात को कन्सीडर कर रही है क्या कि अगले साल से ज़िलेवार खर्च के आंकड़े रखे जांय ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त इस बारे में डेफ़ीनेट नहीं कहा जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : ज़िलेवार हिसाब नहीं रखा जाता, ऐसा क्यों ?

श्री भीखाभाई : हमारे पास में सिंचाई विभाग है, प्लॉनिंग विभाग है, इसी तरह से समाज कल्याण विभाग भी है उनके आंकड़े ज़िलेवार मेन्टेन नहीं किये जा सकते क्योंकि कहीं शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या ज्यादा है तो कहीं शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इसलिये नहीं कि ज़िलेवार आंकड़ों को रखा जाय डिवीज़न वाइज़ अलॉटमेन्ट है। और उसी के अनुसार खर्च का हिसाब रखा जाता है ।

श्री श्री भानसिंह : क्या गवर्नमेन्ट ने इस कार्य को पॉपूलेशन के आधार पर स्टेट को सेक्टर वाइज़ डिवाइड नहीं किया है क्या ?

श्री भीखाभाई : ऐसा नहीं है इसका डिवीज़न वाइज़ अलॉटमेन्ट है और उसी के अनुसार खर्च किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या डिवीज़न वाइज़ आंकड़े इस समय बता सकते हैं ?

Page No.8

श्री भीखाभाई - अलॉटमेंट के सन् ५७-५८ के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। जिन डिवीज़नों में अलॉटमेन्ट होता है उसमें सबसिडी जो वेल्स के लिये दी जाती है वह तहसीलदार द्वारा दी जाती है ब्लॉक्स के लिये जो रुपया खर्च होता है वह ब्लॉक्स के ज़रिये खर्च किया जाता है। कई जगह कलेक्टरों द्वारा भी होता है, पी० डब्ल्यू० डी वर्क्स द्वारा भी होता है। इसके डिटेल्स मेरे पास न होने के कारण डिवीज़न वाइज़ आंकड़े बता नहीं सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : डिटेल्स नहीं तो आंकड़े तो रखे जाते होंगे क्या वे बता सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास - क्या ज़िलेवार आंकड़ों को रखना उपयुक्त नहीं समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है कि ज़िलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ?

(विराम)

नेक्सटा प्रश्न संख्या १३७३

मंडियों का निर्माण-कोटा

१३७३. श्रीमती आनन्दी जेलिया : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान सरकार कोटा डिवीज़न में चल रही सिंचाई योजना के कार्य क्षेत्र को देखते हुए इलाके में नई मंडियों के निर्माण करने व पुरानी मंडियों में आधुनिक सुधार करने के सम्बन्ध में विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो किन किन स्थानों के सम्बन्ध में उक्त योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(३) इन मंडियों के निर्माण कार्य का निश्चय सरकार द्वारा कब तक हो सकेगा, व इस कार्य को कार्यान्वित करने से सरकार द्वारा जनता को क्या सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है अतः राजस्व मन्त्री अगली टर्न पर इसका जवाब देंगे।

एस. डी. एम. व तहसीलदार, कोटपूतली के न्यायालयों की द्वारा ज़मीन के निर्णीत मामले

१३७४. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटपूतली एस० डी० एम० के कोर्ट में ५६-५७ में ज़मीन के कितने नये केस आये हैं तथा उनमें से कितनों में राजी नामें व फैसले किये गये ?

(ख) अब किस कोर्ट में कितने चालू हैं ?

(ग) किस-किस कोर्ट में कितने कितने पुराने केसेज़ हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

Page No.9

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) एस० डी० एम० के कोर्ट में ३० केसेज़ दायर हुए उनमें से ३ में राज़ीनामें तथा ८ में फैसले हुए।

(ख) तहसीलदार के कोर्ट में कोई केस दायर नहीं हुआ। एस० डी० एम० की कोर्ट में १९ मुकदमें चालू हैं।

(ग) अदालत सब डीवीज़नल ऑफिसर एवं मजिस्ट्रेट कोटपूतलों में सन् १९५६-५७ के ८ सन् १९५७-५८ के ११ जेरकार हैं।

सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, परसों भी आपने डाइरेक्शन्स दिये थे, लेकिन फिर भी सूची नहीं दी जाती।

श्री अध्यक्ष : आज कुछ सूचियें तो आई हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय को मौका दिया जाय कि उन्होंने सूची रखी है या नहीं।

श्री सम्पतराम : रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा जरूर आजाया करेंगी।

राष्ट्रीय विकास खण्ड

१३७५. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) विभिन्न ज़िलों में अब तक सामुदायिक विकास खंड या राष्ट्रीय विकास खण्ड खोल दिये गये हैं ?

(२) क्या जिस अनुपात से राष्ट्रीय विकास खण्ड खोले जा रहे हैं उसके अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सारे राजस्थान में राष्ट्रीय विकास खण्ड खुल जावेंगे।

उप विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम, मुख्य मन्त्री की ओर से) :

(१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। अब १९६३ तक सारे राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : हर एक ज़िले की कितनी प्रतिशत जनता को इसमें कंवर कर लिया गया है ?

श्री सम्पतराम : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सोहनलाल भटनागर : इस वर्ष कितने विकास खन्ड खोले जा रहे हैं।

श्री सम्पतराम : आठ खोले जा रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : अब तक कुल १०२ विकास खंड खुले हैं और कम से

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कम सारे राजस्थान में २०० विकास खंड खोलने हैं, तो क्या ये सारे १६६३ तक खुल जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १६६३ तक पूरे कर दिये जांय, इस प्रकार की योजना है। इस वर्ष आठ शुरू किये जायेंगे, उसके बाद कुछ और जनवरी और जुलाई के अन्दर शुरू किये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : ये कहां कहां खोले जायेंगे, इस बारे में सरकार ने कोई आंकड़े तय किये हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन्तिम रूप से अभी निर्णय नहीं किया गया है।

राजाराव श्री सरदारसिंह : जब आप निर्णय करें तो हमारा भी ध्यान रक्खें।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस वर्ष में केवल आठ ही खोल पायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम इस प्रयत्न में हैं और भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं और हमें आशा है कि कुल वर्ष भर में २० ही खोल पायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : वह जो अवधि थी, वह ५७ तक पहले थी अब क्या ६३ तक बढ़ादी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका कारण बलवन्तराय कमेटी की सिफ़ारिश थी।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो विकास खंड खोले जायेंगे, उस बारे में साधारणत: नीति क्या रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर पर जहां कम पर्सेन्टेज कवर हुआ है, उसको प्राथमिकता देने का इरादा है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फर्माया यह १६६३ तक हो जायगा, इसकी वजह क्या है जब कि पहले १६५७ तक होने का था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बलवन्त-राय कमेटी की सिफारिश के आधार पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने यह तय किया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या बलवन्त-राय कमेटी की सभी सिफारिशों को मान लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने मान ली है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या बलवन्तराय कमेटी की सारी सिफारिशों को राजस्थान सरकार ने मान लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्लानिंग कमीशन से रुपया चाहिये, वे ही इसकी स्वीकृति देते हैं उन्होंने इस पॉलिसी को मान लिया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई डिसीज़न अभी तक नहीं लिया गया है।

Page No.11

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितना मैंने कहा उतना निर्णय कर लिया गया है।

प्रश्न संख्या १३७६

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

सेल्स टैक्स डीलर्स की नियुक्ति

१३७७. श्री लक्ष्मीचन्द, (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) जिला जालोर में सेल्स टैक्स देने वाले डीलर्स कितने हैं ?

(ख) क्या सरकार वहां की जनता की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए सेल्स टैक्स ऑफिसर का हैड क्वार्टर जालोर में रखने को तैयार है ?

उप-वित्त मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) ७३४।

(२) जी नहीं। इस समय सिरोही व जालोर जिलों के लिये एक ही असिस्टेन्ट कमिश्नर, आबकारी व कर विभाग है। जिसका हैडक्वार्टर काम की एक मात्रा को ध्यान में रखते हुए सिरोही में रखना ही उचित है। जालोर के केसेज़ का फैसला आम तौर पर जालोर में ही किया जाता है और सिरोही का सिरोही में। अत: जनता की तकलीफ का प्रश्न पैदा नहीं होता।

ब्लेक स्मिथ सेन्टर, किशनगढ़

१३७८. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु०) : क्या मन्त्री उद्योग विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे –

(१) किशनगढ़ में ब्लेक स्मिथ सेन्टर कब से चालू किया गया ?

(२) उक्त सेन्टर में कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(३) उक्त सेन्टर के छात्रों को प्रतिमास क्या वजीफा दिया जा रहा है तथा उन्हें कब से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है ?

(४) क्या यह सही है कि छात्रों ने छात्र-वृत्ति नहीं मिलने की वजह से स्ट्राइक कर रखी है ?

(५) यदि हां, तो क्या छात्रों ने इस सम्बन्ध में सुपरवाइज़र को नोटिस भी दिया था ?

(६) यदि नोटिस दिया गया तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप-उद्योग मन्त्री, (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) ब्लैक स्मिथ सेन्टर किशनगढ़ में माह नवम्बर १९५७ से चालू किया गया था।

(२) ६ छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(३) ३० रुपया प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है।

(४) फरवरी ५८ से छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(५) नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या उन्होंने स्ट्राइक भी की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्ट्राइक तो नहीं कह सकते, काम जरूर कुछ दिनों के लिये बन्द कर दिया था। वह भी इसलिये कि उनको जो सर्टिफिकेट देना चाहिये था वह नहीं दिया गया था। बाद में उनको समझा दिया गया और उन्होंने काम भी चालू कर दिया है।

श्री रामनारायण वर्मा : उस सेन्टर में इन्स्ट्रक्टर्स कितने हैं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह अलग से सवाल है।

श्री मूलचंद डागा : ये सेन्टर किस आधार पर खोले जाते हैं।

श्री रिखबचंद धारीवाल : वहां की सिच्युएशन और वहां कितने आदमी प्रशिक्षण के लिये आ सकते हैं। जिसका ऐसे काम करने के अन्दर झुकाव हो, इन सब बातों को ध्यान में रख कर सेन्टर खोले जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : किस प्रकार से देखा जाता है कि यहां के आदमियों का इस झुकाव इस कार्य के प्रति है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : जांच की जाती है, जांच करने के बाद में तय किया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सब स्थानों की जांच की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां-जहां सेन्टर खोले गये, वहां-वहां जांच की गई।

बलाइयों की बकाया रकम

१३७६ **डॉ० बहादुरसिंह** : (श्रीपुरुषोत्तमलाल शर्मा की अनुपस्थिति में) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या किशनगढ़ सब डिविज़न में बलाइयों से गांव का सरकारी काम लेने के एवज़ जो बीस रुपया दिया जाता था, वह करीब १२ मास से नहीं दिया जाता है ?

(ख) अगर हां, तो क्यों और अब वह रकम उन्हें कब तक दे दी जायेगी ?

उप राजस्व मन्त्री : (श्री सम्पतराम) (क) जी हां। सन् १९५७-५८ का मुआवज़ा अभी तक नहीं दिया गया है।

(ख) पिछली साल बजट में प्रकाशित नहीं था। अब यह रकम यथा सम्भव शीघ्र ही देने की व्यवस्था की जावेगी।

डॉ बहादुरसिंह : यह कब तक दे दी जावेगी ?

(विराम)

२०) माहवार दिये जाते थे तो उसके पेमेन्ट के कब तक आदेश दे रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : कमिश्नर, अजमेर इसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका पेमेन्ट कर दिया जावेगा।

डॉ बहादुरसिंह : क्या बन्द कर दिया गया ?

श्री सम्पतराम : गलती से बजट में प्रोविजन नहीं किया गया था, इसलिए पेमेन्ट नहीं हो पाया।

डॉ बहादुर सिंह : क्या अभी उनसे काम ले रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : लेते होंगे।

डॉ बहादुर सिंह : क्या यह बेगार लेना नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मंत्री) पेमेन्ट जब कर रहे हैं तो बेगार का प्रश्न कहां आता है ?

श्री चन्दनमल वैद : बजट में प्रोविज़न नहीं था, तो अजमेर कमिश्नर फिर किस बात की जांच कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कहा गया कि पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं। गलती से बजट में प्रोविजन नहीं हो पाया। दुबारा इसको कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री चन्दनमल वैद : मंत्री महोदय ने बताया कि कमिश्नर अजमेर एक्ज़ामिन कर रहे हैं तो क्या एक्ज़ामिन कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितना वाजिब है और कितनी गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन लेनी चाहिये इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : एक तरफ तो आप फर्माते हैं कि बजट में प्रोविज़न नहीं था इसलिए पेमेन्ट नहीं हो सका और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अजमेर कमिश्नर जांच कर रहे हैं कि कितना बाकी है और कितना नहीं है। ये दोनों बातें परस्पर मेल नहीं खातीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि गलती से बजट में प्रोविज़न नहीं था इस-लिए अब गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन लेने के लिए कमिश्नर इस बात की जांच कर रहे हैं कि कितना बाकी था और कितनी रकम की सेन्क्शन लेनी चाहिए। इसमें बेगार लेने आदि का कोई प्रश्न नहीं है। बात बिल्कुल साफ़ है।

श्री चन्दनमल वैद : यह जांच कितने साल में समाप्त हो जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी हो जावेगी।

श्री **अध्यक्ष** : डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर को ज़िला केन्द्र बनाया जाना

१३८० **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) धौलपुर उप जिला तथा जैसलमेर, बूंदी, सिरोही, चूरू जिलों की जन संख्या क्या है ?

(२) उपरोक्त उप-जिला तथा जिलों से

Page No.14

(डॉ० बहादुरसिंह)

पृथक २ कितना राजस्व सरकार को मिलता है ?

(३) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर में नवीन ज़िला कार्यालय निर्माण किये जा रहे हैं और बहुत से कार्यालय अन्य स्थानों पर हैं ?

(४) क्या सरकार धौलपुर को ज़िला केन्द्र बनाना उपयुक्त समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री (श्री सम्पतराममुख्य मंत्री की ओर से) :

(१) धौलपुर	—	३,१४,१६२
जैसलमेर	—	१,२०,०००
बूंदी	—	२,८०,५१८
सिरोही	—	२,८६,७६१
चूरू	—	५,२३,२७६
(२) धौलपुर	—	१०,२६,५६२)
जैसलमेर	—	६२,०००)
बूंदी	—	१२,२८,०४५)
सिरोही	—	३,३१,८२१)
चूरू	—	१३,०३,६१२.५८

(३) जी हां। केवल डिस्ट्रिक्ट वेटेनरी ऑफिसर को कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। निम्न लिखित दफ्तर अन्य स्थानों पर हैं:

डी. एम. एच. एस, इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, एसिस्टेन्ट कमिश्नर एक्साइज़ एन्ड टेक्सेशन, एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर बी. एन्ड आर. एसिस्टेन्ट इन्जीनियर माइनिंग।

(४) ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डॉ० बहादुर सिंह : बकाया प्रश्न और रह गया है। "क्यों नहीं ?"

(विराम)

क्या आप इस पर विचार करना नहीं चाहते हैं ?

श्री सम्पतराम : सरकार अलग से विचार नहीं करना चाहती क्योंकि एक कमेटी का निर्माण किया जा चुका है। जब कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट करेगी तो सरकार उस पर निर्णय करेगी।

डॉ० बहादुर सिंह : इस कमेटी को, यह भी देने के लिए तैयार हैं ?

श्री सम्पतराम : कमेटी सुओ मोटो भी ले सकती है।

डॉ० बहादुर सिंह : विशेष तौर पर देने के लिए तैयार हैं क्या ? सरकार यह जानती है कि वहां की आबादी भी अधिक है, भूतपूर्व राज्य भी था। तो क्या सरकार इसको कमेटी को रेफर करने के लिए तैयार है ?

श्री सम्पतराम : राजस्थान में इस प्रकार की बातें होने के कारण ही कमेटी का निर्माण किया था। ताकि वह सब इसको देखे कि कहां २ तहसीलों में गड़बड़ी है। कमेटी इसीलिए बनाई गई है।

Page No.15

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कमेटी कब बनाई गई ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है।

(विराम)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम जीताहाला (बस्सी) के हरिजनों द्वारा मकान व फैक्ट्री बनाने हेतु भूमि की अवाप्ति के लिए लिये गये आवेदन-पत्र

१३८१. श्री प्रभुलाल पुरोहित, (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर ज़िला स्थित बस्सी तहसील के ग्राम जीताहाला के हरिजनों की मकान तथा फैक्ट्री बनाने सम्बन्धी दरख्वास्त कितने समय पहले पेश हुई थी ?

(ख) उक्त दरख्वास्त के सिलसिले में ज़मीन का मौका देखने एस. डी. ओ० जयपुर तथा उप-मंत्री, राजस्व विभाग किस तारीख को जीताहाला गये थे ?

(ग) उसके बाद, अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

उप-राजस्व मन्त्री, (श्री सम्पतराम) : (क) दिसम्बर सन् १९५४ में।

(ख) तारीख २४.७.५५ को।

(ग) भूमि एक्वायर करके कब्जा कर लिया गया था, मगर काबिजान ज़मीन ने हाईकोर्ट में रिट पेश की जो मंजूर होकर कब्जा ज़मीन के मालिकों को वापिस दिया गया। इस भूमि को पुनः अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बेनाराम गहलोत : वहां किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई जा रही है ?

श्री सम्पतराम : वहां पर कुछ लोग हैं जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं और उनके डवेलपमेन्ट की दृष्टि से यह किया जा रहा है।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : जी हां। सारी कार्यवाही पूरी हो गई थी। हाईकोर्ट ने अदरवाइज़ फैसला दिया, इसलिए कब्ज़ा लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या फैक्ट्री के रूप में चलाया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) जी नहीं, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

आदिवासियों को कुंओं के लिये दी गयी रकम

१३८२. श्री लक्ष्मणहीरात, (गोगूंदा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिविज़न के आदिवासियों

(श्री लक्ष्मण हीरात)

को सन् ५७ में सिंचाई के कुओं पर कितनी कितनी रकम व किस किस तहसील को दी गई ? कृपया तहसीलवार आंकड़ा मय नाम के बतायें ?

(ख) क्या यह सही है कि कई तहसीलों में कुऐ पूरी रकम ५००) नहीं मिलने से अधूरे पड़े है ? क्या सरकार सन् ५८ में शेष रकम जो बकाया है उसे देने का इरादा नहीं रखती है ?

श्री भीखाभाई (उप समाज कल्याण मंत्री) : (क) उदयपुर डिविज़न के आदिवासियों को सिंचाई के कुओं के लिये सन् ५७ में दी गई रकम की तहसीलवार सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री लक्ष्मण हीरात : कम रकम दी गई उसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : उसका कारण यह है कि यह पांच किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त ८ हाथ कुआं खोदने पर दी जाती है, दूसरी १५ हाथ खोदने पर और बाकी की किश्तें काम पूरा करने पर दी जाती हैं और ये तहसील के तहसीलदार और पटवारी के सर्टिफ़ाई करने पर नहीं।

श्री लक्ष्मण हीरात : पांच सौ रुपया देने का तरीका है वह अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तरीका क्या बनाने का सरकार का इरादा है ?

श्री भीखाभाई : यह दलील का प्रश्न है।

श्री लक्ष्मण हीरात : कई ज़िलों में कम मिला है जब कि तहसीदार को उसको बांट देना चाहिये था।

श्री भीखाभाई : जैसे जैसे कुओं के खोदने में प्रगति होगी तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट होगी। इसलिये यह नियमानुसार दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा के लिए क्यों नहीं ?

श्री भीखाभाई : वह प्रश्न अलग है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या नये कुओं के लिए सरकार की नीति है ?

श्री भीखाभाई : जी हां है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर में बड़े व छोटे उद्योग धन्धे खोलने सम्बन्धी योजना।

१३८३. **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उधर देंने की कृपा करेंगे :

बाड़मेर ज़िले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन २ से बड़े व छोटे उद्योग धन्धे सरकार की ओर से खोलने की योजना है ?

Page No.17

श्री रिखबचंद धारीवाल (उप उद्योग मंत्री) । बाड़मेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से किसी बड़े अथवा छोटे धन्धे खोलने की योजना नहीं है, परन्तु वहां एक रंगाई व छपाई व उत्पादन केन्द्र स्थापित है । इसके अतिरिक्त सिवाना सामुदायिक विकास खण्ड में हाथ-कर्घा, बुनाई, चमड़ा कमाई व दरी निवार बनाने का प्रतिक्षण केन्द्र के चालू करने की योजना है ।

श्री तनसिंह : वहां पर क्या कोई बड़ी योजना या छोटी योजना के न होने का क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : छोटे कारखाने सरकार के द्वारा खोलने का प्रश्न नहीं उठता है जब तक कि कोई आदमी आगे न आजाय । उनको सरकार हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है । बड़े कारखानों के लिए वहां कि सर्कम्स्टांसेज को देखते हुए बड़ा मुश्किल है ।

श्री तनसिंह : वहां पर कच्चा माल है, जिप्सम इत्यादि उसके लिए सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हर बात के लिए सरकार समानुभूति पूर्ण विचार करती है और योजना आयगी तो सरकार मदद करेगी ।

श्री तनसिंह : योजना कहां से आवेगी ? क्या आकाश से बन कर आयेगी या आपके डिपार्टमेन्ट से जायेगी ।

श्री रिखबचंद धारीवाल : आकाश से तो हमारा सम्बन्ध नहीं है । योजना बनाने का सवाल है, बहुत सी बनी हुई हैं और यदि कोई जिप्सम वगैरा के लिए आगे आवेंगे तो उनको सरकार मदद करेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिप्सम ज़मीन से निकालता है, उससे सम्बन्ध है या नहीं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : सम्बन्ध है । यह शिड्युल कोड में है इसलिए इसकी भारत सरकार से इजाजत लेनी होती है और उसकी इजाज़त बगैर किसी को नहीं दिया जाता ।

श्री तनसिंह : क्या जिप्सम के लिए भारत सरकार को लिखा गया है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यदि कोई आदमी दर्ख्वास्त करता है तो रिकमन्ड करके उसको भारत सरकार के पास भेज दिया जाता है ।

श्री तनसिंह : यदि कोई आदमी डवेलपमेंट के सिलसिले में मदद देने के लिए तैयार नहीं हो तो उस गांव के लिये तो इसका मतलब यह होगा कि उस स्थान पर कोई डवेलपमेंट का काम नहीं होगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आपका ख्याल गलत है और कोई भी आदमी सहायता देने के लिये तैयार हो तो सरकार देने के लिये तैयार है ।

श्री अनोपसिंह : कोई आदमी देने के लिये तैयार नहीं हो तो क्या वहां पर कोई कार्य नहीं होगा ?

Page No.18

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीराज ।

नायब तहसीलदार, मलारना डूंगर.

१३८४ : श्री पृथ्वीराज, (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि मलारना डूंगर के नायब तहसीलदार की शिकायतें राज्य सरकार के पास हैं ?

(ख) उक्त नायब तहसीलदार वहां कब से है ?

(ग) क्या सरकार उक्त नायब तह-सीलदार को स्थानान्तर कर, उसके विरुद्ध जांच करायेगी ?

श्री संपतराम (उप राजस्व मंत्री) :

(१) जी हां । शिकयत ज़िलाधीश सवाई माधोपुर के पास प्राप्त हुई थी ।

(२) वर्तमान कार्यवाही नायब तहसीलदार श्री मदनमोहनलाल मलारना डूंगर में १.-३.-५६ से है ।

(३) उक्त शिकायत की जांच ज़िलाधीश ने करवाई थी किन्तु शिकायत बे-बुनियाद निकली । अतः स्थानान्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस बात की शिकायत थी !

श्री संपतराम : शायद किसी चुनाव के संबन्ध में थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या शिका-यत थी ?

श्री संपतराम : इसकी डिटेल्ड इन्फोर-मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३८५

श्री भैरोसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३८६

श्री लालूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : प्रश्न संख्या १३८७ ।

अजमेर के आबकारी सहकारी कमिश्नर द्वारा लाइसेंस

१३८७ श्री पी. के. चौधरी, (फुलेरा) :

Will the Minister-in-charge, Excise Department, be pleased to state:—

Is it correct that in December, 1957, the Assistant Commissioner, Excise, Ajmer had issued three new FL I licences to certain dealers in Ajmer though according to the extant rules in the area no dealer

Page No.19

(श्री पी० के० चौधरी)

holding a FL II licence can be granted FL I licence ?

उप–मन्त्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं। रूल्स में ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that these rules-I am referring to Ajmer State, and I can definitely say that it was in the rules that no person holding FL II licence could get a FL I licence.

श्री सम्पतराम : I would be glad if the Hon'ble Member would be kind enough to give me supplementary information so as to add to my knowledge and refer to particular section under which there is any such restriction.

डॉ० बहादुरसिंह : एफ. एल. क्या आफ़त है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिकराय में बहुद्देशीय-पाठशाला का खोला जाना

१३८८. श्री गज्जा पटेल (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिकराय में मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल कब तक बनाया जायगा ?

(२) अब तक न बनाने का क्या कारण है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (१) सिकराय में मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का अभी कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(२) हाई स्कूल को मल्टीपर्पज़ स्कूलों में बदला जाना फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अभी तक यह देखा जा रहा है कि वर्तमान मल्टीपर्पज़ स्कूलें कहां तक सफलता प्राप्त करती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बिघोड़ी की वसूली

१३८९. श्री मोतीबाबा चौधरी, (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बाली और देसूरी तहसील में सम्वत २०११ की बिघोड़ी में आधी छूट दी गई थी ? यदि हां, तो वह बिघोड़ी इस साल वसूल की जाने के क्या कारण हैं ?

उप राजस्व मन्त्री, (श्री सम्पतराम): सम्वत २०११ में तहसील बाली व देसूरी के उन ग्रामों में जिनमें कि टिड्डियों द्वारा फसल को क्षति पहुंची ५० प्रतिशत तक लगान की छूट दी गई एवं अन्य ग्रामों में जिनमें छूट नहीं दी गई थी, वसूली की कार्यवाही की गई।

श्री गिरधारी लाल : कितने ऐसे गांव थे जिनको बिघोड़ी की छूट दी गई ?

श्री सम्पतराम : २१ गांवों को दी गई।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जो छूट दी गई थी वह भी वसूल की जा रही है ?

श्री सम्पतराम : ऐसी बात नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या ऐसी शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हैं ?

श्री सम्पतराम : यह हो भी नहीं रहा है तो फिर शिकायत का सवाल ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हरिजन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था हेतु नगरपालिकाओं को दी जाने वाली रकम

१३६० श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा सु०): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) म्युनिसिपल बोर्डों को हरिजन बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध करने हेतु विभाग द्वारा धनराशि साल के प्रारम्भ में दी जाती है या अन्त में ?

(ख) उक्त कार्य हेतु सन् १६५७-५८ की धनराशि म्युनिसिपल बोर्ड बारां को विभाग द्वारा कब दी गई एवं कितनी ?

(ग) उक्त म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा उक्त राशि की मांग कितनी बार की गई एवं विभाग द्वारा उक्त राशि को समय पर न देने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उक्त राशि के अभाव में भी म्युनिसिपल बोर्ड ने रोशनी का प्रबन्ध यथावत रखा ? यदि हां, तो कितनी राशि बोर्ड की उक्त कार्य में खर्च हुई ?

उप-समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) म्युनिसिपल बोर्डों को हरिजन बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध करने हेतु विभाग द्वारा सहायता उनके मांग किये जाने पर व नियमानुसार प्रस्ताव आने पर साल में कभी भी दे दी जाती है। साल के प्रारम्भ में अथवा अन्त में देने का कोई नियम नहीं है।

(ख) सन् ५७-५८ में म्युनिसिपल बोर्ड को उक्त कार्य हेतु इस विभाग द्वारा २६-२-५८ को २,०००) रू० स्वीकृत किये गये थे। उक्त संस्था को मार्च के प्रथम सप्ताह में दे दिये गये।

(ग) केवल एक बार। विभाग द्वारा राशि समय पर न देने का यह कारण है कि सम्बन्धित जिलाधीश की स्वीकृति इस विषय में समय पर प्राप्त नहीं हुई।

(घ) इसका सम्बन्ध इस कार्यालय से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टौंक में कॉलेज होस्टल का निर्माण

१३६१ : श्री लालूराम टटवाड़िया (टौंक): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टौंक में कोई कॉलेज होस्टल बनाने की योजना थी ?

Page No.21

(श्री लालूराम टटवाड़िया)

(ख) कॉलेज होस्टल अब तक नहीं बन पाया, इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या कॉलेज होस्टल अब शीघ्र ही बना दिया जावेगा ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) क्योंकि होस्टल बनाने की योजना नहीं थी।

(३) अभी होस्टल बनाने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। जब अन्य स्थानों पर होस्टल बनाये जावेंगे तो टौंक में भी होस्टल बनाने के प्रश्न पर इसकी आवश्यकतानुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मेजा बांध (भीलवाड़ा) के अन्तर्गत भूमि का वितरण

१३६२. **श्री शिवचरणदास,** (मांडल) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सरकार ने ज़िला भीलवाड़ा के मेजा बांध के नीचे भूमि वितरण बन्द कर कीमतन भूमि देना प्रारम्भ कर दिया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): प्रोजेक्ट कमान्डेड एरिया की भूमि का अलॉटमेन्ट उनके रूल्स के तहत अलॉटमेंट के या सेल्स के ज़रिये देगी।

श्री शिवचरणदास : समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोजेक्ट कमान्डेड एरिया की भूमि का अलॉटमेंट उनके रूल्स की तहत अलॉटमेंट के या सेल्स के ज़रिये।

श्री जनार्दनराय नागर : यह कौन सी भाषा है ?

श्री तनसिंह : मैं इस प्रकार बिना तैयारी के उत्तर देने से बहतर समझता हूं कि उत्तर ही नहीं दिया जाय या दिया जाय तो पूरी तैयारी से दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इतनी बड़ी फाइल में से तो उठा कर आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री तनसिंह : आपके पास आपके विभाग से कोई जवाब नहीं आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह समझना की पूरी तैयारी के साथ जवाब नहीं दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री तनसिंह : आपकी इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी होगी। मगर मैं यह कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने उत्तर साफ़ दिया है और साफ़-साफ़ कहा है...

श्री पी. के. चौधरी : आपका जवाब

(श्री पी० के० चौधरी)

समझ में नहीं आया आप एक बार फिर समझा दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : २८ फरवरी १९५८ को एक विज्ञप्ति द्वारा यह गजट में प्रकाशित कर दिया गया था कि कितना एलॉटमेंट सेल्स से किया जावेगा और कितना एलॉटमेंट से होगा।

श्री श्रीभानसिंह : कितना सेल्स से होगा और कितना एलॉटमेंट से होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५० प्रतिशत।

श्री श्रीभानसिंह : टोटल लैन्ड कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहना कि टोटल कमान्डिंग एरिया कितना है मुश्किल है।

श्री श्रीभानसिंह : What is the basis on which the Hon'ble Minister is saying that 50 percent will be allotted and 50 percent will be by sale ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because the Government has taken such decision.

श्री श्रीभानसिंह: Decision on basis of facts. I want the total of area which will be allotted and which will be sold.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then you put a separate question. I will give you the total area. It is not available with me here.

श्री तनसिंह : इतनी बड़ी फाइल आपके पास है, मगर यह तो बता दें कि इसमें लिखा क्या है ?

एक माननीय सदस्य : पिछले साल कुछ जमीन किसानों को दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि अच्छी और उपयोगी ज़मीन बेच दी जाती है और निकम्मी और कम काम की ज़मीन रखी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अभी डिमार्केशन नहीं किया गया है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय: क्या आप ज़मीन कीमतन देने जा रहे हैं ? क्या काकड़ काश्त वालों को भी ध्यान के रखा जाएगा ? उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : काकड़ काश्त से किसी किसान का अधिकार नहीं होता, इसलिए एलॉटमेंट में किसी किस्म का फ़र्क नहीं होगा।

(श्री पी. के. चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास : क्या मेजा बांध के नीचे ३२ हज़ार एकड़ ज़मीन....

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री शिवचरणदास : इसमें से कितनी एकड़ भूमि किसानों को दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कुल मिला कर जैसा कि कमान्डेड एरिया ४८ हज़ार का होता है और १६ हज़ार कमान्डेड है उसका ५० प्रतिशत देने को है।

श्री शिवचरण दास : क्या यह सही है कि भूमि-वितरण बन्द हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जारी है।

श्री शिवचरणदास : मेरी यह जानकारी है कि वह बन्द की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमि-वितरण की दरख्वास्तें मांग ली गई हैं, मैंने जैसा कहा कि ५० प्रतिशत बेची जावेगी और ५० प्रतिशत एलॉटमेंट किया जावेगा।

श्री शिवचरणदास : मेरी इत्तिला यह है कि नीचे की ज़मीन बेची जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परसों ही भीलवाड़ा में बैठ कर फैसला किया है इसके लिये।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने सम्बन्धी योजना

१३६३. **श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया** (बारां) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने समाजवादी समाज की ओर लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई सर्वे किया है व कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इस ओर ध्यान देने का इरादा रखती है ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) सरकार ने समाजवादी समाज की ओर लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये ही विशेष रूप से कोई सर्वे नहीं किया है पर उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेक योजनायें अवश्य बनाई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचंद डागा : यह कहा गया कि विशेष रूप से सर्वे नहीं किया गया तो यह विशेष और अविशेष क्या है ?

श्री भीखाभाई : समाजवादी समाज रचना का लक्ष्य लेकर सर्वे किये जाने का मैंने उत्तर दिया था। वह नकारात्मक उत्तर था।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें विशेष रूप से कोई शब्द नहीं है।

श्री भीखाभाई : पर यह पूछा गया है कि समाजवादी समाज की ओर लक्ष्य की

Page No.24

(श्री भीखाभाई)

पूर्ति के लिये अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई सर्वे किया है इसके लिये मैंने कहा कि इस दृष्टि को लेकर कोई रचना नहीं बनाई गई अलबत्ता गृह निर्माण की योजना और आवागमन के साधनों को इम्प्रूव करने की योजना और छात्रवृत्ति देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सही है की सात लाख भीलों को इस विकास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री भीखाभाई : यह तो समाज कल्याण की योजनाओं से सम्बन्धित है।

डॉ० चंद्रकला : क्या माननीय उप-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो ये योजनाएं बताई हैं वे क्या समाजवादी समाज व्यवस्था की ओर ले जाने वाली हैं ?

श्री भीखाभाई : जरूर, यह तो इंगित करती हैं। लेकिन ये जो योजनाएं हैं सामान्य लोगों के लिये भी हैं, इनसे हरिजनों आदि को लाभ मिलता है। पूरे समाज का जो वीकर सेक्शन है उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है।

श्री धर्मपाल पंवार : उनमें से किसी योजना का अवलोकन करने की कृपा करेंगे ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपको मालूम होना चाहिये कि बीकानेर में गाडोलिया लोहारों की और जयपुर के बाहर हरिजनों की कितनी बस्तियां बनाई गई हैं। तो जयपुर में भी आदर्श बस्तियां बन रही हैं जिन पर सदन में समय समय पर चर्चा होती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : रिज़र्वेशन के बारे में क्या नीति है रिज़र्वेशन बढ़ाया जावे या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह सवाल दूसरा है। मैं जानता हूं माननीय सदस्य किसमें इन्टरेस्टेड हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

तहसील शेरगढ व फलौदी में विकास खण्डों की स्थापना

१३६४. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील शेरगढ़ व फलौदी में ब्लॉक नहीं खोले गये है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) अभी तक न खोलने का कोई विशेष कारण नहीं। सन् १९६३ तक इन तहसीलों में भी विकास खण्ड खोलने की योजना है।

श्री सूरजमल : विकास खण्ड किस आधार पर खोले जाते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पुरुषार्थियों को भीमगंज, बारां में दिये गये स्टाल

१३६५. श्री धन्नालालहरित, (छबड़ा): क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) वार्ड भीमगंज, नगर बारां के स्टेशन रोड पर किन पुरुषार्थियों को स्टाल दिये गये थे ?

(२) उक्त स्टालों में से कितने स्टाल किन किन पुरुषार्थियों द्वारा किराये पर दे रक्खे हैं और कितने स्टालों में वह स्वयं दुकान लगाते हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या सरकार इस बात की कभी जांच भी करती है कि जो चीज़ उनको दी जा रही है उसका सही उपयोग हो रहा है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) वार्ड भीमगंज नगर बारां स्टेशन रोड पर सन् १९५० में ४० स्टाल बनवा कर पुरुषार्थियों को दिये गये थे । जिन पुरुषार्थियों को स्टाल दिये गये थे उनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) सूची तैयार करवाई जा रही है और तैयार होने पर सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

(ग) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री धन्नालाल हरित : यह सूची कब तक रख दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तैयार होकर आते ही जल्दी, करीब एक हफ्ता बाद तैयार हो जावेगी ?

ग्राम गिररी (पाली) में रेगर जाति के परिवारों के आवास की व्यवस्था

१३६६. श्री शंकरलाल, (रायपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली जिलाधीश ने रायपुर तहसील के गांव गिररी के ५० रेगर जाति परिवारों के लिये मकान बनाने हेतु प्रति परिवार ३५०) रुपया सहायता प्रदान करने के लिये समाज कल्याण विभाग को सिफारिश की है ?

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्राप्त हो जायगी ?

उप–समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त प्रार्थना पत्र पर इस वर्ष विचार किया जायगा ।

श्री शंकरलाल : यह निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ।

श्री भीखाभाई : अर्थाभाव के कारण निर्णय नहीं लिया गया । आगे इस वर्ष प्रावधान रखने पर विचार किया जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सहकारी समितियों को विशेष प्रधानता दी जाती है ?

श्री भीखाभाई : Please repeat.

श्री शंकरलाल : क्या सहकारी समितियों को इस प्रकार से कोऑपरेटिव बेसिस पर हाउसिंग प्रोब्लम को हल करने के लिये विशेष प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : सहायता देने को, सहकारी समितियों को ?

श्री भीखाभाई : सहकारी समितियां हों तो उन्हें विशेष प्रीफेरेन्स दिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह ३५०) रुपया मकान बनाने के लिये दिया जाता है या पुराने मकान को ठीक करने के लिये दिया जाता है और फिर क्या ३५०) रुपये में नया मकान बन जाता है ?

श्री भीखाभाई : नये रिहायशी मकान बनाने के लिये दिया जाता है, न कि पुराने मकान की दुरुस्ती करने के लिये और ३५०) रुपया में मकान नहीं बन सकता, इसको हम भी महसूस करते हैं और इस बारे में निर्णय हो भी चुका है कि ३५०) के बजाय ६००) के करीब दिया जाय।

श्री शंकरलाल : जिन घरों में रह रहे हैं उन्हीं को तोड़कर बनाये गये या अलग ज़मीन दी गई और उन पर नये मकान बनाये गये ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न व्यापक बना दिया गया है। वैसे प्रश्न था रेगरों के आवास के सम्बन्ध में वह मैंने अर्ज कर दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आबू रोड में वाटर वर्क्स व ड्रेनेज की व्यवस्था

१३६७. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या विकास व योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में मिलने के पहले आबू रोड के लिये बम्बई सरकार ने वाटर वर्क्स तथा ड्रेनेज की स्कीम बनाई थी ?

(२) क्या सरकार उक्त स्कीम को कार्य रूप में परिणत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। आबू रोड के लिये बम्बई सरकार ने वाटर वर्कस तथा ड्रेनेज़ की स्कीम बनवाई थी, किन्तु अभी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी।

(ख) अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अनोपसिंह : इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का एस्टीमेट था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करू कि बम्बई गवर्नमेन्ट ने भी योजना बनाई थी और वह हैल्थ बोर्ड के पास भेजी थी कि फाइनल एस्टीमेट इसका क्या होगा। तो फाइनल एस्टीमेट अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। यह तैयार होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आगे क्या किया जावेगा और कितना पैसा लगेगा।

श्री अनोपसिंह : क्या अपनी सरकार इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बना रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बन जाय, इसके बाद इस पर सरकार निर्णय लेगी और फिर फाइनल एस्टीमेट बनवाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या १३६८

श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इन्टरेस्ट में इसका जवाब दिया जावे, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : जो उपस्थित नहीं, उनके लिये इम्पोर्टेन्ट है ? नेक्स्ट, श्री जेठमल।

मकराना पत्थर की खानें

१३६९. **श्री जेठमल,** (नांवा-मु०) : क्या मन्त्री, उद्योग व खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मकराना में इस समय पत्थर निकालने की कितनी खानें हैं ?

(ख) इन खानों से पत्थर निकालने का कार्य पुराने तरीकों से होता है या आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार नये वैज्ञानिक साधन अधिक मात्रा में देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) ४१६

(ख) पुराने साधनों का ही उपयोग हो रहा है।

(ग) विद्युत् दिये जाने की व्यवस्था होने पर यन्त्रीकरण सम्भव हो सकता है।

श्री जेठमल : कबतक विद्युत वहां पर पहुँच जावेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : निश्चित नहीं बताया जा सकता, पर कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी पहुँचाने की।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी योजना कब तक पहुँचाने की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऐसा है कि जयपुर के यहां से पॉवर हाउस से वहां बिजली पहुँचानी है। पर अभी तक कुछ डिफीकल्टीज़ की वजह से नहीं कहा जा सकता कि कब तक पहुँच सकेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

संस्कार केन्द्र

१४००. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री

(डॉ० चन्द्रकला)

यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) जयपुर शहर में कितने संस्कार केन्द्र कहां कहां चल रहे हैं ?

(ख) इन संस्कार केन्द्रों की क्या प्रवृत्तियां हैं ? प्रत्येक संस्कार केन्द्र का वार्षिक व्यय क्या है ?

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर शहर के हरिजनों के उत्थान के लिये अब तक क्या काम किये गये तथा आगे के लिये क्या योजना है ?

(घ) हरिजनों की समस्या सुलझाने में समाज का सहयोग प्राप्त करने के लिये विभाग ने क्या प्रयत्न किये और उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जयपुर शहर में दो संस्कार केन्द्र चांदपोल हरिजन बस्ती में व नाहरगढ़ हरिजन बस्ती में चल रहे हैं।

(ख) इन संस्कार केन्द्रों की प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं : (१) प्रौढ़ शिक्षा, (२) समाज शिक्षण, (३) सामाजिक व राष्ट्रीय त्यौहार व पर्वों का आयोजन, (४) सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे भजन, कीर्तन, कथाएं आदि (५) अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धित कार्यक्रम जिसमें समूह चर्चा द्वारा मार्ग दर्शन व विचार विमर्श आयोजित किया जाता है, (६) सभाएं, (७) सम्पर्क वार्ता । इन संस्कार केन्द्रों का वार्षिक व्यय निम्न प्रकार से है : (१) चांदपोल हरिजन बस्ती २,२००) रु० (२) नाहरगढ़ हरिजन बस्ती १,७००) रुपये ।

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर शहर के हरिजनों के लिये निम्न कार्य किये गये हैं :

(१) सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को १५) प्रति मास छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(२) संस्कार केन्द्र खोला गया है ।

(३) अग्नि काण्ड से पीड़ित हरिजनों को सहायता दी गई है ।

(४) समाज शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ।

(५) हरिजन मोहल्लों में पानी व रोशनी की सहायता के लिये सहायता दी गई ।

(६) हरिजनों के लिये सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करते समय प्रोत्साहन दिया गया ।

(७) हरिजनों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ।

(८) छात्रालय खोले गये ।

(९) गृह निर्माण योजना को क्रियान्वित करना ।

(घ) हरिजनों की समस्या सुलझाने में समाज का सहयोग प्राप्त करने हेतु जन साधारण से सम्पर्क किया, सभाएं की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप समाज का सहयोग प्राप्त

Page No.29

(श्री भीखाभाई)

हुआ और परिणाम यह रहा कि अस्पृश्यता निवारण की दिशा में किये गये अनेक कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए ।

डॉ० चन्द्रकला : ये संस्कार केन्द्र कब से चल रहे हैं ?

श्री भीखा भाई : लगभग दो वर्ष से ।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर इन दो वर्षों के अनुभव के बाद क्या सरकार ने यह साहस नहीं किया कि ये संस्कार केन्द्र और दूसरी हरिजन बस्तियों में भी खोले जाएं ?

श्री भीखाभाई : अर्थाभाव के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं । ये जो खोले जाते हैं सारे राजस्थान को दृष्टि में रखते हुए खोले जाते हैं । कोई जयपुर में ही सारे हरिजन केन्द्र खोले जाएं, ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें जन-सहयोग कितना है ?

श्री भीखा भाई : इसकी मात्रा को कोई तोला तो नहीं जा सकता केवल बताया जा सकता है कि क्या क्या योजना बनती हैं । इसका विवरण दे चुका हूं । इसके साथ हरिजन सेवक संघ, दलित जाति संघ, और दूसरे संघ हैं उनका सहयोग मिलता रहता है । कहीं ऐसा नहीं कि पैसे की सहायता दें....

श्री श्रीभानसिंह : Please be brief.

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : अब तक इन दो वर्षों के संस्कार केन्द्रों के प्रयत्न के फलस्वरूप प्रत्यक्ष रुप से संस्कारों में क्या विकास हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट् ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार यह बतावेगी कि सवर्णों और हरिजनों में कितने विवाह करवाये हैं ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट् क्वेश्चन ।

उच्चैन तहसील रुपवास में सब तहसील की नियुक्ति

१४०१. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) :

Will the Revenue Minister be pleased ot state :-

(a) Is there a lack of communication between Uchhain Town and its adjacent villages with the Tehsil headquarters at Rupbas Town ?

(b) Is the latter completely inaccessible during rainy season ?

(c) In view of this difficulty will the Government consider to make Uchhain Town a sub-Tehsil headquarter of Rupbas Tehsil ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(b) Generally it is so.

(c) The matter is under examination.

श्री अध्यक्ष : Next.

भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों को कम्पेनसेट्री अलाउन्स का नहीं दिया जाना

१४०२. **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि अजमेर का राजस्थान में एकीकरण होने के पश्चात् अजमेर राज्य के कर्मचारियों को कम्पेनसेट्री अलॉउन्स नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल, मुख्य मन्त्री की ओर से) : विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब से है और कब तक रहेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि हाउस रेन्ट अलॉउन्स जो अजमेर वालों को दिया जाता था, वह एक तरह का कम्पेन्सेटरी अलॉउन्स था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे कम्पेन्सेटरी अलॉउन्स को नहीं माना है और राजस्थान सरकार ने हाउस रैन्ट अलाउन्स दिये जाने के लिए प्रावधान कर दिया है और ऐसी शक्ल में उसके बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री महोदय उत्तर दें तो पूर्ण हिन्दी में दें। इस प्रकार से आधी हिन्दी और आधी अंग्रेजी में न दें।

श्री रिखबचंद धारीवाल : अध्यक्ष महोदय कुछ टैक्नीकल वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जवाब टैक्नीकल भाषा में ही दिया जा सकता है।

श्री चन्दनमल वैद : यह 'वर्ड' शब्द भी टैक्नीकल है क्या ?

श्री अध्यक्ष : 'वर्ड' शब्द भी हिन्दी का है।

श्री रिखबचन्द धारीवलाल : तब आपको भी वर्ड नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

पेन्शनर्स, जिला चूरू

१४०३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) चूरू ज़िले में भारतीय व रियासती कितने फौज़ी पेन्शन पा रहे हैं ? उनमें से कितनी विधवाओं व उनकी माताओं को पेन्शन मिल रही है और किन किन पेन्शनर्स को पेन्शन अब नहीं मिल रही है और उसके क्या कारण है ? सब पेन्शनर्स की सूची दिखाई जावे ?

(ख) क्या यह सही है कि पेन्शनर्स को टाइम पर पेन्शन नहीं मिलती है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) विचाराधीन है।

(श्री सम्पतराम)

(ख) जांच के बाद निर्णय किया जायगा।

श्री किशनाराम : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास निश्चित तारीख नहीं है। लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन है और जल्दी ही फैसला किया जावेगा।

श्री चान्दनमल वैद : वहां से चुने हुए एम. एल. ए. को भी चूरू भेजने का विचार है !

श्री सम्पतराम : यह विचार तो वह स्वयं कर सकते हैं !

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास निश्चित तारीख नहीं है तो निश्चित साल भी है या नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि निश्चित तारीख नही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री तनसिंह : यह समझ में नहीं आये तो किसका कसूर है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सुमित्रा।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्होंने कहा कि निश्चित तारीख नहीं है तो निश्चित साल तो होगा ?

श्री अध्यक्ष : फिर बाद में आप शताब्दी पूछेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : मैं तो पूछ चुकी हूं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब भी दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एडजान्स में फेवर क्यों ?

प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार है।

ग्राम गुगलवा (झुंझनु) का चूरू जिले में सम्मिलित किया जाना

१४०४. **श्रीमती सुमित्रा** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि झुंझनू ज़िले का एक ग्राम गुगलवा चारों तरफ से चूरू ज़िले के ग्रामों से घिरा हुआ है तथा चिड़ावा तहसील की सरहद उस ग्राम से ६ मील दूर रहती है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार प्रशासनिक सुविधा हेतु उस ग्राम को चूरू ज़िले में मिलाने का विचार रखती है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नही ?

उपवित्त मन्त्री (श्री सम्पतराम)

(क) जी हां।

(ख) इसकी जांच की जारही है।

(ग) जांच के बाद ही निर्णय किय

Page No.32

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल ।

राज्य सरकार द्वारा शरणार्थियों को राज्य सेवा ।

१३६६. श्री पी० के० चौधरी (श्री रामेश्वरदयाल की अनुपस्थिति में): Will the chief Minister be pleased to state In compliance to the policy of the Central Government to allot a quota of 20% of appointments in the various departments of the State to the refugees, what action has been taken in this direction by the Rajathan Government in 1956-57 and 58 ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : The Rajasthan Government is not aware of any policy decision by the, Central Government to allot a quota of 20 percent of appointments in various departments of the State of the refugees.

श्री पी. के. चौधरी : But Central Government wrote in this matter.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I said 'No'.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लालूराम

(अनुपस्थित)

श्री सज्जनसिंह ।

नम्बरदरी के लगान की वसूली

१३६८ श्री श्रीभानसिंह (श्री सज्जनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि काश्तकारों से सरकारी लगान के अलावा ५ प्रतिशत नम्बरदारी के लगान के वसूल किये जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो किस कानून की किस किस धारा के आधार पर ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । किन्तु अब यह वसूली स्थगित कर दी गई है ।

(२) राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट की धारा २६१ उपधारा (२) के अनुच्छेद (क्लॉज़) ४ द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर जो नियम बनाये गये उनके अनुसार वसूली होनी थी ।

श्री भैरोंसिंह : इस वसूली को स्थगित क्यों किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इसलिये पुनर्विचार किया जा रहा है कि सैस को चालू रखा जाय या नहीं ।

Page No.33

श्री चंदनमल बैद : क्या यह भी विचार किया जा रहा है कि वसूली स्थाई रूप से स्थगित कर दी जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही विचार है।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सही है कि इसको इसलिए स्थगित किया जा रहा है कि सरकार को ऐसा अधिकार नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। बल्कि इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स कई जगह से आये इसलिये विचार के लिये स्थगित कर दिया।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामोत्थान नामक संस्था को चर्म उद्योग हेतु धन-राशि

१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) ग्रामोत्थान नामक संस्था को चर्म उद्योग केन्द्र के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण व सहायता खाते अब तक कुल कितनी रकम दी गई ?

(२) उक्त रकम में से कितनी कितनी रकम किस किस मद में से खर्च हो चुकी है और कितनी रकम बची हुई है ? खर्च की हुई रकम से क्या क्या माल मंगवाया गया ?

(३) बची हुई रकम में से कितनी कितनी रकम कहां कहां जमा है ?

(४) क्या उक्त संस्था का हिसाब का तलपट बोर्ड के कार्यालय में नियमित रूप से आता है ? इसके कितने माल का क्रय विक्रय अभी तक हुआ है ?

(५) क्या उक्त संस्था के हिसाब का ऑडिट हो चुका है ?

(६) उक्त संस्था में कितने हरिजन एम्प्लॉई हैं और कितने सवर्ण।

(७) उक्त संस्था के मेम्बर्स कौन कौन हैं ? उनके नाम, जाति व निवास स्थान बतलाने की कृपा करें ?

(८) उक्त संस्था प्रोफिट में चल रही है या लोस में ?

१ हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्रामों में पशुधन-विकास हेतु चरागाह

२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) पाली ज़िले के ऐसे कितने तथा कौन कौन से ग्राम हैं जहां पर पशुधन के लिए चरागाह राज्य सरकार की ओर से कायम नहीं किये जा चुके हैं ?

(२) चरागाह सम्बन्धी कितने केसेज़ पेंडिन्ग हैं ?

Page No.34

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सन् ५८-५६ में नये ब्लॉक्स खोलने के आधार

३. **श्री लक्ष्मण हीरात,** (गोगुदा): क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राज्य में सन् ५८-५६ में नये ब्लाक कहां कहां और किस किस आधार से खोले जावेंगे?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर ज़िले की कई आदिवासी तहसीलों में ब्लॉक की मांग है?

(३) क्या यह भी सत्य है कि सन् ५६-५७ में जो ब्लॉक खोले, गये हैं, उनमें श्रमदान कम हुआ है, जिससे ब्लॉक सफल नहीं हो रहा है?

(४) सन् ५६-५७ के ब्लॉकों से जो प्रगति हुई है उसका आंकड़ा ज़िलेवार बतायें?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): १. सन् १६५८-५६ में खोले जाने वाले विकास खण्डों का प्रश्न अभी विचाराधीन है। ये विकास खण्ड निम्नलिखित आधार पर खोले जायेंगे:—

(१) वहां कृषि उत्पादन के साधन सहज में ही उपलब्ध हों तथा वर्षा अच्छी होती हो।

(२) जो पिछड़ी हुई जातियों के क्षेत्र हों।

(३) जहां आसपास में पहले से ही विकास खण्ड खुले हुए हों।

(४) ज़िला विकास समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

२. जी हां।

३. जी नहीं। आमतौर पर ५६-५७ में खोले गये विकास खण्डों में श्रमदान अच्छा ही हुआ है।

४. सूची साथ संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

पाली बालिका विद्यालय का माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तन

४. **श्री मूलचंद डागा** (पाली): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

पाली स्थित लड़कियों की पाठशाला सेकेन्डरी हाई स्कूल में कब तक परिवर्तित कर दी जावेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): बालिकाओं के लिये हाई स्कूल व हायर

[redacted]

अनुमति प्राप्त विधेयक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सेकेन्डरी स्कूल निम्नलिखित आधारों पर खोले जाते हैं:—

१. मिडिल स्कूल में छात्राओं की संख्या १५० से कम न हो और मिडिल कक्षाओं में छात्राओं की संख्या ५० से कम न हों।

२. २० मील के अन्दर कोई हाई स्कूल न हो।

३. जनता की ओर से भवन की सुविधा।

४. तहसील हैडक्वार्टर में यदि हाई स्कूल न हो तो उसको प्राथमिकता दी जावे।

५. उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए यदि रूरल एरिया व अर्बन एरिया दोनों में समानता पाई जावे तो रूरल एरिया को प्राथमिकता दी जावे।

यदि गर्ल्स मिडिल स्कूल, पाली उपरोक्त शर्तों को पूरा करेगा तो आगामी सत्र से हाई व हायर सेकन्डरी स्कूल खोलते समय अन्य ऐसे ही मिडिल स्कूलों के साथ इसके प्रश्न पर भी इसकी उपयुक्तानुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जावेगा।

६. ५. म० पू०

अनुमति प्राप्त विधेयकों की प्रस्तुति

सचिव (श्री धर्मेन्द्र परिहार) :- मैं सदन की मेज पर विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है रखता हूं।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है —

1. The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill. 1957.

2. The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (7th Amendment) Bill, 1957.

3. The Rajasthan Court Fees and Stamp Duty Laws (Extension) Bill, 1958.

4. The Rajasthan Jagir Sambandhi Nirnaya Tatha Karyavahi Vaidkaran (Sanshodhan) Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

1. The Rajasthan Apporpriation (No. 1) Bill, 1958.

2. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1958.

4. The Rajasthan Lands Summary Settlement (Amendment) Bill, 1958.

5. The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1957.

6. The Rajasthan Civil Courts (Amendment) Bill, 1958.

7. The Rajasthans Holding (Con-

[redacted]

(श्री धर्मेन्द्र परिहार)

solidation and prevention of Fragmentation) Amendment Bill, 1958.

8. The Ajmer wakfs Board (Dissolution) Bill, 1958.

9. The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1958.

६. ७. म० पू०

अजमेर राज्य का वित्त लेखा, १६५६-५७, आदि की प्रस्तुति

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर राज्य का वित्त लेखा १६५६-५७ (१ अप्रैल, १६५६ से ३१ अक्टूम्बर, १६५६ तक) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं।

(विराम)

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति(अनुपालनीयता) विधेयक, १६५७

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा डिक्रीज़ एनफोर्सेबिलिटी बिल, १६५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

राजस्थान नकदी जागरी उत्पादन विधेयक, १६५८

अध्यक्ष, महोदय, मैं राजस्थान कैश जागीर एबॉलीशन बिल, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

राजस्थान गोदाम विधेयक, १६५७

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान वेयर हाउसेज़ बिल, १६५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो सिलेक्ट कमेटी है, इसका हमें आज के लिए टाइम दिया गया है कि नोट ऑफ डिसेन्ट यदि कोई हो तो दिया जाय। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय यह किस प्रकार उपस्थित करते हैं। मैंने तो मीटिंग में भी कह दिया था कि मुझे नोट ऑफ डिसेन्ट देना है।

श्री अध्यक्ष : आज सुबह ८॥ बजे तक का टाइम दिया गया था।

श्री तनसिंह : ८॥ बजे तक क्वेशचन्स चल रहे थे और कल १२ बजे के बाद में हमें रिपोर्ट मिली। अब इस थोड़े से समय में तैयारी भी करते तो कैसे देते। मेरा जो नोट ऑफ डिसेन्ट है उसको भी इसके साथ मैं मिला लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : हां, आप दे दीजिए।

Page No.37

६. ६. म० पू०

प्रवर समितियों के सुपुर्द किये गये विधेयक

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान फोरेस्ट (अमेंडमेंट) विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में उपस्थित करेगी । प्रवर समिति के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :

१. श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री)
२. श्री विद्या सागर
३. श्री भैरवलाल कालाबादल
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री शीशराम ओला
६. श्री फूलाभाई
७. श्री दिलीपसिंह
८. श्री मूलचन्द डागा
९. श्री अब्दुल गफ्फार
१०. श्री रूपाराम
११. श्री प्रभुलाल
१२. रावराजा श्री सरदारसिंह
१३. श्री शिवचरणदास
१४. श्री हजारीलाल बाकोलिया
१५. श्री राजाराम
१६. श्री सोहनलाल
१७. श्री हीरा

क्या सदन की अनुमति है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई ।

राजस्थान पशु धन सुधार विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लाइव स्टाक इम्प्रूवमेंट विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में उपस्थित करेगी । प्रवर समिति के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :

१. श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री)
२. श्री मानकचन्द कोठारी
३. श्री नाथूराम
४. श्री गणपतिलाल वर्मा
५. श्रीमती सतवन्त कौर
६. श्रीधर्मपाल पंवार
७. श्री श्रीनिवास शारदा
८. श्री श्रीमानसिंह
९. श्री किशनसिंह बट्टड़
१०. श्री धन्नालाल हरित
११. श्री रावतराम आलोचरा
१२. श्री मोहरसिंह
१३. श्री बेनाराम
१४. श्री तनसिंह
१५. श्री रामकरणसिंह
१६. श्री मुरलीधर व्यास
१७. श्री गुलाबसिंह
१८. श्री शिवनाथसिंह

क्या सदन की अनुमति है कि यह विधे-

Page No.38

(श्री अध्यक्ष)

यह प्रवर समिति मुकर्रर की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

६.१०.म.पू.

राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : एनीमल डिज़ीजेज़ बिल, १९५८, पर प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं :—

१. श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री)
२. श्री जयसिंह राणावत
३. श्री सोहनलाल भटनागर
४. श्री ज्ञानचन्द मोदी
५. श्री गोवर्धनसिंह केन
६. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
७. श्री चन्दनमल वैद
८. श्रीमती सुमित्रा
९. श्री जयचन्द मोहिल
१०. श्री हरिकिशन
११. श्री अनोपसिंह
१२. श्रीचन्द्रसिंह
१३. श्री रामनारायण
१४. श्री कुमारी शन्नो देवी
१५. श्री गिरधारीलाल
१६. श्री सुगनचन्द
१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१८. श्री तेजाराम

(बाद में श्री पी. के. चौधरी का नाम भी जोड़ा गया)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of Information, Sir. इस बिल के अन्दर माननीय सदस्य श्री पी.के. चौधरी का मोशन था इस बिलको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए, और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य का मोशन एक्सेप्ट किया सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए उनका नाम इस कमेटी के मेम्बरों में होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किस विधेयक के बारे में कह रहे हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : यहां अभी जो लास्ट में विधेयक आपने पढ़ा है उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव के अनुसार श्री पी. के. चौधरी का नाम इसमें रख दिया जायगा।

(६. ११. म. पू.)

श्री होतीलाल द्वारा श्री टीकाराम पालीवाल के प्रति विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि सदन को विदित है श्री होतीलाल द्वारा दिनांक १९ मार्च, १९५८ को श्री टीकाराम पालीवाल के आचरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिसके स्पष्टीकरण में श्री पालीवाल से प्राप्त पत्र को भी दिनांक ८ अप्रैल, १९५८ को सदन के समक्ष पढ़ा गया था।

इस प्रस्ताव के समस्त पहलुओं पर

(श्री अध्यक्ष)

विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे।

अतः मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

(६. १२. म. पू)

श्री भैरोंसिंह द्वारा मेजर श्री फतेहसिंह की गिरफ्तारी से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, विभाजन संख्या १४ ने पुलिस विभाग की मांग पर सदन में दिनांक १७ मार्च १९५८ को की गई बहस के दौरान में उपरोक्त विषय पर जब जुबानी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था, जिसे बाद में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार किया गया।

जब पुनः इस विषय पर उन्होंने लिखित में नियम ५६ के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है। इस प्रस्ताव में यह स्पष्टतया नहीं बतलाया गया है कि विशेषाधिकार का हनन किस कार्यवाही से हुआ है। जहां तक मेजर फतेहसिंह की फौजदारी जुर्म के संबंध में, गिरफ्तारी का संबंध है कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि फ्री प्रेस जरनल में जो १५ अप्रेल, १९५५ को श्री गुमानसिंह का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उससे विशेषाधिकार का हनन होता है। यह सत्य है कि उस वक्तव्य में जो बतलाया गया है अगर वह सत्य नहीं है तो वह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अपमानजनक है। अब प्रश्न यह उठता है कि फ्री प्रेस जरनल में जो समाचार प्रकाशित हुआ वह उसी रूप में दिया गया था अथवा नहीं। अब इतने समय बाद इसकी सही जानकारी प्राप्त कर लेना कठिन होगा।

लेकिन मुख्य प्रश्न तो इसमें यह है कि यह प्रश्न अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है।

मेजर फतेहसिंह की गिरफ्तारी दिनांक ७ अप्रेल, १९५५ को हुई थी जिसको आज ३ वर्ष हो चुके हैं और इस बीच में कई बार तो अजमेर विधान सभा की बैठकें हो चुकी हैं तथा राज्य पुनर्गठन के बाद भी तत्कालीन विधान सभा के दो सत्र हुए थे। तदुपरान्त नये चुनाव के पश्चात् द्वितीय राजस्थान विधान सभा के दो सत्र समाप्त हुए एवं अब तृतीय सत्र भी फरवरी, १९५८ से चालू है, किन्तु इस प्रश्न को प्रथम बार १९ मार्च, १९५८ को उपस्थित किया गया। माननीय डिप्टी स्पीकार ने अनुमति नहीं देने की आज्ञा २८ मार्च, ५८ को घोषित की। उसके उपरान्त यह प्रश्न लिखित रूप में १२ दिन बाद ६ अप्रेल, ५८ को पेश किया गया। इस संबंध के अजमेर विधान सभा की कार्यवाही दिनांक ११ अप्रेल १९५५ को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि मेजर फतेसिंह की गिरफ्तारी की सूचना उस सदन को दी जा चुकी थी, इससे यह भी स्पष्ट है कि जब उस सदन को तथा उसके सदस्यों को इस घटना की जानकारी थी, और उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया गया तो फिर यहां पर इतने समय के बाद इस पर कैसे विचार किया जा सकता है? इस प्रसंग में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के पृष्ठ ३६५ की ओर आकर्षित करना

Page No.40

(श्री अध्यक्ष)

चाहूंगा जिसमें दिये गये उदाहरण से यह मामला स्वतः स्पष्ट हो जायगा :

"A matter which occwred during the recess was refused precedence as a matter of privilege because it was not raised on the first day of the session. Similarly, a matter concerning an article in a newspaper published on 6th May was refused precedence because it was not raised till the 14th."

ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार का हनन होना प्राइमाफेसी साबित नहीं है। मामला रीसेन्ट ऑकरेन्स का नहीं है व दुबारा यह प्रश्न उठाने में जो १२ दिन का विलम्ब किया उसका भी कोई कारण प्रतीक नहीं होता है। अतः इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आज इस समय नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक मामूली सा स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्योंकि उसके कारण कई कम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में इसलिए उचित है कि एक, दो मिनिट के स्पष्टीकरण की मांग आपके सामने रखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन प्रस्ताव की चर्चा इस सदन में की गई थी, उस दिन माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन थे। उस समय यह प्रसंग आया था और उसके बाद में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी और उन्होंने अपना जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में उन्होने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है सारे फेक्टर्स को सामने रखकर कि यह मोशन देर से आया है, प्रिविलेज मोशन इन आर्डर नहीं है, यह प्रिविलेज मोशन राजस्थान विधान सभा में पहले पेश नहीं हुआ था, यह अजमेर विधान सभा में आ सकता था, सन् १९५५ की इस प्रकार की घटना है, यह सारा डिलेड हो गया है, ये जितने भी फेक्टर्स थे, सब उपाध्यक्ष के सामने आये थे, और उपाध्यक्ष महोदय ने इन सारे फेक्टर्स को अपने सामने रखकर, मेज़ पार्लियमेन्टरी प्रेक्टिस में इस संबंध में जितने भी उद्धरण, उस पर प्रकाश डालने वाले हो सकते थे, उन सब का इन्फरेन्स निकाला गया था। उस इनफरेन्स के आधार पर अपने जजमेंट में लिखा है:—

"I am of the opinion that there is a case for the point raised"'

इसका यह मतलब माना जाय....

श्री अध्यक्ष : 'There is a case' means that there is some case. Not that it is wholly accepted.

श्री भैरोंसिंह : "There is a case"...

श्री अध्यक्ष : Yes, 'there is a case' means that there is some case, but it cannot be argued that'''

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद स्थिति यह बनती है *If there is a case then it is for*

(श्री भैरोंसिंह)

the privileges Committee to decide.

यह हो सकता है अध्यक्ष महोदय, कि आप अपना निर्णय दें या सदन अपना निर्णय दे। लेकिन जब यह प्रश्न आता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ किसी भी केपेसिटी में हो, किसी भी मौके पर हो लेकिन वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ है। और यह प्रिविलेज़ कमेटी का प्रश्न है कि वह देखे कि वह किस हद तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ के लिए और किस को सज़ा देना चाहिए और किस प्रकार से कार्यवाही करनी है, लेकिन एक दफा यहां उपाध्यक्ष महोदय के रूलिंग के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय के अनुसार जब यहां पर यह स्वीकार कर लिया है। जब यह एक स्थिति पैदा हो जाती है, जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ मान लिया गया है तो दुबारा उसी क्वेश्चन को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ क्यों नहीं माना जाता है?

श्री अध्यक्ष : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ नहीं माना गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्ट है इसमें।

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई अब बहस नहीं होगी। जो व्यवस्था थी वह दे दी गई है। मामला स्पष्ट है कि यह देरी से पेश हुआ। ३ साल और १४ दिन तक कोई माननीय सदस्य के द्वारा ऐसी बात नहीं बताई गई है उससे कि वह डिले माफ की जा सकती हो। और मैंने जो व्यवस्था दे दी है वह फाइनल है। अब उसके बारे में बहस नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): I am in possession of the House.

श्री भैरोंसिंह : I am also in possession of the House.

श्री तनसिंह : When there is a point of order, the point of order shall have precedence.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है कि इस सदन में...

श्री अध्यक्ष : What is your point of order? please be brief.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन के अध्यक्ष ने किसी समय में कोई निर्णय दे दिया तो क्या उसी विषय का निर्णय दुबारा बदला जा सकता है?

श्री अध्यक्ष : Ruled out. No point of order I say.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का निर्णय जब सदन के उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष पद से दिया तो क्या अध्यक्ष महोदय उस निर्णय को बदल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : Ruled out. No point of order.

(६.२०. म. पू.)

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर वादविवाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

केपिटल इन्क्वायरी कमेटी श्री सत्यनारायण राव....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर अध्यक्ष महोदय, जिस विषय मे माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं क्या यह रिज़ोल्युशन के फोर्म में है या कोई मोशन है ?

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति रख कर सुनें।

श्री भैरोंसिंह : यहां कोई मामला नहीं है। न कोई रिज़ोल्युशन है, और न कोई मोशन है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दें। आपने तो बोलने से पहले ही स्पष्टीकरण पूछ लिया।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि बोल किस पर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में आज वाद-विवाद रखा है उस पर बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : वाद-विवाद रिज़ोल्युशन के फोर्म में या किस प्रकार का रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस प्रकार से बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा हुई थी उसी तरह से यह हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : चर्चा किस पर हुई थी, यह कोई प्रिसीडेन्स नहीं है। चर्चा किस विषय में कर रहे हैं वह किस फार्म में है ? क्या कोई रिज़ोल्युशन के फोर्म में गवर्नमेंट की तरफ से मोशन मूव किया गया है ? जब दोनों ही फोर्म में नहीं है तो स्थिति ऐसी है कि बहस किस प्रकार से करें। रिपोर्ट्स तो हाउस में कई प्रेज़ेन्ट की जाती हैं, लेकिन सब पर वाद-विवाद नहीं होता है। जिस पर वाद-विवाद होता है उसके लिए हमें या तो रिज़ोल्युशन लाना पड़ेगा या मोशन लाना पड़ेगा सरकार की ओर से न तो रिज़ोल्युशन है और न मोशन ही, तो फिर किस पर बहस की जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : किस आधार पर बहस की जा रही है यह समझ में नहीं आया क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कमेटी बैठाई थी और उसी ने रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स भारत सरकार को पेश की और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पर निर्णय देगा तो फिर किस आधार पर यहां बहस की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसने विधान सभा के सदस्यों से, पार्लियामेन्ट के सदस्यों से और राजस्थान के अन्य नागरिकों से पूछताछ करके कइयों की गवाहियें लेकर अपनी रिकमन्डेशन्स पेश की हैं फिर किस आधार पर बहस की जा रही है, यह समझ में नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो रिपोर्ट कमेटी ने दी है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वाद-विवाद करने जा रहे हैं इसके लिये किसी डेफिनेट रिज़ोल्युशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे यहां बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर, इसी

Page No.43

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरह वाद-विवाद कर चुके हैं और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो इसी सत्र में कर चुके हैं। इस पर हम इसलिये वाद-विवाद करना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की राय जान जावें तो आगे निर्णय लेने में सुगमता हो सके।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कंडक्ट ऑफ बिज़नेस नाम की जो पुस्तिका है उसको मैंने शुरू से आखिर तक देखा है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर सदन में किस स्थिति में विचार किया जा सकता है, इसके लिये दो ही तरीके हैं एक तो यह कि सरकार की ओर से कोई रिज़ोल्युशन मूव किया जाय और दूसरा यह कि कोई मोशन मूव किया जाय। यदि कोई रिज़ोल्युशन मूव नहीं कया जाता है और न कोई मोशन ही मूव किया जाता है तो कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को हाउस में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। इसलिये सरकार की तरफ से रिज़ोल्युशन की शक्ल में या मोशन की शक्ल में प्रस्ताव पेश करना चाहिये वाद-विवाद के लिये या राय जानने के लिये। जब तक कोई निश्चित रूप हमारे सामने नहीं है तब तक केवल रिपोर्ट को सामने रख कर विचार नहीं कर सकते।

इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई डिसीज़न लेना है या नहीं लेना, उस पर स्पष्ट राय देनी होगी। वह राय ज़ुबानी नहीं होगी बल्कि रिज़ोल्युशन के फार्म में होगी। यह रिपोर्ट भारत सरकार के सामने पेश हुई है और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पर अन्तिम निर्णय लेने वाला है। वैसी स्थिति में यदि सदन राय देता है तो क्या बात होगी। वह राय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने जाकर विचाराधीन हो सकती है या मूल्यवान होगी या नहीं इसलिये जब तक सरकार की तरफ से डेफिनेट रिज़ोल्युशन सरकार की पॉलिसी और विचारधारा को लिये हुए हाउस के सामने नहीं आता या उस समय तक यह डिबेट सदन के समय को जाया करेगी। इस प्रकार की डिबेट कोई असर नहीं करेगी तो यह डिबेट राजस्थान की जनता की दृष्टि से अच्छी नहीं होगी। इसलिये डेफिनिट रिज़ोल्युशन आना चाहिये कि अमुक अमुक पॉइन्ट पर राजस्थान विधान सभा अपनी राय देगी।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया कि सदन की राय....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्षमा करें, मैंने यह नहीं कहा कि सदन की राय लेनी है, बल्कि सदस्यों की राय के लिए कहा है।

श्री तनसिंह : आपको कैसे पता चलेगा कि सदस्यों की राय क्या है? जो लोग जोर से बोलने वाले नहीं हैं उनकी राय का आपको क्या पता चलेगा और आप किस तरह निर्णय करेंगे और कैसे उनकी राय जान पायेंगे जब कि वोटिंग होगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं यही यह रिज़ोल्युशन रखें और राय व्यक्त करके वोट लें, नहीं तो इससे क्या फायदा होगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रिपोर्ट के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये और चर्चाएं आईं कि कब इस पर चर्चा होगी और हाउस में कब इस पर वाद-विवाद होगा। और तरीकों से भी कई सदस्यों ने कहा कि वे चाहते हैं सदन में इसकी चर्चा हो। ऐसे कई उदाहरण हैं यहां पर भी और दूसरी जगहों पर भी कि गवर्नमेंट पहले डिसीजन करले उसके बाद वाद-विवाद हाउस में हो ऐसी बात नहीं है। बल्कि ऐसा है कि किसी चीज़ पर पहले हाउस में डिस्कशन होता है उसके बाद गवर्नमेंट का डिसीज़न होता है। कई बिल्स बनाते हैं उससे पहले सिलेक्ट कमेटी में चर्चा होती है, उसके बाद बिल बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब तक गवर्नमेंट का फाइनल निर्णय नहीं हो तब तक यहां पर विचार नहीं किया जा सकता। बल्कि यह एक उचित डेमोक्रेटिक परम्परा है कि इस पर पहले चर्चा करते हैं। लेकिन यदि फिर भी सदन नहीं चाहता है कि इस पर चर्चा हो तो मुझे चर्चा नहीं कराने में ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि सदस्यों ने इसके लिये कहा और यहां पर इसके बारे में चर्चा आई, इसलिये इसे यहां रखा है। इसलिये यदि सदन नहीं चाहे तो मुझे कोई अफसोस नहीं है।

श्री बृजमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति उठाई गई है कि जब तक डेफिनिट रिज़ोल्युशन नहीं हो तब तक यहां पर बहस नहीं हो सकती लेकिन सरकार की तरफ से यह मोशन है "That the report be taken into consideration".

श्री भैरोंसिंह : यह मोशन कहां है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा है कि इस पर विचार किया जाय। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा उस पर विचार होना चाहिए।

दूसरी बात आपने यह फरमाई कि सदन की राय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिसीज़न भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री लेने वाली है। इस कमेटी की रिकमन्डेशन एडवाइज़री केपेसिटी में है। यह सिर्फ एडवाइस करता है, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को। इसलिए सदन के सदस्यों को इस पर वाद विवाद करने का मौका दिया जाता है ताकि भारत सरकार सही निर्णय ले सके। सदन को भी अपनी सम्मति देनी चाहिये, भारत सरकार इस पर विचार करे और निर्णय ले उससे पहले सदन की सम्मति नहीं बल्कि मेम्बर्स लोग अपनी राय प्रकट करें। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि मेम्बर लोग भी अपनी राय व्यक्त करें, ताकि भारत सरकार जिस समय निर्णय करे, उस समय इस पर विचार कर सके कि इस सदन की क्या राय थी। केपिटल और हाई कोर्ट ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सदन के सदस्यगण इनके बारे में किस किस रूप में सोचते हैं यह जानना आवश्यक है, इसलिए सदन में इस पर विचार होना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा उस पर विचार होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Order Please. आप किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मन्त्रीजी ने जो बात कही उस पर मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : Order Please.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक ही मिनट में अपनी बात कह देता हूं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी ने जो बात रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं और यह समझता हूँ कि जो रिपोर्ट बहस के लिए सदन के सामने रखने का विचार किया है उसके बारे में सदन यदि इसको मान्य करे कि यह न रखी जाय तो मुख्य मंत्रीजी को कोई अनुरोध नहीं होगा। तो मैं समझता हूं यह विषय ऐसा है कि इस पर न्याय की हैसियत से, न्यायाधीश की हैसियत से फैसला होता है तो सारे लोगों की राय इसके बारे में पहले ही ली जा चुकी है और अच्छी तरह से ली जा चुकी है और डेमोक्रेटिक रूप से हर क्षेत्र में अच्छी तरह से राय ली जा चुकी है। ऐसी हालत में यदि हम वाद-विवाद करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो फैसला हुआ है उस पर भी हमारा विश्वास नहीं है, क्या सोचेंगे क्या नहीं और गलत फैसला होगा। इसलिए राजस्थान की भलाई और न्याय की दृष्टि से मैं मुख्य मन्त्री जी की राय का समर्थन करता हूं, इस पर बहस नहीं हो तो अच्छी बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उस राय से सदन इतफ़ाक करता है, तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री मानसिंह : It is wholly relevent what my friend...

श्री अध्यक्ष : इस मामले में आपत्ति उठाई गई है कि इस पर बहस सदन में नहीं हो सकती, वह ठीक आपत्ति नहीं उठाई गई है। जैसा कि सदन के नेता ने बताया कि बहस के लिए समय इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि प्रश्नोत्तर के दरम्यान व अन्य तौर से सदन के माननीय सदस्यों ने उनसे व मुझ से कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिये और बहस होनी चाहिये। इस पर कोई विशेष मोशन या रिज़ोल्युशन हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि सदन की एक प्रेक्टिस रही है, जैसे बलवन्त राय मेहता रिपोर्ट पर बहस हुई, पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर बहस हुई, और भी प्रिसीडेन्ट थे, जिन मौकों पर इस सदन में बगैर मोशन या रिज़ल्युशन के बहस हुई है। बिजनस एडवाइज़री, जिसमें सदन के विभिन्न दलों के सदस्य मौजूद हैं, उनकी राय से यह समय निर्धारित किया गया। अब इस व्यवस्था में हेर फेर करना उचित नहीं है इसलिए आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर,.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अरे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसमें अधिक समय जाया न हो।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, बिज़नस एडवाइज़री कमेटी का मैं भी एक सदस्य हूं। उसका जिस प्रकार यहां रैफरेन्स दिया गया है, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। बिजनस एडवाइज़री कमेटी के सामने ऐसा प्रसंग

(श्री भैरोंसिंह)

जरूर था और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि इसके ऊपर विचार किया जाय। लेकिन उस आवश्यकता का मतलब यह नहीं था कि इस सदन में इस रिपोर्ट पर बिना रिज़ोल्यूशन के, बिना मोशन के वाद-विवाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, या वाद-विवाद किया जा सकेगा। इसलिए मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि बिज़नस एडवाइज़री कमेटी की यह मन्शा नहीं हो सकती कि रूल्स के खिलाफ़, या रूल्स के अन्तर्गत कोई प्रावधान हो, उस प्रावधान के विपरीत इस सदन में इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जो कैपिटल कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर विचार करने के लिए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के पहले राजस्थान के अन्दर यह कमेटी अलग-अलग जगह गई, अलग-अलग जगह जो राय थी, वह उन्होंने एकत्रित की, उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट जो कुछ है वह सब माननीय सदस्यों के समक्ष है। दरअसल जब राजस्थान और अजमेर राज्य का विलीनीकरण होने जा रहा था, उस समय यह प्रयत्न किये गये, अजमेर और राजस्थान के प्रतिनिधियों के बीच में, कि हम अगर किसी प्रकार एक निर्णय पर पहुँच सकें तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी हम एक निर्णय पर नहीं पहुँच पाये और अन्त में दिल्ली हम होम मिनिस्टर के पास इस विषय को लेकर गये। वहां भी यह कोशिश हुई कि केपिटल, हाईकोर्ट और कुछ विभागों के बारे में हम लोग एक राय हो सकें तो उचित है, इसलिये कुछ प्रस्तावों का भी एक दूसरे के बीच में आदान-प्रदान करके एक राय होने का प्रयत्न किया गया। जब सब बातों से आपस में एक राय होना मुश्किल पाया गया, तो उस वक्त, अजमेर की तरफ से, जो वहां के मुख्य मन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, थे और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तथा राजस्थान की तरफ से श्री जयनारायण व्यास, जो यहां की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वे और मैं, हम चारों ने एक राय से यह विचार किया कि उचित यह होगा कि इस विषय को हम भारत सरकार के गृह मन्त्रालय, माननीय गृह मन्त्री जी को सुपुर्द करें। वे इसके बारे में आवश्यक जांच पड़ताल एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कराके निर्णय दें। उसके अनुसार जो होम मिनिस्ट्री ने टर्म्स ऑफ रेफरेन्स तय किये, ये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स इस रिपोर्ट में भी दिये हुए हैं, चेप्टर एक की शुरूआत में। उसके अन्दर यह बात कही थी कि यह कमेटी इस बात को देखेगी कि अजमेर और राजस्थान के विलीनीकरण के बाद राजस्थान की राजधानी कहां हो, हाई कोर्ट की एक बैंच हो, या ज्यादा हों, ज्यादा हों तो कहां-कहां पर हों, और दूसरे ऑफिसेज़ वगैरह जो शिफ्ट किये जा सकते हैं, उनके बारे में कमेटी विचार करके निर्णय दे। जैसा मैंने निवेदन किया इस कमेटी ने अलग-अलग जगह जाकर इस सम्बन्ध में राय एकत्रित करने का प्रयत्न किया और राय एकत्रित करने के बाद जो कुछ इस कमेटी ने निर्णय दिये हैं, वे भी इस रिपोर्ट के, जो कि माननीय सदस्य देख चुके होंगे, पेज ४३ पर उन्होंने दिये हैं, चेप्टर आठ के अन्दर, जिसके द्वारा कमेटी ने यह कहा है कि राजधानी जयपुर में हो, उसके अलावा हाई कोर्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की एक ही सीट हो, और वह जोधपुर के अन्दर हो, और अजमेर में पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड ऑफ हायर सेकन्डरी एज्युकेशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के दफ्तर भेजे जायं। इस निर्णय के प्रकाशित होने के बाद राजस्थान के अन्दर स्वभावतः अलग-अलग जगह अलग-अलग प्रतिक्रियायें हुईं, खास तौर से जयपुर और जोधपुर के अन्दर इस प्रश्न को लेकर काफी वाद—विवाद सा, अध्यक्ष महोदय, छिड़ा हुआ है। हम लोगों ने इसके सम्बन्ध में यह उचित समझा कि इस विषय को हम इस सदन के अन्दर भी चर्चा में लायें कि जिसकी वजह से माननीय सदस्यों की राय इस सम्बन्ध में मालूम हो सके और गृह मन्त्रालय को एक निर्णय पर पहुँचने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। वैसे ऐसे प्रश्न के लिए मेरी यह मान्यता है कि ऐसे प्रश्न मेरिट्स पर तय किये जाते हैं। एक्सपर्ट कमेटी को कायम करने के अन्दर भी खास प्रश्न यह था कि कमेटी सारे पहलुओं पर विचार करे। उन्होंने सारे पहलुओं पर विचार किया और विचार करके रिपोर्ट दी लेकिन जो रिपोर्ट सदन के समक्ष है वह एक सिफारिश के तौर पर है; एक अवार्ड के तौर पर नहीं है जिससे जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, और जिस पर हम चर्चा न करें और सब पहलुओं पर विचार विनिमय न करें। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की जानकारी में है, कि देश में जब कि हमारे सामने राज्यों का पुनर्गठन का प्रश्न था, उस वक्त भी एक एक्सपर्ट कमेटी कायम की गई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने सारे देश के अन्दर राय प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जो भारतीय संसद है, उसमें, अलग-अलग राज्यों की विधान सभाओं में और अलग-अलग संस्थाओं के अन्दर इस प्रश्न पर विचार—विनिमय किया गया क्योंकि एक सही तरीके के जनतन्त्र के अन्दर हमें एक दूसरे के विचार जानने चाहिए, इस बात का प्रयत्न करें कि अगर हो सके तो जो विचारों में मतभेद है, उसके विचार करने के बाद दूर करके एक राय हो जाय, अगर एक राय नहीं हो पाते हों, तो कम से कम जो तथ्य हैं, जिनके पक्ष में दलीलें हैं, उनको भी पूरी तरह से जान सकें, जिससे निर्णय पर पहुँचने में सुगमता हो। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, यह सही है कि हमने अब तक इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया है। कुछ क्षेत्रों में यह ख्याल किया जाता है कि हम निर्णय न लेकर, इस सदन के अन्दर इसे वाद—विवाद का विषय जान बूझ कर बनाना चाहते हैं लेकिन यह बात ठीक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, अगर यह कहने लगे तो भारत सरकार ने जो एक्सपर्ट कमेटी बैठायी थी। इस बात के लिए कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, उस कमेटी की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता और चर्चा न करते तो हमारे लक्ष्य का यह आधार है कि इस प्रश्न को उलझाना नहीं है, क्योंकि उसमें हर किसी को लाभ भले ही हो, जहां तक सरकार का प्रश्न है, उसको कोई लाभ नहीं हो सकता कि किसी एक जगह या दूसरी जगह वातावरण क्षुब्ध हो। इसलिए शासन की जिम्मेदारी है, और उसका सबसे बड़ा अगर लक्ष्य हो सकता है तो यह हो सकता है कि शांत वातावरण रहे, ठीक स्थिति रहे और उसी दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम विचार विनिमय का अवसर देते हैं तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसका मतलब जनता में यह हो कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करके अगर हम किसी प्रश्न के निर्णय पर पहुँचते हैं तो वह उचित होता है। यह प्रश्न इसी प्रकार का है कि जिसके अन्दर भावनायें भी बढ़ सकती हैं, उत्तेजित हो सकती हैं। मैंने सदन के बाहर और यहां पर भी यह निवेदन किया और आज भी करना चाहता हूं कि यह प्रश्न दरअसल इस प्रकार का है कि जिसके अन्दर भावावेश में आकर विचार करने का प्रश्न नहीं है, ठीक दृष्टि से विचार करने का है कि हमारा जो राजस्थान अलग अलग रियासतों से बन कर कायम हुआ है, एक हुआ है, उसके अन्दर सब जगह लोगों के अन्दर शांति हो, सब जगह लोगों में विचार पैदा हो कि राजस्थान हमारा है, वे सारे राजस्थान के लिये हैं, सबकी सुख सुविधा के लिये है और अधिक से अधिक हम संतुष्ट कर सकते हैं राजस्थान का, उसका प्रयत्न करें....

मैं इस अवसर पर अधिक चर्चा के अन्दर नहीं पड़ना चाहता, माननीय अध्यक्ष मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यही दख्वांस्त करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को इसी गम्भीरता के साथ हम चर्चा में लायें, हम किसी भावावेश में नहीं पड़ें। आखिर हम जो कुछ चर्चाएं यहां करते हैं उसका असर राजस्थान के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है और खास तौर से जो सम्बन्धित स्थान हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसलिये जो कुछ हमें कहना है गम्भीरता के साथ शांति से तथ्यों के आधार पर हम अपनी बातें यहां रख सकते हैं ताकि समझने में और निर्णय पर पहुँचने में आसानी हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे हम यहां पर वोट नहीं ले रहे और जिस विषय को हमने भारत सरकार के गृह मन्त्री जी को सौंपा है, जो गृह मन्त्रीजी हैं हमारे वे जो कुछ इसके बारे में निर्णय लेंगे वह ऐसा निर्णय होगा जो हम लोगों को मान्य होगा, और उस निर्णय को मानना भी चाहिये क्योंकि आखिर प्रश्न कहीं न कहीं तो हल करना है। आखिर यह प्रश्न भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के सामने दो साल पहले इस लिये रखा था कि हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं तो उनके सामने रखा। जो रिपोर्ट आई है उस पर बहस इस तरीके से करें कि गृह मन्त्रालय को इस रिपोर्ट पर जो हमारी विचारधाराएं, विचार धाराओं से मेरा मतलब दलीलों से है दलीलें महत्व रखती हैं बमुकाबिले वोट के, ऐसे मामलों में दलीलें बहुत असर रखती हैं। ऐसे मामलों के अन्दर निर्णय लेने के लिये बहुत सी बार वोट अच्छा तरीका नहीं होता।

री-ओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद जो हाई कोर्ट के बारे में निर्णय किया गया, उसके पीछे यह बात थी कि सारे तथ्यों को रख कर तटस्थ दृष्टि से गृह मन्त्रालय इस पर सोच सकता है, वह सोचे। इसीलिये हमने कहा था कि हमको उन तथ्यों पर सुन लिजिये और सारी स्थिति का अध्ययन कर लीजिये और फिर निर्णय लीजिये। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है, गृह मन्त्रीजी से कुछ लोग मिले हैं तथा और भी दूसरे गृह मन्त्रीजी से मिलने वाले हैं, जो वह तथ्य रखते हैं, उन्हें यहां रखा जायगा, उन सब बातों पर हमें यहां विचार करेंगे। हम कुल मिला कर स्पष्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राय जाहिर करें और फिर निर्णय हो वह हमें मान्य होगा। यह प्रश्न नहीं आता कि उस निर्णय को नहीं मानने का प्रश्न आता हो।

तो इस भूमिका के आधार पर इस प्रश्न को देखना चाहिये और किसी प्रकार की तेजी लाने का या दूसरों को उभारने का प्रयत्न इस विषय को लेकर नहीं करना चाहिये। यह विषय सरकार और गैर सरकारी पक्ष का नहीं है, इसमें सब लोगों की दिलचस्पी है, सब लोगों का विचार है, सब लोग अपनी अलग अलग राय इस मामले में रखते हैं तो हमें इस तरह इस पर विचार करना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर बहुत सारे प्रश्न हल हो गये हैं, यह भी हल हो जाय।

यह भी समझ कर चलना चाहिये कि आज हाईकोर्ट के सवाल को ले कर चलना चाहिये कि आज सबसे ज्यादा वादविवाद हाई कोर्ट के सवाल को लेकर चलता है और हाईकोर्ट का सवाल अन्त तो गत्वा राष्ट्रपतिजी द्वारा तय होगा। यहां हम अपनी रायजा हिर करते हैं, उस पर गृह मंत्रीजी विचार करके जो अपनी रिकमन्डेशन होंगी, वह राष्ट्रपति जी के सामने रखेंगे, और फिर निर्णय होगा।

तो मुझे आशा है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न को इसी गम्भीरता के साथ लिया जायगा और इस पर तथ्यों के आधार पर वाद विवाद किया जायगा। इससे ज्यादा इस प्रश्न पर इस समय मुझे कुछ नही कहना है। आवश्यकता हुई तो बाद में कहूँगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष इस कमेटी की रिपोर्ट के पेज ४० पैरा १३२ में माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो राय समिति से बात हुई, उसका उल्लेख है, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कि इस रिपोर्ट के उद्धरण से पता चलता है इस प्रकार की संभावना प्रकट की है, कि जब तक सारे भारत के बेसिस पर हाई कोर्ट्स को इन्टीग्रेट करने की पॉलिसी को अख्तियार नहीं किया जा कर जयपुर से हाईकोर्ट की बैंच को हटाया जायगा तो पब्लिक एजीटेशन होगा। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि उन्हें इस पब्लिक एजीटेशन का एप्रीहेन्शन किस प्रकार हुआ, यह स्पष्ट कर दें ताकि उनकी सोर्स और इन्फॉर्मेशन पर बहस करने में सहूलियत हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इसके सम्बन्ध में जो कुछ रिपोर्ट में है उसके अलावा कुछ नहीं कहना है।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा, श्री श्रीभानसिंह आदि अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष, . .

श्री श्रीभानसिंह : दो सदस्य और बोलने के लिए खड़े हुये हैं . .

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान् पहले मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे पहले बोलने का मौका दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : He is a mis-guided missile from Ajmer.

Page No.50

श्री बृजमोहनलालशर्मा : I am guiding the House. You are mis-guiding it, as you are briefed, I knowit for certain.

श्री श्रीभानसिंह : I would again repeat that he is a mis-guided missile from Ajmer.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It makes no difference to him. He is accustomed to such things.

श्री अध्यक्ष : Order, Please.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमान्, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बतलाया वास्तव में हमारे सामने राव कमेटी की रिपोर्ट आई है वह एक गम्भीर प्रश्न है और विशेषकर राजस्थान के लिये यह प्रश्न दूसरी बार फिर से शुरू हुआ है और इस प्रश्न को रीओपन कर दिया गया है। तो हमें इस पर विचार करना है कि वास्तव में राजस्थान की जनता क्या चाहती है और राजस्थान के हित में क्या है? इससे पहले कि मैं कुछ इस रिपोर्ट पर अपने विचार प्रगट करूं, मैं यह ठीक समझता हूं कि इसकी पृष्ठ भूमि के सम्बन्ध में याने किन परिस्थितियों में राव कमेटी का निर्माण हुआ और भारत सरकार ने बावजूद इसके कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन के द्वारा शिफारिश की गई, भारत के हर प्रश्न पर निर्णय अच्छी तरह से ले लिया गया और कोई प्रश्न ऐसा नहीं रह गया कि जिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन की सिफारिशों के पश्चात् और भी उसके अन्तर्गत कोई और विचार करने की, कोई एक्ट बनाने की आवश्यकता हो, कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहा जो तय नहीं किया गया हो। तो फिर क्या कारण था कि भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया कि इस प्रश्न को एक एक्सपर्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिये। अजमेर का कहना था कि विशाल राजस्थान के निर्माण के समय अजमेर पार्टी नहीं थी अतएव उस समय के कोई निर्णय उस पर लागू नहीं हो सकते। अजमेर के विलीनीकरण के समय दो पार्टियां थीं, उस समय दो दल थे, दो सरकारें थीं। उनकी राय थी कि इस प्रश्न पर केपिटल और हाई कोर्ट के प्रश्न पर दुबारा गम्भीर विचार होना चाहिये। अजमेर ने पहले भी कहा था कि हमें राजस्थान में मिलाना चाहिये, अजमेर ने मांग की थी। राजस्थान का विलीनीकरण हुआ तब राजस्थान से अजमेर को अलग रखा गया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज सदन के माननीय सदस्यों की यह भावना है कि जिस समय अजमेर को मिलना चाहिये था उस समय नहीं मिलाया, समस्त राजस्थान का विलीनीकरण हुआ उस समय अजमेर राजस्थान से अलग रखा गया इसलिये इस पर दुबारा विचार हो। यह बात बिल्कुल मिथ्या है कि अजमेर नहीं मिलना चाहता था। राव कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इसका निराकरण किया गया है कि अजमेर उस समय पीछे नहीं था। एक बार नहीं तीन दफा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेन्सेज़ करके अजमेर को मिलाने का निश्चय किया गया। एक दफा अजमेर में, दूसरी दफा ब्यावर में और तीसरी मर्तबा माऊ में, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेन्सेज़ हुई और १९४७ में तय किया कि हमें राजस्थान में मिला देना चाहिये, पर दुर्भाग्य से या किसी ताकत के, किन्हीं शक्तियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में नहीं मिलाया गया। सरदार पटेल के भाषण से जो उद्धरण दिये गये हैं,

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

जो मैं अभी पढ़ कर सुनाऊंगा, उससे साफ है, उन्होंने कहा है कि मुझे यह सबक सीखने को मिलता है कि अजमेर की जनता जो आज तक अलग रही, राजा महाराजाओं के राज्य में जो कभी नही रही, जो देशी राज्यों की जनता दोहरी गुलामी में रही उस तरह दोहरी गुलामी में नहीं रही, वही अजमेर की जनता, वहां की कांग्रेस कमेटियां एवं प्रतिनिधि संस्थाएं प्रस्ताव पास करती हैं कि हमें देशी रियासतों के साथ मिला देना चाहिये। मैं उन उद्धरणों को बताना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी मौका नहीं आया है कि अजमेर को राजस्थान में मिलाया जाय। वह समय आयेगा जब राजस्थान की जो मशीन है, विभिन्न रियासतों को मिलाया गया है, उनकी गाड़ी ठीक तरह से चलने लगेगी, कब मौका आ सकता है, उस समय इस पर विचार कर सकते हैं। इसलिये सरदार पटेल ने उस समय कहा था: "Along with Delhi goes the question of Ajmer, and my friend who is the sole representative of Ajmer says several Congress Committees have passed resolutions for merger of Ajmer into Rajasthan. Now, Congress Committees were never expected after so long a period of struggle for liberty to learn the lesson of going under Indian Princes, after attaining liberty, and to merge free areas of the country into their territories. This seems to be a new lesson they have learnt after so much sacrifice. But I feel hesitation in pursuading the Government of India to accept that position. Therefore, I have to say for God's sake, wait a little. Let me see how Rajasthan and new set up there which is called Greater Rajasthan, and its machine functions. I have to say, so, because it is not an easy thing. Greater Rajasthan is unknown in the history of India. We have seen bits of Rajasthan all over history but this kind of Rajasthan is a new experiment."

तो श्रीमान् मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अजमेर के प्रति यह अभियोग लगाया जाता है कि अजमेर के लोग राजस्थान में मिलने को तैयार नहीं थे, यह सही नहीं है, हम चाहते थे कि हमें राजस्थान में मिलाया जाय और राजस्थान प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने १५ फरवरी १९४९ में यह तय किया था कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाय, उस समय अगर अजमेर को मिला दिया गया होता तो अजमेर के साथ जो आज अन्याय हुआ है वह नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय अजमेर के पास अपनी कोई सरकार नहीं थी, चीफ कमिश्नर साहब थे, हो सकता था वे कोई व्यक्तिगत रूप से राय नही दे सकते थे, वे सरकार द्वारा नियुक्त सिविल सर्वेन्ट थे, उनकी राय की कोई कीमत नहीं हो सकती थी पर जहां तक जनता द्वारा मान्य संस्थाएं थीं, कांग्रेस की संस्था थी उन्होंने तीन चार कहा कि हम राजस्थान के साथ मिलना चाहते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से सरदार पटेल से मिले और उनसे कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं तो सरदार पटेल ने कहा कि गाड़ी को पटरी पर आने दो हम राजस्थान में मिला देंगे। परन्तु उस समय सर्वत्र चर्चा थी कि जयपुर का ही चीफ मिनिस्टर होगा, जयपुर

Page No.52

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

का ही राजप्रमुख होगा, जयपुर ही राजस्थान की राजधानी होगी, श्री मेनन ने ऐसा लिखा भी है। इसलिए अजमेर के साथ आज अन्याय किया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राव कमेटी ने आॅर्ग्यूमेंन्टस दिये हैं. आॅर्ग्यूमेंट्स देने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस प्रश्न को मेरिट्स के आधार पर तय करना है, वह कोई राजनैतिक पाॅलिटिकल आधार पर तय नहीं करना है। वह कमेटी समस्त राजस्थान में घूमी और उन्होंने लिखा कि क्षेत्रीय व राजनैतिक भावनाओं से ओत प्रोत होकर हमें अपनी राय जाहिर नहीं करनी है, उन्होंने कहा कि हमारे सामने दो कन्सीड-रेशन हैं, राजस्थान की सरकार के हित में और राजस्थान की जनता के हित में हमें इन प्रश्नों को हमेशा के लिए तय करना हैं, बार बार इन प्रश्नों को लेकर झगड़ा होता है। हम हमेशा के लिये इस झगड़े को तय कर देना चाहते हैं पर जिस निष्कर्ष पर पहुँचे मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये आॅर्ग्यूमेंटस नहीं दिये होते और साफ साफ यह कहते कि पाॅलिटिकल रीजन्स के कारण से यह कर रहे हैं, यह हुआ होता तो मुझे यहां पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे ओन मेरिटस इस बात का क्लेम करते हैं, मेरिट्स के आधार पर गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया को रिकमन्डेशन्स करते हैं. ऐसा क्लेम करते हैं पर वास्तव में उन्होंने पाॅलि-टिकल कन्सीडरेशन पर यह निर्णय दिया है।

पहले उन्होंने इस बात को कहा है, जो सरदार पटेल का उद्धरण पढ़ कर सुनाया उसमें उन्होंने लिखा था कि इस समय अजमेर को अलग रखना है और उन्होंने कहा कि जो सरदार पटेल का डिसिज़न था वह बिल्कुल ठीक था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि सरदार पटेल का जो फैसला था वह ठीक था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का फैसला ठीक था तो बाद में आप दूसरी बात क्यों कहते हैं? It was wise on behalf of Sardar Patel to have come to the conclusion that Ajmer should be kept seperate and today they have come to the conclusion that it is wise not to shift the capital from Jaipur to Ajmer. Why?

आज फैसला वाज़िब नहीं, आज दोनों चीज़ों में कन्ट्राडिक्शन होता है, आप खुद ही एक जगह कहते हैं कि पटेल साहब का फैसला था वह वाज़िब था और दूसरी जगह आॅर्ग्यूमेंट रखा कि अजमेर अब राजधानी नहीं बन सकता। एक जगह कमेटी कहती है कि यह सही कहा गया कि आठ वर्षों में जो कुछ एमीनिटीज़ और फैसिलिटीज़ तथा जो बिल्डिंग्स जयपुर में बनी है, उसे राजधानी का निर्णय करते समय ध्यान में नहीं रखना चाहिये परन्तु प्रतिवेदन के पैरा ९७ में कहा कि अब राजधानी का हटाना बुद्धिसंगत नहीं होगा क्यों कि जयपुर में काफी रुपया खर्च हो चुका है। वास्तव में आठ वर्ष में जो कुछ यहां हुआ उसके ग्राउन्ड्स को हमें कन्सी-डरेशन में नहीं लाना चाहिये। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो पटेल कमेटी ने राय रखी हम उससे सहमत हैं और फिर कहते हैं कि हम फिर से सोचकर गुण व गुणों पर निर्णय दे रहे हैं और कहा कि जयपुर में अजमेर से ज्यादा बिल्डिंग्स है, पानी भी यहां ज्यादा है, इसलिये हमें इस भांति के नतीजे पर पहुंचना पड़ता है। एक तरफ पर कहते

Page No.53

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

हैं कि सरदार पटेल ने फैसला किया यह ठीक है और दूसरी तरफ कहते हैं कि जयपुर में आज जो तरक्की हो चुकी है, फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं इसलिये केपिटल जयपुर से शिफ्ट कर के अजमेर नहीं ले जाई जा सकती। यह कौनसा न्याय है ?

तीसरी बात जिससे साफ विरोधाभास टपकती है वह यह है कि रिपोर्ट के लास्ट पेरेग्राफ़ में लिखा है कि यहां से रेवेन्यु बोर्ड को हटाकर अजमेर ले लाना चाहिये क्योंकि बहुमत इस बात के लिये है। अगर बहुमत के आधार पर ही ये प्रश्न तय करने थे तो इस कमेटी के बनाने की आवश्यकता नहीं थी और यह नहीं कहना चाहिये था कि हम मेरिट्स पर फैसला करेंगे। न तो मेरिट्स के आधार पर फैसला किया और न बहुमत मालूम करने के लिये कोई कार्यवाही करके बहुमत के आधार पर फैसला किया। अगर बहुमत मालूम करना था तो हम यह मांग सरकार के सामने रख सकते थे कि इन प्रश्नों के बारे में प्लेबिसाइट होना चाहिये, या दूसरा तरीका इसके लिये होना चाहिये, समस्त राजस्थान की जनता की राय इस पर ली जानी चाहिये। पर जहां तक दलीलों का सवाल है, एक दलील आप देते हैं तो आपकी दूसरी दलील उसके खिलाफ़ जाती है। बहुमत का फैसला मेरिट्स के आधार पर नहीं होता, डेमोक्रेसी में यह एक चीज़ है कि ऐसे प्रश्नों पर मेजोरिटी कन्सिस्ट्स ऑफ़ फूल्स, तो मैं उन शब्दों को दुबारा नहीं दोहराते हुए यही कहूंगा कि जहां पर कि भावना से मनुष्य प्रेरित हो, वहां बुद्धिवाद का प्रश्न नहीं होता। मैं इस वक्त सदन के सामने इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं कि बहुमत किधर हो रहा है, यह नहीं कि सदस्यों की राय किधर होगी। आज सब ओर से भागदौड़ हो रही है एक विचारधारा के व्यक्ति दूसरी विचारधारा के व्यक्तियों को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरिट्स के आधार पर इसे तय करना चाहिये। इसलिये मैं यह राय रखता हूं कि चाहे बहुमत की राय किधर ही हो पर आप सब सारे तथ्यों को सामने रखेंगे। आपकी राय भावनाओं से प्रेरित नहीं हो, या भावनाओं से दबी हुई न हो। सदन के पूरे माननीय सदस्य इन बातों को सुन कर अपनी राय को बदलेंगे जिस समय सदन के सामने आप राय ज़ाहिर करेंगे तो इन्हीं भावनाओं का असर होगा।

यदि मेरिट्स के आधार पर करना है तो मैं पूछना चाहता हूं कि राव कमेटी के सदस्यों ने कहा कि बहुमत के आधार पर तीनों दफ्तरों के भेजने की बात क्यों कही ?

१० म. पू.

मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कमेटी के सदस्यों ने राजस्थान में इस प्रकार का पासा फैंक दिया और ऐसा पासा फैंका है कि जैसा शतरंज और चौपड़ का पासा होता है कि जिससे यहां की जनता आपस में बैठी-बैठी लड़ती रहे। यहां के प्रश्न को सदन तय करे। उन्होंने तो पासा फैंका है कि सब लोग आपस में लड़ते रहें, नहीं तो जोधपुर हाई कोर्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसको क्यों छेड़ा गया। जोधपुर की तरह से कोई मांग नहीं थी। व्यासजी के भी विचार मैंने पढ़े जो पत्रों में प्रकट किये गये और इसके अलावा जिस समय उन्होंने अन्तिम निर्णय कमेटी के निर्माण का लिया उस समय भी मैं

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

मौजूद था। मैं वहां पर हर स्टेज पर मौजूद था। इसलिये मैं कह सकता हूं कि न तो उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और न किसी दूसरों ने इस प्रश्न को उठाया था। कोर्ट का प्रश्न जोधपुर में किसी ने नहीं उठाया। न यह कि जयपुर बैंच को जोधपुर ले जाया जावे। सवाल यह था कि केपिटल को जयपुर से अजमेर ले जाया जावे या हाई कोर्ट की ब्रांच अजमेर में रखी जावे या नहीं। इसके लिये प्रश्न चल रहा था।

श्रीमान् मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता था कि हम आपस में बैठ कर इस मसले पर विचार कर तय कर लेते। आदरणीय पंतजी की भी यही इच्छा थी। उस दिन रात को उन्होंने यही कहा था, दूसरे दिन इसकी रूप रेखा सामने थी उस समय जब बातचीत का दौरान में मुख्य मुख्य प्रश्न लगभग तै हो चुके थे। यदि उस समय आपस में बैठ कर इन प्रश्नों को अन्तिम रूप दे देते तो मुझे विश्वास था कि अजमेर को बहुत ज्यादा इससे फ़ायदा होता। लेकिन भावी का योग है। हमारे नेताओं ने इन्हें कमेटी के सुपुर्द किया चौबेजी छब्बेजी बनने गये लेकिन दुबे ही रह गये।

श्री चन्दनमल वैद : We are very sorry for you.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : You need not express it. कहने का मतलब यह था कि यह प्रश्न नहीं था। कमेटी ने बिना किसी कारण यह प्रश्न उठाया, खामख्वाह जो शान्ति बनी हुई थी उसको भंग किया, भूचाल पैदा किया, ऐसी स्थिति पैदा की कि जो भावना शान्त हो चुकी थी उस भावना को उभाड़ा जा रहा है। इसलिये मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इसको मेरिट्स पर देखें। क्या कारण है कि इसको नहीं देखा जाता और किन चीज़ों पर राजधानी का प्रश्न तय होता है। मुझे खुशी कि राव कमेटी ने सात क्वचन्स बनाये हैं। यदि आप उनको देखें तो मालूम होगा कि मेरिट्स सर्वोपरी हैं और यदि मेरिट्स पर ही भारत सरकार तय करेगी तो मुझे विश्वास है कि उनका फैसला हमारे खिलाफ नही जा सकता। उन्होंने पैरा ६५ में लिखा है।

"In this connection we would commend an instructive discussion of the principles governing shifting of capital by Prof. Arnold J. Toyanbee in his 'Study of History'. The following seem to be the relevant factors:

1. The administrative convenience, that is, its geographical situation and good facilities for communication." श्रीमान्, इस रिपोर्ट में भी इस प्रश्न को माना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स का जहां तक प्रश्न है, अजमेर राजस्थान के मध्य में है और मध्य में होने के कारण कमेटी भी इस बात को स्वीकार करती है कि अजमेर कम्युनिकेशन्स के कारण बाई रोड एन्ड रेल मध्य में पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स यहां ज्यादा होगी चाहे बीकानेर के निवासी हों, चाहे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के निवासी हों। इन सब के लिए अजमेर नजदीक में रहेगा।

दूसरा प्रश्न आता है।

"(2.) The existence of a nucleus

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

of State-owned buildings and private buildings for rent to provide accommodation for Government offices. The accommodation required in a capital for the purpose of the Government would comprise, inter alia, buildings for the offices of the Secretariat, a big hall for the meetings of the Assembly, buildings to locate the offices of the numerous departments of the Government, residential accommodation for the Governor, Ministers, officers and the staff of the Government,"

श्रीमान्, बिल्डिंग्स के लिए मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । मुझे यह बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि कमेटी ने इस विषय में तथ्यों को छिपाया है । जो चित्र नक्शा जयपुर के लिये कमेटी ने खींचा है वैसा ही नक्शा यदि अजमेर के बारे में भी खींचा जाता तो मुझे विश्वास है कि कमेटी वास्तविकता को ओझल नहीं बना सकती थी । लेकिन कमेटी ने एक नाप जयपुर के लिये रखा है और दूसरा नाप अजमेर के लिए रखा है । जो प्लिन्थ एरीया कमेटी ने दोनों जगहों का बताया है, उसमें तथ्यों को काफी छिपाया गया है । प्लिन्थ एरीया अजमेर का बताया है ३ लाख ६ हज़ार और जयपुर का बताया है १० लाख । इस एरीया में जो जयपुर महाराजा की बिल्डिंग्स हैं, उनको रखा है । अजमेर में सन् ४६ के बाद २४ लाख रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया बताया, जब यह कहा गया है कि जयपुर में १ करोड़ १६ लाख रुपया खर्च किया गया है । उन्होंने साथ ही में यह भी बताने की आवश्यकता महसूस की कि स्टेट ने सहायता की, बिल्डिंग्स बनी, और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनायी, उसकी फिगर्स उन्होंने ३ करोड़ बतायी है । श्रीमान्, अजमेर का नक्शा खींचा, अजमेर को तोलने लगे, न्याय के नाम पर मेरिट्स के नाम पर, राजस्थान के हित के नाम पर अजमेर को तोलने लगे तो यह ख्याल नहीं आया कि वहां की सरकार ने सहायता देकर बिल्डिंग्स बनायी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनायी, यदि उसी न्याय में सोचती तो कह सकते थे । आपने कहा कि प्राइवेट ओनर्स की बिल्डिंग्स को कैसे लेंगे ? क्या प्राइवेट ओनर्स ने सरकारी संस्थाओं को बनाने में खर्च किया है ? कब खर्च किया है, श्रीमान्, मुझे इसके पिछले इतिहास को बताना पड़ेगा । इतिहास इस बात को बताता है, श्रीमान् की जब युद्ध चल रहा था, बर्मा के अन्दर जापानी लोग आ चुके थे, कलकत्ता के पैसे वाले लोग जो जयपुर रियासत के रहने वाले थे, जिन्होंने कलकत्ता में बिल्डिंग्स बना ली थी, वे कलकत्ता से भागे और उन्होंने यहां आकर बिल्डिंग्स बनायी । They have taken it into consideration. परन्तु श्रीमान् दस वर्षों में प्राइवेट लोगों ने वहां भी काफी बिल्डिंग्स बनायी हैं, उनको कन्सीडरेशन में लेते । उनके न्याय का तराजू हाथ में था, आवश्यकता इस बात की थी कि वे इस बात का पता लगाते कि अजमेर में प्राइवेट ओनर्स ने कितनी बिल्डिंग्स बनायी हैं । उन्होंने कहा कि यदि नई राजधानी भुवनेश्वर या चंडीगढ़ की तरह बनानी होती तो अजमेर राजधानी बनाने पर विचार किया जा सकता है । परन्तु क्या अजमेर चण्डीगढ़ की तरह है । चण्डीगढ़ बिल्कुल नया बसाया जा रहा है जब कि अजमेर

Page No.56

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

सदियों से बसा हुआ है । उदयपुर के आंसू पोंछने के लिए कह दिया "There is good case for shifting capital to Udaipur even, if there had been certain factors. श्रीमान्, मैं सदन को बताना चाहता हूं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमान्, मुझे अभी इस पर कुछ कहना है । आखिरकार अजमेर का प्रश्न है । मुझे थोड़ा कहने का अवसर दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर का प्रश्न नहीं, सारे राजस्थान का प्रश्न है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : घबराइये नहीं, आपको भी कहने का मौका मिलेगा ।

श्रीमान् आज अजमेर का प्रश्न चंडीगढ़ का प्रश्न नहीं है । वह सवाल तो केवल दो हज़ार आदमियों का था, जहां वे रहते थे । इस में अजमेर के प्रश्न को गौण रखा गया है । अजमेर पर जब विचार किया गया जो राजस्थान के नक्शे से अलग रख कर विचार किया गया । रिपोर्ट में लिखा गया है । Jodhpur is the second largest town of Rajasthan. मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा आंकड़े दिये गये ।

(विराम)

श्रीमान् मैं चण्डीगढ़ भूवनेश्वर और जोधपुर के लिए कह रहा था जोधपुर को एरिया की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर और दूसरे स्थान बड़े हो सकते हैं, जिसके कारण एरीया ज्यादा हो, मनुष्य गणना की दृष्टि से देखें तो अजमेर की आबादी १,६६ हज़ार की बतायी लेकिन एट प्रजेन्ट देखा जाय तो २,१६ हज़ार है और जोधपुर की १,८० हज़ार है । अतः अजमेर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है कि जोधपुर । जोधपुर से ज्यादा आबादी अजमेर की है । लेकिन समझ में नहीं आता कि दो चित्र खींचे है जयपुर और अजमेर के अलग–अलग, इस बात को बिना ध्यान में रखते हुए कि अजमेर भी एक शहर है, उसके भाग्य का भी निर्णय करना है, उसको ध्यान में न रख कर इस चीज़ को रखा है । श्रीमान्, मुझे कहने की आवश्यकता इतनी ही है कि जब भुवनेश्वर और चण्डीगढ़ का नवीन निर्माण किया गया वहां अजमेर के नवीन निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, अजमेर तो आज से नहीं हजारों वर्ष पहले राजधानी के लिये निर्मित हो चुका है । आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा अजमेर का किसी भी समय को ले लीजिये क्या शानदार इतिहास रहा है । अगर हम इतिहास और मेरिट्स का आधार मानकर चलते हैं और उसी आधार पर तय करने की बात है तो राव कमेटी ने जो निर्णय लिया उसमें ऐसा आभास मिलता है कि उनके सामने ये आधार न होकर केवल पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स ही उनके सामने थे और उसी के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी । अगर हम १ हज़ार वर्ष पहले के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर को राजधानी बनाया । उस समय अजमेर न केवल राजपूताने की ही केपिटल थी बल्कि सारे हिन्दुस्थान भर की राजधानी थी । एडवर्ड थॉमस जो प्रसिद्ध इतिहास कार हुए हैं उन्होंने अजमेर के बारे में लिखा है : "At that time even Delhi was reduced

Page No.57

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

to a king-ship, subject to Ajmer." इसके अलावा मुगल एम्पायर को ले लीजिये। उस समय अकबर का संबन्ध ज्यादा जयपुर से था अकबर बादशाह यहां रह जाते। लेकिन इतिहास को उन्होंने भी नहीं भुलाया और अजमेर को ही सूबेकी राजधानी के रूप में माना। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से ज्यादा संबन्धित होते हुए भी उन्होंने जयपुर को केपिटल न बनाकर अजमेर को ही रखना उचित समझा।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है अब आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has damaged the cause of Ajmer.

श्री अनोपसिंह : आप तो चौपड़ पर जाकर भाषण करिये।

श्री बृजमोहन शर्मा : यहीं सुना देता हूँ, वह तो आपके लिये स्थान है जहां पर जाकर आप कहेंगे ही कि हमने आप लोगों के लिये यह किया। बादशाह अकबर जो थे उन्होंने भी अजमेर को ही सूबे की राजधानी चुना। जहांगीर के इतिहास को लीजिये उसने भी अजमेर को समर केपिटल बनाया। जहांगीरी में उन्होंने लिखा है, दूसरे स्थान होते हुए भी, यहां तक कि जोधपुर में उनका ननेरा था वहां वे राजधानी बना सकते थे उनके सामने ननेरे का प्रश्न नहीं आया बल्कि उन्होंने उपयुक्त स्थान को देखकर ही समर केपिटल अजमेर ही को रखना पसन्द किया।

अब मैं श्रीमान्, आपका ध्यान कर्नल टाड द्वारा लिखित इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं उन्होंने भी अजमेर के लिये लिखा है कि यह राजपूताना की कुंजी है। राजपूतों के इतिहास को लीजिये मरहठों के इतिहास को लीजिये उन्होंने भी एम्पायर्स बनाने की फिक्र में अजमेर को केपीटल के तौर पर माना है....

श्री गिरधारीलाल : On a point of information, Sir, माननीय अध्यक्ष, क्या इस बहस के लिये समय निर्धारित है या नहीं एक वक्ता को कितना कितना समय बोलने दिया जायगा, क्या इस बारे में भी आपका आदेश है क्या ?

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह-बीस मिनिट में माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य को बोलते हुए तो आध घंटा करीब हो गया ?

श्री अध्यक्ष : अजमेर से आये हैं इसलिये विशेष रियायत दी गई है।

श्री चन्दनमल वैद : He has hardly taken 25 minutes to damage the cause of Ajmer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is Ajmer a backward area, Sir,

एक माननीय सदस्य : अजमेर बेकवर्ड एरिया ही है।

श्री अध्यक्ष : (श्री बृजमोहनलाल शर्मा से) दो मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट का समय तो बहुत ही अपर्याप्त है···

श्री अध्यक्ष : आप अजमेर से टाड तक तो पहुँच गये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान् इसमें सात इश्यूज़ बताये गये हैं और उन्हीं के मेरिट्स पर यह फैसला दिया गया है कि और उन सातों पर तो मैं कुछ कहना ही चाहूँगा। कम से कम दस मिनिट तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दो मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमान् से लिखा हुआ भाषण ही लीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसके बाद आगे के इतिहास को और लें सर लोथियन ने लिखा है, जो पुस्तक kingdoms उन्होंने लिखा है of yesterday में उसमें यह लिखा है कि यदि सन् १६११ के अन्दर जब राजधानी कलकत्ते से हटायी जाने लगी उस समय यदि अजमेर के बारे में जानकारी होती तो उस समय भारत सरकार के चलाने वाले अजमेर के हक के अन्दर ही फैसला करते। यह उन व्यक्तियों की राय है जिनका सम्बन्ध अजमेर से नहीं था।

स्टेट रिओगनाइजेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके अन्दर यह भी लिखा है कि जिस समय ग्वालियर और इन्दौर का झगड़ा था। उस समय भी जगह जगह की राइवलरी को खत्म करने के लिये उन्होंने निर्णय लिया कि जो सेन्ट्रल प्लेस हो; जैसे भोपाल सेन्ट्रल प्लेस है, उसको मध्यभारत की राजधानी ले जाना चाहिये, यह निर्णय दिया। सन् १६४६ में जो फैसला हुआ उसके अन्दर प्रश्न था कि जो स्थान बीच मध्य में हो राजधानी के लिये उपयुक्त स्थान माना जाय। इस कसौटी पर भी यदि अजमेर को लिया जाय तो वह सही उतरता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Let me summarise Sir.

श्री अध्यक्ष : No, No Your time is over, Hon'ble Member.

श्री बरकतुल्लाखां

(श्री नारायणसिंह मसूदा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Please resume your seat. I have permitted another Member to speak.

श्री बरकतुल्ला खां (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम राव कमेटी की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं तो हमें इसके सारे बेक ग्राउन्ड पर भी जो समय समय पर रहा है और जिसके आधार पर राजस्थान बना उसको भी ध्यान में रखना होगा। किस तरीके से जो पहले कमेटियां बनी उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थीं, उसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिये कि गवर्नमेन्ट की इस सम्बन्ध में क्या क्या पोलिसी रही है और किस प्रकार से गवर्नमेंन्ट पॉवर्स को डीसेन्ट्रेलाइज़ करने में फेल हुई है। इसलिये मैं सब से पहले पटेल कमेटी की जो रिपोर्ट थी और उस पर जो फैसला हुआ है उसका आखिरी

(श्री बरकतुल्ला खां)

समिंग अप पैरा है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। पटेल कमेटी ने जो राय दी उसके अनुसार उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर को ही रखने का कहा। दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट कहां-कहां पर भेजे जांय, उसके बारे में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा; पैराग्राफ '८३' में वह इस प्रकार है :

1. "Jaipur should be made the capital of new Union.

2. The High Court and Excise Department should be located at Jodhpur. The possibility of locating the headquarters of some other departments at Jodhpur should be considered.

3. The question of making Jodhpur the seat of Rajasthan University should also be considered.

The new Government should consider the question of further decentralisation by locating heads of some other departments at other places in the Union."

यह वह एक्सपर्ट कमेटी है जो राजस्थान बनते वक्त बनायी गई थी और जिसकी सिफारिश के ऊपर ही जयपुर को केपीटल बनाया गया। इसके बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट ने उन सिफारिशों को किस हद तक माना, उसके बारे में, राजस्थान सरकार ने २२ जुलाई, १६५० के अन्दर यह ऑर्डर जारी किया कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा जयपुर के अलावा जो डिपार्टमेंट दिये गये थे, उसमें जोधपुर के लिये अकॉउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर।

उदयपुर में—कमिश्नर कस्टम्स एन्ड एक्साइज़, डाइरेक्टर माइन्स एन्ड जिओलोजी

कोटा में— चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़

अलवर—चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन।

भरतपुर में—एक और डिपार्टमेंट के लिए था।

ये वे डिपार्टमेन्ट्स थे जो राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इस रिपोर्ट के ऊपर पुराने केपिटल्स में भेजने का निर्णय लिया था। उसके बाद भी सन् १६५५ के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट का नया ऑर्डर शाया हुआ उसका भी मुलाहिज़ा फरमाइये Letter No. F. 2 (159) GA/A/51 dated 22. 2. 55, issued by the Chief Secy. to the Government of Rajasthan, Jaipur :-

"With a view to reviving the importance of the former capital towns of Rajasthan, as also to relieve congestion in Jaipur, His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that the headquarters of the following heads of departments should be shifted from and established at the places shown below :—

Alwar :— I. G. Prisons. Director of Transport.

Udaipur :—Director of Backward Classes Welfare Department

Page No.60

(श्री बरकतुल्ला खां)

Commissioner, Devasthan Department.

Jodhpur :— Settlement Commissioner.

Director of Medical & Health Services.

Bharatpur :— Director of Agriculture, including the Food Commissioner's office.

Kotah :— Registrar, Co-operative Societies.

It is further ordered that these departments should start functioning at their new headquarters by the first week of April, 1955. The heads of departments should take immediate action in consultation with the Commissioners and Collectors concerned for accommodation."

यह दूसरा ऑर्डर दिया गया। इस ऑर्डर के जरिये यह बताया गया कि राजस्थान के कुछ डिपार्टमेन्ट्स मुख्तलिफ राजधानियों में भेजे जा रहे हैं। पर आज जब हम हालत देखते हैं तो क्या नज़र आता है कि बीकानेर के पास एज्यूकेशन डिपार्टमेंट है, उदयपुर में कमिश्नर एक्साइज़ और टैक्सेशन कमिश्नर, देवस्थान और डाइरेक्टर ऑफ माइन्स और जिऑलोजी विभाग है, अजमेर के पास डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद और जोधपुर के पास हाईकोर्ट है, डाइरेक्टर ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन है और जयपुर के पास ३१ डिपार्टमेन्ट्स।

तो यह वह पॉलिसी है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पर्स्यू की आज तक कभी यह कह कर कि पुरानी राजधानियों की ग्लोरी खत्म नहीं करेंगे, उसको बनाये रखना चाह रहे हैं और कभी कुछ और कह कर। पटेल कमेटी ने सिफारिशें की और इन सिफारिशों को सरदार पटेल ने राजस्थान सरकार के सामने रक्खा और उसे राजस्थान सरकार ने अपनाया इस शक्ल में। इसके बाद वह और डिसेन्ट्रलाइज़ नहीं कर सकी। अब क्यों नहीं कर सकी, यह मालूम नहीं। पर यह जरूर है कि जिस तरह से वेस्टेड इन्टेरेस्टस ने इसमें दिलचस्पी ली और जिस तरह से उन सिफारिशों को अमल में नहीं आने दिया यह सारी जनता जानती है। जनता ने इस स्थिति को बर्दाश्त किया और इसके बाद लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ और वह सवाल पैदा होना जरुरी था कि यह राजस्थान सरकार कहती क्या है और करती क्या है। यह होता क्या है? इसलिये अजमेर के दोस्तों ने जब पहले अजमेर मिल रहा था तो यह फैसला करने से इन्कार कर दिया और होम मिनिस्टरी के पास गये थे। उन्होंने होम मिनिस्टर के पास जाकर गलती नहीं की, क्योंकि उनको धारणा ऐसी बन चुकी थी कि राजस्थान गवर्नमेंट बार बार वादे कर जाती है और बाद में उनको भूल जाती है। पन्तजी के पास जब ये लोग गये तो इसका मतलब यह था कि आप बैठकर हमारा कोई फैसला कर दीजिये। पन्तजी ने बताया कि मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है और न इतना वक्त मिल हो सकता है कि मैं पूरे राजस्थान में घूमूं और लोगों की राय जानूं और इसके बाद कोई फैसला दूँ, इसलिये पन्तजी ने कहा कि मेरे पास तो एक बात है कि मैं कमेटी अपोइन्ट कर सकता हूं। वह कमेटी अपोइन्ट की गई। यह बीच की बात

(श्री बरकतुल्ला खां)

है, जो इस मसले पर पन्तजी को गाइड करे। और इस कमेटी का जो अब फैसला हुआ है इसमें कम से कम, राजस्थान के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं यह मानकर चलना चाहिये।

इसके साथ में और अर्ज कर दूं कि इस कमेटी के बारे में लोगों को यह साफ मालूम था कि इस कमेटी की रिपोर्ट होम मिनिस्टर मन्जूर करेगा। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का हाथ भी कितना जरुरी है कि होम मिनिस्टर साहब को जो राजस्थान गवर्नमेंट एडवाइज़ करेगी उसके मुताबिक होम मिनिस्टर साहब बहुत सी बातें मानेंगे, बहुत सी नहीं मानेंगे। इसलिये राव कमेटी का यह बैक ग्राउन्ड था। उसके लिये इसलिये यह जरुरी था कि जो हज़ारों सालों से सैंकड़ों सालों से मुख्तलिफ राज्यों की कैपिटलें रहीं, उनकी पास्ट ग्लोरी थी उसको किसी तरह से कायम रक्खा जाय इसके लिये उचित रास्ता निकाला जाय। इसके बाद जब राजस्थान बना तो क्यों जयपुर कैपिटल रहती है चूंकि कमेटी ने कह दिया। सब लोगों ने कहा कि जयपुर तरक्की करे, हम इसके साथ हैं। पर यह मालूम नहीं था उस समय कि इतनी बड़ी स्टेट बन जावेगी और पुरानी राजधानियां इस तरह एक के बाद एक झड़ जावेंगी अलवर को कुछ नहीं मिलेगा, भरतपुर को कुछ नहीं मिलेगा, जोधपुर को कुछ नहीं मिलेगा, बीकानेर को या कोटा को कुछ नहीं मिलेगा यह किसी को यकीन नहीं था, बल्कि सब को यकीन था कि एक बड़ी यूनियन में शरीक होजाने के बाद छोटी छोटी पुरानी स्टेटों की कैपिटलों की तरक्की करने का मौका मिलेगा। पर हुआ क्या? जहां कहीं भी किसी डिपार्टमेंट को भेजने की बात की गई वहीं कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट ने काम किया अब यह वेस्टेड इन्टरेस्ट चाहे किसी सरकारी अधिकारी का हो, या पोलिटिशियन्स का हो पर जनता का इसमें कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट जरुर नहीं था।

तो इस तरह से फिर राव कमेटी बनी। अब इसका अपॉइन्टमेंट हुआ तो इसके सामने टर्म्स ऑफ रेफेरेन्सेज़ रक्खे गये। जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्सेज़ रक्खे गये उनको देखने से ज़ाहिर है कि इससे बेहतर टर्म्स ऑफ रेफरेन्सेज़ नहीं रक्खे जा सकते थे। और इसके बाद जो उस कमेटी ने फैसला दिया वह बिल्कुल ज़ाहिर है। उसने कहा कि कैपिटल जयपुर रहनी चाहिये, हाईकोर्ट जोधपुर में रहना चाहिये और हाई कोर्ट की बेन्च नहीं होनी चाहिये और पी. एस.सी. और बोर्ड ऑफ रेवेन्यु और सेकन्डरी एजूकेशनल बोर्ड अजमेर चला जाना चाहिये। यह उनका फैसला हुआ।

यह दो दो कमेटियों का फैसला हुआ। पहले में जोधपुर को हाई कोर्ट मिला, पर इस तरीके से प्रेस किया गया कि एक हाईकोर्ट को दो जगह बिठाया गया जयपुर और जोधपुर में। इसके बाद इस रिपोर्ट के जरिये एक्साइज़ और कस्टम डिपार्टमेंट जोधपुर को मिलने वाला था वह नहीं मिला। इसके बाद ए. जी. का ऑफिस जोधपुर भेजा गया। इसके बाद ए. जी का डिपार्टमेंट सेन्ट्रल सब्जेक्ट बना और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के अन्डर मे यह विभाग आया। इसके बाद यह हुआ कि अब वह डिपार्टमेंट वहां से शिफ्ट किया जा रहा है जयपुर में। स्टेट गवर्नमेंट आसानी से कह सकती है कि चूंकि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है इसलिये इसमें हम

(श्री बरकतुल्ला खां)

इन्टरफीयर नहीं कर सकते। पर मैं अर्ज करूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट कर सकती थी, अब उसने रिप्रेजेन्टेशन किया या नहीं किया यह तो मालूम नहीं पर कर जरुर सकती थी और उस रिपोर्ट के साथ अपना ऑब्जेक्शन भी कर सकती थी कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ए.जी. का ऑफिस कैपिटल से दूसरी जगह पर हो, पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो है, वहां राजधानी लखनऊ है और ए. जी. का ऑफिस आज भी इलाहाबाद में है। इसी तरह से दूसरी स्टेटों के अन्दर भी जहां जहां ए.जी. का ऑफिस है वहां बैन्चेज़ भी दूसरी जगह रही हैं। पर राजस्थान में फिर वही सेन्ट्रलाइजेशन शुरू हुआ और इसके मातहत आज यह आपका ए.जी. का ऑफिस भी जोधपुर से हटाया जा रहा है।

तो ये छोटी छोटी चीजे जब बनती हैं और बनकर केकुलेटिव इफेक्ट जब करती है तो लोगों के दिमाग में भय और डर पैदा होता है और यह भय पैदा होना जरुरी है। हमें उम्मीद थी और जायज तौर से उम्मीद थी कि राजस्थान जब एक हो गया है तो सभी लोगों को और सभी जगहों को तरक्की का मौका मिलेगा। पर होता यह है कि गवर्नमेंट जब खुद कहती हैं कि यह डिपार्टमेंट कोटा को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, यह डिपार्टमेंट अलवर को मिलना चाहिये वह उसे नहीं मिलता, यह डिपार्टमेंट बीकानेर को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता उसे। तो इस तरह से आप टालते जाते हैं। पहले फैसला करते है, फिर उन से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से उन सारी पुरानी केपिटलों की ग्लोरी को खत्म करके उन्हें उजाड़ देना चाहते हैं। आप आखिर क्या करना चाहते हैं।

बड़े बड़े सवाल खड़े किये जाते हैं और आज जो सबसे ज्यादा बहस जिन मुद्दों पर चलती है, वह दो बातों पर चल रही है। एक तो यह कि हाई कोर्ट की जयपुर में बैंच रहनी चाहिये और दूसरा रेवेन्यु बोर्ड अजमेर नहीं जाना चाहिये। आज इस तरह का वातावरण खड़ा किया जाता है कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के द्वारा। यह सही है कि इस सारे वातावरण में जयपुर की जनता की न तो दिलचस्पी है और न वह इनके साथ है और वह इसलिये नहीं है कि राजस्थान की कहीं की भी जनता इस बात के लिये कभी तैयार नहीं होती कि दूसरों का हक छीनें या दूसरों को तरक्की करने से रोकें। जयपुर की जनता चाहती है कि और सब जगहों की जनता को उसका उचित हक मिले। वह जानते हैं कि जयपुर के राजधानी होने से उसने दस सालों में वह तरक्की कर ली है कि जयपुर स्टेट के ज़माने में यह ५०० सालों में नहीं कर सकती थी। जयपुर की जनता ने आजतक इस बात को दिखाया है कि वह राजस्थान के सारे लोगों के हकों के लिये लड़ी है। उनसे जब विद्यार्थियों का सवाल आया तो राजस्थान लेवल पर झगड़े को उठाया। सेल्स टैक्स का झगड़ा हुआ, उसने उसमें भाग लिया और जो सारे राजस्थान के हित में बात थी, उस को आगे बढ़ाया। पर इस बात के लिये जयपुर की जनता ने आज तक कोई पब्लिक मीटिंग नही की, कुछ नहीं कहा। यह तो चन्द थोड़े से वेस्टेड इन्टरेस्ट का खड़ा किया हुआ स्टन्ट है और उसका मुलाहिज़ा फरमाइये आप कि बार–एसोसियेशन के मेम्बर जब

(श्री बरकतुल्ला खां)

लॉ कमीशन के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हाई कोर्ट एक जगह होना चाहिये ।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : यह गलत बात है, साहब ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! आप बार–इसोसियेशन के मेम्बर नहीं हैं ।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : जनता ने कहा ···

श्री **अध्यक्ष** : शोर न कीजिये ।

श्री बरकतुल्ला खां: कौनसी चौपड़ पर मीटिंग हुई, कौनसी जनता ने प्रोसेशन निकाला, कौनसा जनता ने हुक्म निकाला कि भूख हड़ताल करिये और सत्याग्रह करिये । जयपुर की जनता को आप इतनी छोटी न बनाइये । जयपुर की जनता अपने हकों को समझती है दूसरों के साथ न्याय करना जानती है । कैपिटल की जनता पूरे राजस्थान के हकों को समझती है । उसने जब भी कोई सवाल अपने हाथ में लिया है, तो राजस्थान की जनता के सवाल को लिया है । यहां की जनता ने उन वेस्टेट इन्टरस्टेड लोगों का कभी साथ नहीं दिया, जो जयपुर के नाम पर, जयपुर की जनता के नाम पर उसे एक्सप्लोइट करते हैं ।

तो श्रीमान् , जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाई कोर्ट का जहां सवाल आया और जिन साहबों ने सवाल पैदा किया, उन्होंने पहले जयपुर में लॉ कमीशन के सामने यह कहा कि हाई कोर्ट एक जगह होना चाहिये । जब यह रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने कहा कि जोधपुर हाई कोर्ट हटकर जयपुर में आना चाहिये । इसके बाद जो लेटेस्ट स्टेन्ड लिया उसको मुलाहिज़ा फरमाइये । आज वे यह नहीं कर रहे हैं कि जोधपुर से हाई कोर्ट जयपुर आ जावे । वे कहते हैं कि स्टेटस्को मेन्टेन किया जावे और जयपुर में बैन्च रहे । वे एक उसूल के मातहत नहीं चल रहे हैं । वे प्यौरली और सिम्पली कुछ सैल्फिश इन्टरेस्ट लेकर वेस्टेड इन्टरेस्ट लेकर । रहे हैं । और इन चीज़ों को लेकर जनता का नाम इसमें खींच रहे हैं । अगर वे यह समझते हैं ईमानदारी के साथ कि हाई कोर्ट एक जगह रहना चाहिये, तो सवाल सामने यह आना चाहिये कि यहां रहे या जोधपुर रहे । जयपुर में रहना चाहिये तो रीज़न इसके साथ आने चाहिये । पर रीज़न ये दें कहां से ? हो तो दें । बदकिस्मती से उनकी इस रिपोर्ट के पैराग्राफ १२१ में, उन सारे रीज़न्स का जवाब दे दिया गया है जो जनता के हित में कहे गये थे और सबसे ज्यादा वजनदार बात अगर कोई कही गई थी । यह कही गई थी कि जनता पर खर्चा ज्यादा पड़ेगा यहां की जनता को खर्चा ज्यादा पड़ेगा । पर यह तो सोचो कि अगर जयपुर की जनता को जोधपुर जाने आने में ज्यादा खर्चा पड़ेगा तो कोटा की जनता को गंगानगर की जनता को भी खर्चा पड़ता है । इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि हर डिविज़न में हाई कोर्ट की एक एक बैन्च हो, जो होने वाली नहीं है । तो इस तरह रिडिकुलस टेन्डेन्सी लेकर आगे बढ़ते हैं तो इसका नतीज़ा यह होता है कि हाई कोर्ट की डिग्निटी को खत्म करके गांव गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तरीके पर, इन हाई कोर्टों को लाना चाहते हैं ?

Page No.64

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसलिये मेरा तो यह निवेदन करना है कि हाई कोर्ट को एक जगह रहना चाहिये और रहना होगा। एक जगह रहना होगा, इसलिये नहीं कहता कि जोधपुर में रहना होगा, पर इसलिये कहता हूं कि दो दो कमेटियों ने कहा कि जोधपुर में रहना चाहिये। दो दो कमेटियों ने फैसले दिये हैं।

पहली कमेटी ने कहा कि हाईकोर्ट रहे, फिर उसके बाद में हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में खुली। दूसरी कमेटी ने कहा कि हाईकोर्ट सिर्फ जोधपुर में रहे। अब आप इस सवाल को वापिस खोलते हैं और रेवेन्यु बोर्ड अजमेर को नहीं देना चाहते हैं तो क्या यह छोटे छोटे प्रश्न इस बिना के ऊपर री-ओपिन होते रहेंगे कि कुछ लोगों को यह चीज़ नापसन्द है या कुछ वकीलों को यह नापसन्द है कि यहां से कुछ कोर्ट्स जाये? अगर ऐसे सवालात बार बार उठते रहे तो इससे हमारी फाइनेन्शियल आस्पेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज कोई कमेटी बनती है और उसमें कोई जोधपुर या अजमेर का आदमी नहीं है और सारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आदमी हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि हम अपने इमोशन्स को क्यों इतना वर्क अप करना चाहते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों के ऊपर एक प्रकार का रेशनेलिज्म लाते हैं और फिर आप रेशनेलिज्म भी लाते हैं तो इस खूबी के साथ कि हाईकोर्ट जयपुर में क्यों लाना चाहते है? तो कहने में तो आप बड़ा दिल दिखा देते हैं और अगर करने का मौका आये तो आप बैक डोर तरीके अख्तियार करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज जिस तरीके की हवा राजस्थान में चल रही है अगर उसको बढ़ने दिया जाये और इस रेशनेलिज्म के नाम से फायदा उठाने दिया गया, तो इसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान की बुनियाद हिलेगी। यहां के लोग आज तक जिद्द करके लेते हैं। जयपुर में जिद्द रही कि यूनीवर्सिटी जयपुर में ही रहे और पटेल ने कहा कि यूनीवर्सिटी जोधपुर में रह सकती है और जोधपुर दरबार ने भी अपना भवन देने के लिए एग्री कर लिया था, मगर नहीं लिया गया, क्योंकि बच्चे की तरह जिद्द रही और उनकी जिद्द को माना गया। आज बच्चों की तरह बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए जिद्द करने की आदत सी होती जा रही हैं और दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए श्रीमान, आज राजस्थान के लोगों को ऊपर उठाना है, राजस्थान को एक बड़ी स्टेट बनानी है और यह बड़ी स्टेट तभी बन सकती है जब राजस्थान के हर हिस्से के लोगों को मालूम हो कि हम उन्नति कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों को इससे जैलेसी नहीं होती है कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जोधपुर, जहां इर्रिगेशन नहीं हो सकता, जहां हाईड्रो इलेक्ट्रिक नहीं आ सकती है, उसको आप डिपार्टमेंट्स देकर डवेलप कर सकते हैं। अगर आप उनको कुछ नहीं देते तो उनके तो दिमाग में यही आयेगा कि मेरे तो घर में अन्धेरा है। राजस्थान में जहां आप इन्डस्ट्रीज़ लगा सकते हैं वहां आप इन्डस्ट्रीज़ दे दीजिए, जहां डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं वहां डिपार्टमेन्ट्स दें और खुदा के लिए जनता को इन छोटी-छोटी कन्ट्रोवर्सीज़ में न डालिए। और चन्द वेस्टेड इन्टरेस्ट के नाम पर राजस्थान की यूनीटी को मत बिगाड़िये। आज हम खुद देखें कि हम क्या

Page No.65

(श्री बरकतुल्ला खां)

करना चाहते हैं और राजस्थान की क्या शक्ल बनाने जा रहे हैं, वह इस रिपोर्ट के फैसले पर होगी।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाज़ार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजधानी जांच समिति की रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं भी इसके विषय में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। समिति की सिफारिशों के बारे में अपने विचार प्रकट करने के पहले मैं आपके द्वारा स्वयं समिति और अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि यदि यह रिपोर्ट अंग्रेजी में ही न होकर हिन्दी में भी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। हम लोग जानते हैं कि समिति ने अपने निर्माण के समय से लेकर रिपोर्ट देने तक का सारा काम अंग्रेजी में किया। उनके पत्र अंग्रेजी में आये, उन्होंने अपने वार्तालाप का माध्यम अंग्रेजी रखा और अन्त में रिपोर्ट भी अंग्रेजी में ही दी। स्पष्ट है कि इससे केवल अंग्रेजी जानने वाले कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सके हैं और वही इसमें दिलचस्पी ले सके और बहुत से लोग इससे उदासीन रहे। इसलिए यदि हमें सही माने में राजस्थान की जनता की राय जाननी थी, तो हमें हिन्दी का सहारा लेना था और इस रिपोर्ट को तो कम से कम हिन्दी में भी प्रकाशित कराने की बात सोचनी चाहिए थी।

अब मैं समिति की रिपोर्ट पर आती हूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता के साथ मैं मानती हूं कि राजधानी समिति को नियुक्त करके हमारी केन्द्रीय सरकार ने बहुत दूरदर्शितापूर्ण कदम नहीं उठाया है। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राजस्थान बनने से पहले राजस्थान में 'अलग-अलग' इकाइयां थीं प्रान्त भर में अलग-अलग रियासतें थीं। हर रियासत का अपना गौरव था, इतिहास था, अपनी परम्परा थी। लेकिन धीरे-धीरे वह रियासतें एक जगह आईं और एकीकरण की इस प्रक्रिया में राजधानी का, हाई कोर्ट का, कार्यालयों के स्थान का सवाल उठा। यह सवाल उठना स्वभाविक था। सबसे पहले जैसा कि इस रिपोर्ट में भी बताया हुआ है कि मार्च, १९४९ में यह सवाल उठा। जब कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन होने वाला था उस समय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने जो केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री और राष्ट्र के उपनेता थे, सरकार को एक निर्णय पर लाने के लिए बी० आर० पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस समय अजमेर राजस्थान में मिला था, लेकिन सरदार पटेल की दूरदर्शी आंखों ने यह देख लिया था कि वह दिन दूर नहीं है जब अजमेर राजस्थान में मिलने वाला है। उस समय राजधानी का सवाल उठ सकता है। इसलिए उन्होंने उस कमेटी से यह सिफारिश की थी कि जब राजस्थान की राजधानी के स्थान के लिए जांच करें, उस समय अजमेर को भी इस दृष्टि से देख लें। निश्चित है कि उस समिति ने सारी बातों को देखते हुए अजमेर को भी अपने विचार के स्थानों में शामिल करते हुए जयपुर को राजधानी बनाने की सलाह दी। तो क्या उस समिति के निर्णय के बाद अब क्योंकि अजमेर राजस्थान में सम्मलित हो गया है

(डॉ० चन्द्रकला)

इसलिए फिर राजधानी का सवाल उठाना और उसके लिए एक समिती का निर्माण करना क्या सरकार के अपने पिछले फैसले की अवमानना करना नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भले ही पहले पटेल कमेटी से प्रभावित न होने की बात कह कर पीछे से उसके समर्थन का सहारा लेते हुए यह निर्णय दिया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही होनी चाहिये। निश्चय ही यह उनकी सिफारिश एक बुद्धिमत्तापूर्ण सिफारिश कही जा सकती है। अब इस सिफारिश के परिणामस्वरूप राजधानी का सवाल अब हल हुआ मानकर इस अध्याय को यहां ही खत्म करना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं और अध्यक्ष महोदय मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि जयपुर को जो राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान चुना गया है; उसमें न कोई स्वार्थ सिद्धि की बात है, न राजनैतिक दृष्टिकोण। वह तो अपनी विशेषता और गुणों के कारण चुना गया है। जयपुर में निश्चय ही वह मेरिट्स हैं जो अजमेर या किसी और दूसरे शहर में नहीं है। जैसा कि कहा गया और इस रिपोर्ट में भी है तथा हम सब जानते हैं कि जयपुर ने पिछले आठ सालों में बहुत तरक्की की है। इसलिए राजधानी का सवाल तो अब सदा के लिए हल हुआ मानकर हमें संतोष कर लेना चाहिये। अब रहा है हाई कोर्ट का सवाल पटेल समिति और राव समिति ने सिफारिश की है। पटेल समिति ने सिफारिश की थी कि हाई कोर्ट जोधपुर में रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, बृहद् राजस्थान में सम्मिलित होने से पहले जब जोधपुर रियासत थी उसका अपना गौरव था, और उस गौरव का लिहाज़ करके सरदार पटेल ने हाई कोर्ट वहां रखा और वह हाई कोर्ट आज दिन तक वहां है, लेकिन प्रान्त का काम चलाने के लिए तत्कालीन शासन ने कुछ जगह बैन्चेज़ रखी, जयपुर की बैन्च भी उस समय से काम करती आ रही है। जयपुर में बैन्च का रहना काम की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी रहा है जैसा कि अब रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जोधपुर की अपेक्षा जयपुर की बैन्च में अधिक काम होता है और कौन नहीं जानता है कि पुराने जयपुर का हिस्सा जो आजकल अजमेर डिवीज़न कहा जाता है वह राजस्थान का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, कहीं भी हाई कोर्ट हम रखते हैं तो हमको सबसे पहले ख्याल यह रखना पड़ेगा कि जनता की सबसे अधिक सुविधा कहां है हमें न्याय आसानी से सुलभ करने के लिए जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर ही हाईकोर्ट कहीं रखना पड़ेगा। इसीलिए हाई कोर्ट और राजधानी एक साथ रखे जाते हैं, और यही प्रबन्ध सब जगह के लिए अभी भी है। यहां उत्तर-प्रदेश का उदाहरण दिया गया है पर उत्तरप्रदेश उस नियम का अपवाद है वहां राजधानी से अलग हाई कोर्ट को जरूर रखा गया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि राजधानी से अलग रखते हुए वहां पर आवागमन के साधन इतने अधिक हैं कि वह दूरी नहीं के बराबर रहती है; जयपुर और जोधपुर के बीच में साधन इतना विकसित नहीं है। आज क्या हमारी आवागमन की वह कठिनाई हल हो चुकी है? इसलिए मैं तो कहना चाहती हूं आज क्योंकि हाई कोर्ट के सवाल को लेकर लोगों की मनो-

Page No.67

(डॉ० चन्द्रकला)

भावनाएं बिगड़ चुकी है, लोगों में मनोमालिन्य पैदा हो चुका है तो सबसे अधिक बुद्धिमानी की बात यह है कि जो स्थिति आज है वह वैसी ही रहे। पर जैसा कि न्यायमूर्ति वान्चू साहब ने इस बात को समिति के सामने बताया है कि हाई कोर्ट की सीट तो एक ही जगह हो सकती है, इसके कई कारण भी उन्होंने बताये, यदि उसका ख्याल रखना है तब तो मैं कहना चाहती हूं कि हाई कोर्ट की एक सीट जोधपुर में नहीं होकर जयपुर में ही हो सकती है।

अब इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं कार्यालयों के स्थानान्तरण के बारे में। उसके बारे में हमारा कोई एक आधार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि कार्यालय केवल प्रशासकीय सुविधा से इधर से उधर रखना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बीकानेर में शिक्षा विभाग के डाईरेक्टोरेट को रख दिया गया है। उसके कारण कितनी प्रशासकीय कठिनाइयां होती हैं। यह बात उदयपुर के ऑफिसर्स ने समिति में अपनी भेंट के समय बताया है अस्तु हमको कहीं भी कार्यालय रखते समय मुख्य दृष्टिकोण प्रशासकीय सुविधा का रखना पड़ेगा। इसलिए वे राजधानी कार्यालय जिनका सम्बन्ध सीधा सचिवालय से आता है, वह जयपुर राजधानी से बाहर रखें तो कभी भी सुविधाजनक नहीं हो सकता मैं यह दलील नहीं देती हूं कि अमुक कार्यालय को यहां से हटा कर वहां पर रख दिया इससे क्षेत्रीय भावना की संतुष्टि होगी! यदि मैं क्षेत्रीय भावना की संतुष्टि की बात कहूंगी तो जिसके आधार पर जयपुर से कार्यालय स्थानान्तरण करने की कोई बात हो सकती है उन्हीं आधार पर निश्चित रूप से कुछ कार्यालय जो कहीं बाहर हैं। जयपुर में लाने की बात उससे ज्यादा जोरदार शब्दों में कही जा सकती है, लेकिन हमें क्षेत्रीय भावनाओं के रूप में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको प्रशासकीय सुविधा से देखना चाहिए। मैं बता चुकी हूं कि जो भी कार्यालय आज सीधे सचिवालय से सम्बन्धित हैं उन्हें जयपुर से बाहर रखने में कोई बुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती है, यानी ऐसी चीजें जिनका सचिवालय से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है, जैसे कि विश्वविद्यालय, वे राजस्थान के किसी भी कोने में रखे जायं, राजस्थान कॉलेज का सफेद हाथी जो सरकार ने बान्ध रखा है, उसको किसी भी स्थान की शोभा बढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। दृष्टिकोण ही जनहित सुविधा का होना चाहिए हाई कोर्ट के मामले में, राजधानी के मामले में और अन्य कार्यालयों के स्थानान्तरण के मामले में। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं अपनी केन्द्रीय सरकार से माननीय गृह मंत्री महोदय से विनीत निवेदन करना चाहती हूं कि राव समिति की जो सिफारिशें हमारे सामने हैं और इन पर जो क्रियाएं और प्रति क्रियाएं हमारे सामने हैं उनके सम्बन्ध में जनता और जन् प्रतिनिधियों की सब भावनाएं सामने हैं इन सब को देखते हुए सर्वोपरी जनहित और जनता की सुविधाओं और भावनाओं को देखकर ऐसा निर्णय करें कि जिससे यह सवाल हमेशा के लिए समुचित रूप से हल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): अध्यक्ष महोदय, राव कमेटी की रिपोर्ट वाद-विवाद के लिए प्रस्तुत की गई है। वाद-विवाद के पूर्व ही मैंने अपनी ओर से यह बात रखी थी कि इस पर वाद-विवाद नहीं हो, पर फिर भी जब वाद-विवाद हो रहा है तो मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं।

सही मायने में देखा जाय तो हमें इस वाद-विवाद में पड़ने से पहले राजस्थान के निर्माण के पूर्व क्या स्थित थी, राजस्थान की जनता की क्या भावना थी, और उन भावनाओं के आधार पर राजस्थान बनने से पहले क्या क्या कार्यवाहियां हुई और उन कार्यवाहियों का इतिहास हमें जरूर ख्याल में रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस समय मुल्क आज़ादी हुआ और आजादी के बाद में राजस्थान का सवाल आया तो राजस्थान की कुछ रियासतों ने सोचा वहांकी जनता ने सोचा कि जब मुल्क आज़ाद हो चुका है और हम आज भी सामन्ती तत्वों के बीच गुलामी में पड़े हैं तो हम भी आवाज उठायें। वह आवाज राजस्थान की जनता ने उठाई और उठाने के बाद राजस्थान में कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के बीच छोटे २ प्रान्त बने, उसे भी जनता के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान की जनता चाहती थी कि राजस्थान का एक प्रान्त हो, और एक प्रान्त होकर राजस्थान का नव निर्माण हो। इस कार्य के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक आन्दोलन भी हुआ और सोशलिस्ट पार्टी ने डॉ० राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक नये राजस्थान की बात रखी। राजस्थान का निर्माण हो यह आन्दोलन भी किया। उस आन्दोलन के बीच में क्या क्या तत्व थे, क्या २ बातें थी उसके महत्व में मैं आज नहीं जाना चाहता, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता यह चाहती थी कि राजस्थान एक बने। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि राजस्थान के एक बनने के बाद में, राजस्थान के निर्माण के अन्दर राजस्थान की जनता का सर्वांगीण विकास होगा, और यह सबसे बड़ी कल्पना उसके अन्दर थी, और उसी आधार पर राजस्थान एक बना। उसके बनने के पूर्व ही राजस्थान की राजधानी और हाई कोर्ट का सवाल और उन सवालों को तय कर लिया क्योंकि वह सवाल सब मिलकर, एक साथ तय नहीं कर सकते थे। इसी दृष्टिकोण से उन सवालों को तय करने के लिए एक कमीशन एपॉइन्ट हुआ और उसने उस सम्बन्ध में कुछ निश्चय किये, और उसके निर्णय के सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले एक सम्मानीय सदस्य ने अच्छी तरह से सारी बातें रखी। यही कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को आज जिस वाद विवाद के बीच में हम बैठे हैं अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि जिस समय राजस्थान के लिहाज़ से राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय यह दृष्टिकोण था कि राजस्थान की हर रियासत की पुरानी राजधानियां का वहां की जनता का समाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास दृष्टिकोण हमेशा एक साथ रखा जायगा, और सब के विकास की बात साथ साथ होगी और इसी बुनियादी आधार पर राजस्थान की जनता ने एक राजस्थान बने, इसको स्वीकार किया। परन्तु आज राजस्थान के बनने के बाद में इन दस सालों के इतिहास में जो घटनाएं हुई, कोई माने चाहे नमाने, परन्तु स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि राजस्थान के निर्माण के बाद में जो कुछ भी समस्याएं हुई जो कुछ बातें हुई, जो भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के सम्ब-

Page No.69

(श्री मुरलीधर व्यास)

न्ध में सोचने का तरीका रहा, वह तरीका उस प्रकार का नहीं रहा, और तरीका इस प्रकार का रहा कि जिसमें सत्ताधारी पक्ष के लोग थे, वे अपने अपने दृष्टिकोण से सोचने लगे और आज नतीजा यह हुआ आप चाहे माने या न माने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर यह भावना बन गई है कि राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी ने जो कार्य किये वे क्षेत्री भावना के आधार पर होते चले जा रहे हैं, और उसके अन्दर जो छोटी मोटी बातें जो वास्तव में जनता को देना चाहिए उसके बारे में बहस की जा रही है उसका नतीजा यहां तक हो गया है कि मैं समझता हूँ आज इन क्षेत्रों के अन्दर उन रियासतों के लोगों की यह भावना हो गई है। यदि राजस्थान के एक बनने के बाद इस प्रकार का तरीका रहा तो राजस्थान की क्षेत्रीय जनता को कोई निर्णय लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के सत्ताधारी पक्ष के सोचने का तरीका इस प्रकार रहा है। मैं इसके लिए कोई दलील नहीं देना चाहता हूं कि मामूली बातें जैसे पानी और शिक्षा का सवाल है वहां भी उपेक्षा की बात रही है और नतीजा यह रहा कि साधारण आदमी भी सोचने लगा कि आज हमारी उपेक्षा हो रही है। मैं इसको कतई अच्छा नही समझता। आज राजस्थान की राजधानी एक जगह रहे या दूसरी जगह रहे, लेकिन यह जो भावना फैल रही है, उसका कारण क्या है, इसकी गहराई में हमको जाना पड़ेगा और इस भावना को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यदि इसे दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो नतीजा कुछ नहीं रहेगा।

आज राजस्थान की राजधानी और हाई कोर्ट का सवाल इस रिपोर्ट में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जहां तक मेरी राय है, मैं इस चीज़ को मानने वाला हूँ कि किस हालत में आज राजधानी का विवाद चला और राजस्थान के लोगों के सोचने का स्तर किस प्रकार का है। मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्ट शब्दों में शुरू में ही कहा कि क्योंकि हम मिल कर इन मसलों पर सोच नहीं सकते इस कारण से इस बात को सोचना पड़ा कि गृह मन्त्रालय जो निर्णय दे उसी के आधार पर निर्णय हो सकता है। यह स्वयं मुख्य मन्त्रीजी ने कहा और मैं मानता हूं कि यह स्पष्ट बात है कि इस प्रकार हम सोच नहीं सकते और स्वयं राव कमेटी ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में खुले रूप में कहा है कि हम जिनसे बात करने का मौका आया जिनके बयानात हुए, उन्होंने साफ़ कहा है कि बड़ी भारी समस्या बन गई है और क्षेत्रीय दृष्टिकोण सामने रखा गया, सामुहिकरूप में कोई बात नहीं रखी गई, यह कमेटी का कहना है और साथ ही मुख्य मन्त्रीजी का कहना सत्य है कि आज हम किसी भी हालत में इस मसले पर एक साथ बैठ कर सोचने की स्थिति में नहीं थे, इसी कारण से गृह मंत्रालय को यह बात सोचनी पड़ी और इस कमेटी का निर्माण हुआ। इस कमेटी ने किस प्रकार काम किया, इसके बारे में मैं एक दलील देना चाहता हूं।

इस कमेटी का काम करने का जो रवैया था, वह बिल्कुल प्रजातंत्रीय था, इसी तरह से इस कमेटी ने काम शुरू किया। इस कमेटी ने हर स्थान पर, हर पुरानी राजधानी में प्रमुख लोगों को और राजनैतिक पार्टियों के पास अपनी ओर से पत्र भेजा और लिखा कि अपना अपना मेमोरेन्डम या राय भेजिये और लोगों ने राय दी। इतना ही नहीं, इसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाद राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों का इसने दौरा किया और लोगों की राय जानी। दौरे के दर्म्यान में लोगों की गवाहियां हुई। मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण हर आदमी का रहा। रिपोर्ट को देखने से आपको पता चलेगा कि जब कमेटी आबू गई तो आबू वालों ने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहे, लेकिन गर्मी के मौसम में राजधानी आबू में हो। आबू वाले भी आबू के विषय में इतनी बात कहने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने खर्चे का कोई ख्याल नहीं रखा और कहा कि सर्दी में और दूसरी मौसम में राजधानी जयपुर में रहे तो गर्मी में आबू में रहनी चाहिये। जब वे लोग उदयपुर गये तो उदयपुर वालों ने कहा कि राजधानी के लिये उदयपुर उपयुक्त स्थान है। दूसरे स्थानों पर गये तो वहां के लोगों ने अपने यहां राजधानी रखने की राय रखी। आप रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ जाइये, जिस जिस क्षेत्र में वे गये वहां के लोगों ने इसी प्रकार की राय उनके सामने प्रकट की। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि सब जगह क्षेत्रीय दृष्टिकोण था और उसी के आधार पर सब जगह राय रखी गई।

अब दूसरे तरीके से जहां तक राव कमेटी के काम करने का सवाल था मैं कहना चाहता हूँ, कि इसने बिल्कुल प्रजातंत्रीय तरीके से काम किया और यह कमेटी किसी के दबाव में नहीं आई। अपने ही तौर पर यह बढ़ी और बराबर काम किया। मुझे इस बात का दुःख है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने हाई कोर्ट के मसले पर यह बात कही कि यदि हाई कोर्ट को जोधपुर में रखने के साथ साथ जयपुर में बैंच नहीं रखी गई, तो बड़ा आन्दोलन होगा। मैं समझता हूं, यदि राजस्थान के मुख्य मंत्री कमेटी के सामने इस प्रकार की बात कहते हैं, तो यह बात किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं है। यदि यह बात उनकी कमेटी के साथ हुई है, तो प्रशासन की दृष्टि से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि कमीशन पर उनका दबाव पड़े इस प्रकार की बात सोची जा सकती है। लेकिन मुझे गर्व है कि वह कमेटी किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आई और जिस प्रकार उनको कार्यवाही करनी थी, उसी प्रकार वे बढ़े और कार्यवाही की।

अब राजधानी और हाई कोर्ट का सवाल है। मैं राजधानी के सम्बन्ध में इस चीज़ को मानने वाला था कि वह केन्द्रीय स्थान पर हो और मेरा दृष्टिकोण था कि इसके लिये अजमेर उपयुक्त स्थान है। मैंने अपने मैमोरेन्डम में भी यही राय दी थी। लेकिन मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और जो दलील उसमें रखी है, उसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में भी खुलासा हो गया और स्पष्ट हो गया। मैं मानता हूं कि राव कमेटी ने राजस्थान का दौरा करने और सब की राय जानने के बाद दलील दी है राजधानी को जयपुर में रखने के बारे में उससे अब मेरे दिमाग में दूसरी राय नहीं है। मैं जयपुर में राजधानी को रखने के फैसले को मान्यता देता हूं। मैं नहीं कह सकता कि मेरे दिमाग में पहले क्या बात आई थी, लेकिन रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग स्पष्ट हो गया और मैं मानने लगा कि जो फैसला किया गया है वह ठीक है।

अब सवाल रहा हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट की स्थिति के लिये कुल लोगों ने अलग अलग दलीलें दीं और अलग अलग बातें

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहीं, लेकिन मैं इस बात को मानने वाला हूं कि हमें एक नीति को पूरी तौर से मान्य करना चाहिये और वह यह है कि हर राज्य में एक ही हाई कोर्ट हो और उसकी सीट एक ही स्थान पर हो यह खुले तौर से कहना चाहिये। जहां खुला सवाल है मैं इस बात को मानने वाला हूं कि हाईकोर्ट की सीट एक ही हो और बेंच नहीं हो। इसके लिये कारण हैं और दलीलें हैं। आखिर दो तीन प्रान्तों के अतिरिक्त सारे राज्य में एक ही हाई कोर्ट है, दूसरा नहीं है और जिन राज्यों में बेन्चेज़ हैं उनके अलग कारण हैं। आज मध्य प्रदेश में बेंच है, लेकिन इसके बारे में फैसला हो चुका है कि जबलपुर में हाई कोर्ट के लिये बिल्डिंग बनेगी तब यह भी वहां पर चली जायगी। इसी प्रकार की बात बम्बई के बारे में है। बम्बई हाई कोर्ट के लिये बम्बई में पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिये नागपुर में भी बेन्च है। इसके अलावा भी वहां पर एक समस्या है और वह यह कि विधर्म के लोग सोचते हैं कि बम्बई के साथ हमको नहीं मिलना है, हम अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रान्त बन गया है। इसलिये वहां की दलील यहां पर नहीं रखी जाय तो ठीक है। इनके अतिरिक्त दूसरे प्रान्तों में एक ही हाई कोर्ट है और एक ही स्थान पर है। कहीं पर राजधानी में है, तो कहीं पर अन्य स्थान पर है। हाई कोर्ट राजधानी में रहे या दूसरे स्थान पर रहे इसके लिये वस्तु स्थिति को ख्याल में रखना चाहिये, जैसे हमारे पास बिल्डिंग की क्या सुविधा है, दूसरा स्थान कैसा है आदि बातों का ख्याल रखना चाहियें। जहां तक राजधानी का सवाल है एक ही स्थान पर राजधानी हो और राजधानी जहां हो वहीं पर हाई कोर्ट भी हो यह कोई दलील नहीं है। बल्कि यह उल्टा होना चाहिए कि हाई कोर्ट है, वह राजधानी से अलग रहे

११ म० पू०

(घंटी)

और वह बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। अलग रहे, उसके अलग रहने का कारण यह है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग शांत वातावरण में न्याय विभाग होता है, तो उसको दिक्कत होती नहीं है। अगर यह दलील करें कि खर्चे का सवाल है। मैं समझता हूँ एक आदमी जो हाई कोर्ट में जाने वाला है, अगर वह जयपुर से जोधपुर जाता है, उससे खर्चा बढ़ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यह खर्चा इतना नहीं है कि जितना वकील को देना पड़ता है। खर्चे का सवाल राजस्थान के हर कौने से किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दूसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि हमने सबसे पहले निर्णय लिया था और उस निर्णय को अपने हाथ में रखा है। एक दलील दी गई प्रशासनिक दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण से सब विभाग केन्द्र में हो। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस नीति को मानते हैं कि हमारे मुल्क के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो। इस बुनियादी नीति के आधार पर यह सवाल नहीं रहता कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण से सब विभाग को एक स्थान पर रखा जाय। हमने एक बुनियादी नीति मान्य की है, हम यह भी मानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकेन्द्रीकरण हो। इस नीति को आधार मानते हैं, तो हमें मान्य करना चाहिए कि किसी प्रकार किसी दफ्तर के लिए कोई जैसे बीकानेर में एजूकेशन डिपार्टमेंट है, उससे अव्यवस्था होती है, सवाल पैदा होता

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं, क्यों होती है ? इसलिए होती हैं कि डाइरेक्टर यहां बैठता है, दूसरे लोग यहां बैठते हैं। वे वहां क्यों नहीं बैठते, वहां बैठ कर उन्हें काम करना चाहिए। लोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इसको सोचते हैं, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप में नहीं सोचना चाहिए। सारे मामले राजस्थान के हित में होने चाहिए। क्योंकि समय हो चुका है, इस लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों को राजस्थान की भलाई की दृष्टि से, राजस्थान की एकता के दृष्टिकोण से, राजस्थान की जनता के विकास के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, हमें क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। परन्तु जो साधारण आदमी के काम करने का तरीका है, उसके सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, उनके अनुसार उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। हमें इन कमजोरियों को मान्य करना चाहिए और इन कमजोरियों को राजस्थान की एकता के लिए, राजस्थान की जनता के विकास के लिए स्वीकार करना चाहिए। हमने राजस्थान के निर्माण के पूर्व एक निर्णय किया था और इस तरीके को मान्य कर लिया था कि राजस्थान की जनता का बराबर, हर प्रकार हर क्षेत्र का, पुरानी राजधानियों का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ख्याल रखा जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन होगा यानि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण, तीनों दृष्टिकोणों से, अगर केन्द्रीकरण होता, तो नतीजा यह होगा कि पुराने क्षेत्र हर प्रकार से उजड़ जायेंगे, जनता को आप जो लाभ देना चाहते हैं वे न दे सकेंगे। इतना कहते हुए मेरा निवेदन है कि जो रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई। उस रिपोर्ट को बिल्कुल उसी तरीके से एक प्रकार से मान्य कर लेना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं अगर हमने कोई वाद-विवाद खड़ा भी किया और खड़े करने का सवाल भी आया, तो आज इस रिपोर्ट के बारे में सोचने का सवाल है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का विवाद खड़ा करें। हमें आजादी के साथ सोचने का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इसके सम्बन्ध में चाहे कुछ निर्णय दे. आज हम किसी स्थिति में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। अगर इसके बारे में किसी प्रकार का मतभेद हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस मतभेद को दूर करने के लिये अगर कोई दूसरा कमीशन अपॉइन्ट किया जायेगा, वैसे तो राव कमेटी ने जो रिपोट दी है, उसको मैं न्यायसंगत समझता हूँ, यह रिपोर्ट न्याय संगत है और छान-बीन करके दी है। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। अगर इसके प्रति किसी का अविश्वास हो और दूसरा कमीशन केन्द्रीय सरकार द्वारा बैठाया जायगा, वह भी यही रिपोर्ट देगा, इसके अतिरिक्त दूसरी रिपोर्ट नहीं दे सकता

(घंटी)

यह मेरा विश्वास है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, राव कमेटी की सिफारिश पर विचार करने से पहले, मैं समझता हूँ, हमें

(श्री चन्दनमल वैद)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जरूर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। जिस समय राजस्थान में २२ रियासतों का विलीनीकरण हुआ था, उस समय इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इन २२ रियासतों की राजधानी और जनता के हित का पूरा ध्यान रखा जायगा। इसी कारण को लेकर पटेल कमेटी का निर्माण हुआ था और उसकी रिपोर्ट आई थी। अगर हम इस दृष्टिकोण को भूल जाते हैं, अगर इस बात को भूल जाते हैं कि राजस्थान २२ रियासत और अजमेर से मिल कर बना है और २२ रियासतों की राजधानियों का, उनमें रहने वाली जनता के सुख सुविधा व हित का ध्यान नही रखा जाता है, तो मैं समझता हूं, हम अपनी बुनियादी चीज़ के आधार को भूल जाते हैं, जिस आधार को लेकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। मैं समझता हूं कि राव कमेटी की चार सिफारिशें हैं, उन पर विचार करने से पहले इस बुनियादी आधार को नहीं भूलना चाहिए, नींव को नहीं भूलना चाहिए। अगर नींव के पत्थर को भूल जाते हैं, जिस नींव पर राजस्थान खड़ा हुआ है, वह ढुल जायगी और उस नींव के ढुलने में, मैं समझता हूँ, हमारे लिए, आपके लिए और राजस्थान की जनता के लिए ठीक नहीं होगा।

राव कमेटी ने पहली सिफारिश यह की है कि राजधानी जयपुर में रहनी चाहिए। पटेल कमेटी, जो पहले बनी थी, उसकी सिफारिश भी यही थी कि जयपुर में राजधानी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि राव कमेटी और पटेल कमेटी की जो सर्व सम्मत राय है, हमें उसे मान लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान है। राव कमेटी ने यह कहा है और पटेल कमेटी ने भी यह कहा है कि राजस्थान में कोई शहर नहीं है जो राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, लेकिन जयपुर शहर ऐसा शहर है, जो उपयुक्तता के काफ़ी नजदीक पड़ता है, इस वास्ते इसे राजस्थान की राजधानी बनाया जाय और यह भी कहा है कि चूंकि इस वक्त दूसरी राजधानी बनाना उपयुक्त नहीं हो सकता क्यों कि दूसरी राजधानी बनाने के लिए हमारे पास इतना द्रव्य नहीं है, इस वास्ते हम मजबूर होकर कहिये या यूं कहिये, समझते हैं कि जयपुर उपयुक्त स्थान है। इस दलील के समर्थन में उन्हीं के द्वारा उद्धृत किया हुआ सेन्टेन्स पढ़ देता हूं : "Though it cannot be said that position of building accomodationtathe present moment is adequate, it affords no justification for constructing a new capital at an enormous cost." उन्होंने कहा है कि हम इस बात को मानते है कि अभी जयपुर में जो निवास स्थान की व्यवस्था है, वह पूरी नहीं है लेकिन चूंकि दूसरी राजधानी बनाने में खर्चा होगा, इसलिए यह बात की सिफारिश करते हैं कि जयपुर राजधानी रहे। आगे कहा है : If ignoring all the cities and the advantages they now possess it is decided to construet a naw capital like Chandigarh or Bhubenshwar there is much to be said in favour of Ajmer or even Udaipur."

१२.८ म० पू०

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, अगर हमारे पास

Page No.74

(श्री चन्दमल वैद)

कुछ करोड़ रुपया फालतू होता, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जयपुर राजधानी नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजधानी होने के लिए कोई उपयुक्त स्थान है, तो वह उदयपुर है, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टि-

(हंसी)

कोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से पॉवर के दृष्टि से देखे, तो मेरी निश्चित रूप से मान्यता है कि उदयपुर राजस्थान की राजधानी होने के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान है।

(हंसी)

हमारे पास कुछ करोड़ रुपये फालतू नहीं है, इस वास्ते मैं समझता हूं, प्रश्न उठता नहीं है और इस वास्ते राजधानी के प्रश्न पर हमें निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि आगे आने वाले २० वर्ष के लिए यह प्रश्न समाप्त हो चुका है, यह प्रश्न निश्चित हो चुका है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी रहेगी।

अब सवाल आता है राजस्थान के हाई कोर्ट की सीट।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सिलसिले में पहला सवाल यह आता है कि हम हाईकोर्ट की बैंच रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मैं इस सिलसिले में दो तीन दलील देना चाहता हूं। पहली दलील तो यह है कि राव रिपोर्ट है, जो सर्व सम्मति से लॉ रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके अन्दर इस बात के लिए सर्व सम्मति से निर्णय किया है कि कोर्ट की बैंचेज़ नहीं रहनी चाहिए। दूसरी दलील यह है कि राव साहब ने वांचू साहब के सलाह मसविरे से नौ पॉइन्ट अपनी रिपोर्ट में पेश किये हैं, जिनसे स्पष्ट है कि इन कारणों से हाई कोर्ट की बैंच नहीं रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन नौ कारणों में से एक कारण भी मौजूद होता है, तो हाई कोर्ट की बैंच नहीं होनी चाहिए, जब कि नौ कारण मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की बैंच रखना उपयुक्त नहीं होगा। वे भी कारण उन लोगों के द्वारा दिये गये हैं, जिन्होंने ज़िन्दगी में न्याय देने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है, एक हैं न्याय मूर्ति श्री राव और दूसरे हैं श्री वांचू साहब। मैं समझता हूं कि इन लोगों ने जिन्दगी में न्याय देने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है, इन्होंने सर्वसम्मत राय दी है कि हाई कोर्ट की बैंच नहीं रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हाईकोर्ट की बैंच नहीं रखनी चाहिए। दूसरा सवाल यह उठता है कि आगे हाईकोर्ट की सीट कहां रखे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि हमें हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में रखनी चाहिए। इसके लिए मेरे पास कई कारण है, उन कारणों को मैं विस्तार पूर्वक आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। एक कारण यह है कि राव कमेटी और पटेल कमेटी दोनों ने ६ वर्षों के दर्मियान में, एक ही प्रकार का फैसला दिया और दोनों कमेटियें राजस्थान के उसी प्रश्न को निपटारा करने के लिए बनाई गई थी और दोनों ने यही निर्णय दिया कि हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में होनी चाहिये। जिन कमेटी के सदस्यों को न जोधपुर और जयपुर में कोई वकालत

(श्री चन्दनमल वैद)

करनी है न उनके यहां मकानात है और उनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है उन दोनों कमेटियों में एक संमत्ति से निर्णय दिया है और जब वे एक सम्मत्ति से निर्णय देती हैं, तो फिर मैं कोई कारण नहीं समझता कि उनके निर्णय को नहीं माना जावे। मैं समझता हूँ कि उनके निर्णय को माना जाए।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि पुरानी राजधानियों के महत्व को हमें ध्यान में रखना चाहिये। यदि उनके महत्व को कायम नहीं रखा, तो निश्चित रूप से लोगों में यह भावना फैलेगी कि हमने राजस्थान में मिलकर हमारा जो उचित अधिकार था और हमारी उचितन्याय पूर्ण मांगें थी उसका निवारण होना बन्द हो गया। इसलिये पुरानी राजधानियों के महत्व को रखने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिये और जयपुर के बाद राजस्थान की २२ रियासतों में मिलने वाली सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है और मैं समझता हूं कि उसके महत्व को रखने के लिए राजस्थान की हाईकोर्ट की सीट जोधपुर में रखी जावे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पटेल कमेटी ने भी यही कहा है:—

"Even then Patel Committee pointed out that there was not svffi- cient accomondation for locating the High court at jaipur and neither Jodh- pur nor Jaipur has sufficient accomod- ation for both the Capital and the High Court."

माननीय उपाध्यक्ष, मैं पहले जो इस बात की ओर इशारा कर चुका हूँ कि राजस्थान में कोई ऐसा शहर नहीं है जो सर्वे सर्वा राजस्थान के उपयुक्त हो। जब कोई एक शहर राजधानी बनने के उपयुक्त नहीं है, तो फिर वहां राजधानी और हाई कोर्ट दोनों कैसे रखी जा सकती है। जब राजधानी के लिए ही काफी जगह नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट के लिए तो स्थान मिलना कठिन है। यह निश्चित है कि राजस्थान में राजधानी और हाई कोर्ट एक जगह नहीं रह सकती। यह निश्चित है कि जयपुर के बाद उदयपुर ले लीजिये, लेकिन कम से कम मैं यह कहूंगा कि जोधपुर का केस कन्सिडर नहीं किया जा सकता।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं और वह यह है कि अगर केपिटल के लिए सेन्टर स्थान लिया जावे तो अजमेर आता है और अगर जलवायु के लिहाज से कोई स्थान लिया जावे तो उदयपुर आता है, पानी और बिजली आदि की सुविधा के लिहाज से कोई स्थान लिया जावे, तो गंगानगर और कोटा का स्थान होगा क्योंकि वहां भाकरा और चंबल नहरें हैं।

(हर्षोल्लास)

लेकिन सबसे ज्यादा और जरूरी चीज होनी चाहिये वह यह है कि निवास स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। निवास स्थान की व्यवस्था जयपुर में सबसे ज्यादा है, यही एक पोइन्ट है जो इसको केपिटल के लिए कहा जाता है। क्योंकि जयपुर में निवास स्थानों की कमी नहीं है। इसी कारण से यह राजधानी बनाया जा रहा है। लेकिन जो कारण राजधानी बनाने के लिए है, वही कारण

Page No.76

(श्री चन्दनमल वैद)

इसको हाई कोर्ट से वंचित रखता है और वही कारण जोधपुर को हाई कोर्ट की सीट दिलाने वाला है। जिस तरह से निवास की सुविधा जयपुर में ज्यादा है, इसलिये, इसको राजधानी रखते हैं तो यही सुविधा हाई कोर्ट के निवास की सबसे ज्यादा जोधपुर में है। इसलिये हाई कोर्ट की सीट जोधपुर ले जावें।

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे एक बात और कहनी है। राव कमेटी ने कहा है और मुझे पूरा खुल कर कहना चाहिये, मैं आपके सामने उसको थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं: "On the other hand, it is probably more desirable for the High Court to be away from the Capital and to carry on its work in peaceful atmosphere. माननीय उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट और राजधानी एक जगह नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि कमेटी ने इसीलिये सिफारिश की है कि हाई कोर्ट को राजधानी से दूर रखा जावे, ताकि लोगों को अच्छी तरह इन्साफ मिल सके। हाई कोर्ट राजधानी से दूर होती है, तो लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से और बगैर किसी दबाव के काम करने का मौका मिलता है। यदि आप बढ़िया न्याय और एफिसियेन्सी, ओनेस्टी लाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, तो इसके लिये ओनेस्ट, एफिसियेन्ट बार होना जरूरी है। जहां पर हाई कोर्ट और राजधानी होती है वहां पर मैं समझता हूं कि वहां पर कम ओनेस्ट और एफिसियेन्ट बार होता है और जयपुर के वकील लोग काले काले कोट पहिन कर हाई कोर्ट के बाहर जा कर बैठ जाते हैं, चाहे उनको ६ महीनों में भी हाई कोर्ट का केस न मिलता हो और उनकी आमदनी कुछ भी नहीं हो। मगर फिर भी...

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order!! No reflection on persons outside the House.

श्री चन्दनमल वैद: I am not referring to any person. I am simply saying that good bars cannot flourish at the seat of the Government.

श्री उपाध्यक्ष: आरंभ करिये।

श्री चन्दनमल वैद: तो माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह कहना है कि अच्छा बार राजधानी से बाहर ही फ्लोरिश हो सकता है। बाहर के लोगों पर यहां के टेलीफोन और दूसरे बड़े बड़े लोगों के जा कर मिलने के जरिये जो होते हैं वे बन्द हो जाते हैं। इसलिए कम से कम हाई कोर्ट राजधानी में नहीं होना चाहिये। आज बहुत से ऐसे वकील हैं जिनको हाई कोर्ट में पैरवी करने का मौका नहीं मिला होगा और उनकी बहुत कम आमदनी होगी, लेकिन एस. डी. ओ. आदि की अदालतों में जाकर वे २० हजार रुपया महन्ताना मांग सकते हैं। इसलिये हाई कोर्ट को ऐसी जगह ले जाई जावे जहां पर केपिटल नहीं हो।

अगर जयपुर के लोग यह चाहते हैं कि हाई कोर्ट जयपुर में आवे तो उनको अभिमान से कहना चाहना चाहिये कि राजधानी को उदयपुर, अजमेर या जोधपुर ले जाओ। मगर जब राजधानी यहां पर रहती है तो उनको हाई कोर्ट के सिलसिले में त्याग करना होगा। उनको कहना होगा कि भाई २२ रियासतों को मिला कर राजस्थान बना है उनको भी हमें फ्लोरिश करना है, इसलिये

(श्री चन्दनमल वैद)

हमारे यहां पर २१ डिपार्टमेंट हैं, उनमें से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट और दूसरे छोटे मोटे डिपार्टमेंट ले जाये जाते हैं, तो हमें उदारतापूर्वक उनको जाने देना चाहिए। उनको खुदको चाहिये कि वे ऐसा करते।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं। जिनको राजधानी से बाहर नहीं भेजना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राव कमेटी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। जिन कार्यालयों का सचिवालय से रोजाना सम्बन्ध रहता है, उनको किसी भी हालत में यहां से बाहर नहीं भेजा जावे। हो सकता है। इससे बीकानेर को भी नुकसान हो। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जैसे डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का विभाग है, उसका दफ्तर बीकानेर में है। वे उदयपुर के रहने वाले, वे उदयपुर से बीकानेर जावें फिर जयपुर जावें। इससे बहुत खर्चा होता है। इसलिए डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का दफ्तर है वह जयपुर में होना चाहिये। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू बोर्ड हैं और भी कई विभाग हैं, जिनका संबंध सचिवालय से ज्यादा नहीं रहता है उनको दूसरी राजधानियों में भेज दिया जावे और जिनका सचिवालय से

(घंटी)

रोजमर्रा का संबन्ध है उनको किसी भी हालत में राजधानी से बाहर नहीं भेजना चाहिये। राव कमेटी ने कहा है, उस पर हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा और अगर नहीं कहता हूं तो मैं निश्चित रूप से अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करता हूं। हमारे मंत्रीजी ने कहा कि एजिटेशन हो जायगा। एजिटेशन से मुख्य मंत्री चाहें तो डर सकते हैं, वे कहते हैं नरमाई रखनी चाहिये, मैं कहता हूं कि नरमाई रखनी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर मुस्करा रहे हैं, उनकी मुस्कराने की आदत है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा That it is not proper to reflect on the physique of the Hon'ble Members.

(विराम)

Yes, Yes...

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा था, मगर आप तारीफ नहीं करने देते।

श्री उपाध्यक्ष : तारीफ नहीं....

श्री चन्दनमल वैद : अभी शासन चलाने के लिये माननीय चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, तो राजस्थान का जितना भला वे करना चाहते हैं, उससे ज्यादा भला करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, राव कमेटी की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और बहुत से माननीय सदस्य अपने अपने विचार इस पर प्रकट कर चुके हैं। किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। किसी ने कहा गंगानगर होना चाहिये। मैं भी, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा अपने विचार प्रकट करता हूं कि आज ६

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

वर्ष हो गये । जयपुर में राजधानी है और राव कमेटी ने भी जयपुर को ही राजधानी रखने के लिये फैसला किया है, उसने भी कुछ सोच समझ कर और कुछ आधारों पर ही फैसला किया है। आज जयपुर में बहुत से सदस्य कहते हैं कि मकान नहीं हैं। फलां नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि जयपुर आज ऐसा है कि जयपुर में इतने मकान हैं और जिस प्रकार सेक्रेटेरियेट और अपना एसेम्बली हाल है वैसा दूसरी जगह कहां मौजूद है। जयपुर वास्तव में राजधानी होने के काबिल है। आप देखिये, जयपुर के लिये माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये उन्होंने उदयपुर को बताया। मगर मैं कहूंगा कि जो टुरिस्ट आते हैं वे सबसे पहले जयपुर में आते हैं और फिर उदयपुर जाते हैं। इसमें तो दो राये नहीं हो सकती। इसलिये राव साहब ने जो राजधानी के लिये सिफ़ारिश की है वह तो अटल है।

अब प्रश्न आता है हाईकोर्ट के लिये। हाईकोर्ट किस जगह रहना चाहिये। हाईकोर्ट की ब्रांच नहीं रहनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, जो मसला है अभी तक, आज मेरे सुनने में आया है कि यह सब आल इन्डिया बेसिस पर जो निर्णय होगा उस पर होगा। तो इस पर अभी से कुछ कहना और रीएक्शन लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह प्रीमेच्योर है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हाई कोर्ट कहां रखी जाती है, हाईकोर्ट वहीं रखी जाती है जहां जनता को सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो और मकानों के लिये भी सुविधा हो। अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हाईकोर्ट के लिये जयपुर में मुकाम उपयुक्त नहीं है, तो यह कहूंगा कि यहां पर राजधानी है, शिमला है जहां बहुत से बड़े-बड़े मकान हैं, लेकिन चंडीगढ़ में वापिस हाई कोर्ट ले जा रहे हैं और यहां पर भी अगर हाईकोर्ट ला रहे हैं, तो बिल्डिंग्ज की कमी नहीं है। हाईकोर्ट के लिये और अमले के लिये रहने के लिये मकानों की कमी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, यह तो सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि हाईकोर्ट कहां हो। मैं यह कहूंगा कि इसमें दो राये नहीं हो सकती कि थोड़े थोड़े विभाग सभी जगह भेजने चाहिये। लेकिन जहां पर राजधानी होती है, वहां पर हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड तो जरूर रहना चाहिये; क्योंकि मैं अर्ज करता हूं कि यहां पर बाहर के वकीलों ने जैसे उदयपुर, कोटा आदि के तमाम वकीलों ने लाखों रुपयों की इमारतें बना ली हैं और बाहर हाई कोर्ट होगा तो बड़ी दिक्कत होगी इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि बार रूम अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं कि यहां का बार बहुत अच्छा है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : हम सदन से बाहर की स्थिति पर विचार नहीं कर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे भी तो कह रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको भी रोका है और आप भी रुकेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझे आप बता दीजिये कि ६ वर्षों से ब्रांच यहां पर हाई कोर्ट की होते हुए भी कौन से वकील को बाहर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

जाना हुआ ? जयपुर के मुकाबले में दूसरा शहर कौनसा हो सकता है ? इसलिये यहां की जो जयपुर की ब्रांच है और जो जयपुर में स्थान है उचित है और मैं यह कहता हूं कि जयपुर में हाईकोर्ट के लिये उपयुक्त स्थान है और यह यहां रहनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट और ये तमाम दूसरे महकमों को भेजने के लिये हमें इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। इसमें जनता की राय भी जानने की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं तो यह निवेदन करता हूं कि इसके लिये आधार वही होना चाहिये कि फलां जगह मुकदमें ज्यादा होते हैं और फलां जगह मुकदमें कम होते हैं। जब तक यह पता नहीं लगता है, तब तक हमें उसको पब्लिक की राय पर छोड़ देना चाहिये। पब्लिक को कितना उत्साह है यह मालूम हो जाएगा कि वह जोधपुर को पसन्द करती है या उदयपुर को। इसलिये मैं इस समय इस मसले पर कि हाईकोर्ट को यहां से ले जाई जावे, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

(बहुत से माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष, इस समय हम राजस्थान की राजधानी के सम्बन्ध में राव कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। इसके संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों से आये हुए माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। उनके विचारों की व्यग्रता को देखते हुए मुझे लगभग ९: १० वर्ष पुरानी स्मृति ताजी हो गई वह यह कि सम्भवत: १९४९ में, जिस समय यहां जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें स्व० पटेल पधारे थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रश्न विचारार्थ लिया जा रहा था। इससे पूर्व संयुक्त मत्स्य राज्य बन चुका था और उदयपुर–कोटा को मिलाकर पहिला राजस्थान बना था, जयपुर, जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर सिरोही आदि इससे अलग थे। उस समय सरदार पटेल ने कांग्रेस के प्रमुख जनों से परामर्श लेना उपयुक्त समझा और लिया। उस समय वे रामबाग राज्यप्रासाद में ठहरे थे और वहीं सभी स्थानों के कांग्रेस जनों के व्यक्तियों को आमंत्रितकिया और उनसे सलाह मशविरा किया। मुझे पूरी तरह से याद है कि उस समय सभी कांग्रेस-सदस्यों ने एक राय से इस बात को स्वीकार किया था कि राजस्थान का एकीकरण होना चाहिये, और छोटे छोटे राज्यों का समाप्त करना स्वाभाविक है। उस समय स्वर्गीय पटेल ने एक बड़ी गम्भीर बात कही थी। उन्होंने यह कहा था, कि आप लोग राजस्थान के एक होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिये कि जिस समय राजस्थान एक होगा, उस समय आप लोगों में से जो बहुत से मिनिस्टर हैं अलग अलग राज्यों के उनमें से सबके सब मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग विभाग और हाई कोर्ट और दूसरे कार्यालय भी वहां पर नहीं रहेंगे। इन सबको इधर उधर होना पड़ेगा और वहां का लोक मत खिलाफ होगा तथा आन्दोलन भी होंगे उसके लिये भी आपको तैयार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरदार पटेल की इस चेतावनी के बावजूद भी सभी लोगों ने एक स्वर से इसको स्वीकार

Page No.80

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

किया कि हम राजस्थान को एक करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद कितना परिवर्तन हुआ। लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों को इधर उधर जाना पड़ा है। लेकिन देश के विकास के लिये, देश से भुखमरी को और निरक्षरता को दूर करने के लिये, देशवासियों ने सब कुछ सहन किया और इसी दृष्टि से राजस्थान वासियों ने भी; चाहे उन्हें कितनी ही इसके लिये कठिनाइयें क्यों न उठानी पड़ी सब इस बात पर तैयार हुए कि राजस्थान एक हो। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्य भंग हुआ। उस समय सबसे पहले जो प्रश्न आया, वह यह था कि इसकी राजधानी कहां हो।

उस समय भी मैं समझता हूँ, इस प्रकार पटेल कमेटी के नाम से एक कमेटी का निर्माण हुआ था और उस पटेल कमेटी ने लगभग सभी जगह इसी प्रकार दौरा किया था जिस प्रकार से राव कमेटी ने दौरा किया था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर इन सब स्थानों का उसने दौरा किया, छोटे स्थानों को छोड़ दीजिये उनकी आवाज तो दब चुकी थी, उनका एकीकरण हो चुका था और ये बड़े राज्य ही रहे थे और सब ही यह चाहते थे कि राजधानी हमारे यहां हो। जयपुर वालों ने दावा किया जोधपुर वालों ने किया, उदयपुर और बीकानेर वालों ने भी यह दावा किया। अजमेर यदि उस समय राजस्थान के साथ होता तो वहां भी दौरा ज़रूर होता, लेकिन उसको देखा भी गया। मेरी तो यह मान्यता है कि यदि उस समय अजमेर राजस्थान में मिला होता और राजधानी का प्रश्न सामने होता तो अजमेर को राजधानी बना दी जाय यह निर्णय, मैं समझता हूं हुआ होता। अब तो तब से लेकर नदियों का बहुत सा पानी बह कर निकाल गया है। यदि उस समय अजमेर को राजधानी बनाते तो उपयुक्त हो सकता था। अब तो जयपुर निश्चित रूप से राजधानी बन चुकी यहां करोड़ों रुपया लग चुका है। मैं समझता हूं करोड़ों से भी कहीं अधिक करोड़ जनता का रुपया लग चुका है, यहां सब सुख सुविधायें जो एक राजधानी के लिए होनी चाहिए, उपलब्ध हैं, ऐसे समय में अजमेर के लिए स्थानान्तरण करना उपयुक्त नहीं होगा। अजमेर से आने वाले सज्जन इस बात से प्रसन्न होंगे कि अन्य स्थानों की अपेक्षा अजमेर से जयपुर नज़दीक है; मैं समझता हूं राजधानी के लिये जयपुर भी इतना ही उपयुक्त है। जितने दूसरे स्थानों के लिए अजमेर। राव कमेटी ने राजधानी के प्रश्न को इसीलिए नहीं उठाया।

अब जो जटिल प्रश्न हमारे सामने है, वह है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के लिए मैं स्वीकार करता हूँ कि पुरानी पटेल कमेटी ने जोधपुर में हाई कोर्ट रखने का निर्णय किया था। मैं यह समझ नहीं पाया कि ६ वर्ष तक जोधपुर की ओर से इस प्रकार के प्रश्न को क्यों नहीं उठाया गया। तीन चार साल पहले पंतजी द्वारा यहां हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और अभी भी यहां हाईकोर्ट एक बेंच के रूप में है। वकीलों की बात

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

कहूं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं वकील नहीं हूं। हाईकोर्ट रखने में वकीलों का इन्ट्रेस्ट हो सकता है कि वह यहां रहे या कहीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और रहे यह उनका इन्ट्रेस्ट हो सकता है । दुकानदारों, रेस्टोरेन्टों का इन्ट्रेस्ट हो सकता है या टेक्सी वालों व तांगा वालों का इन्ट्रेस्ट हो सकता है । मेरा इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है, जयपुर में हाई कोर्ट होता है तो भी विशेष हित होता है या जोधपुर में जाता है तो विशेष हित होता है । लेकिन मैं जिस जनता का प्रतिनिधि हूं, उस जनता की सुविधा की दृष्टि से सोचता हूं कि जिस जनता की बात इस कमेटी ने स्थान स्थान पर उठायी है, विशेष तौर पर इस कमेटी ने जोर दिया है, हमें वकीलों की परवाह नहीं है, ३० ४० वकीलों की परवाह नहीं, लेकिन जनता की परवाह है जो हाई कोर्ट में जाती है । उनके वर्ड्स हैं : "But the inconvenience of a few lawyers should not be the deciding factor, as the courts exist primarily for the litigant public." तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट जहां पर हो लिटिगेन्ट पब्लिक, मुकदमे लड़ने वाली जनता के लाभ की दृष्टि से हो, उसका हित कहां है, कम से कम पैसे में न्याय कहां मिल सकता है, उस स्थान को रखने के लिए हम लोगों का विचार होना चाहिए । मैं इस दृष्टि से विचार नहीं करता कि मुझे जयपुर से कोई विशेष प्रेम है, मैं तो जयपुर का रहने वाला भी नहीं हूं, मैं तो भरतपुर जैसे एकान्त स्थान का रहने वाला हूं, जैसे जोधपुर और बीकानेर हैं । मैं कह सकता था कि हाई कोर्ट जोधपुर में न रख कर, जयपुर में न रख कर, भरतपुर में इसको रख दिया जाय । मैं आज भी महसूस करता हूं कि यदि ऐसा होता तो अन्याय होता । मैं कभी यह गवारा नहीं करता कि भरतपुर में मुकदमों के लिए जालोर से आदमी आयें, बाड़मेर से आदमी आयें, वे इतना रास्ता पार करके वहां आयें । मैं पूरे हाई कोर्ट को यहां रखने का भी पक्षपाती नहीं हूं । जोधपुर की, जैसलमेर की, बाड़मेर और सिरोही की जो जनता है, बीकानेर डिवीज़न की जो जनता है उनके लिए हाई कोर्ट जोधपुर में जरूर रहे । इसमें किसी का पक्षपात नहीं है । विशेष तौर से किसी के लिए जरूरीयात नहीं है । जयपुर डिवीज़न अकेला इतना है कि यदि उसको आधा राजस्थान कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । जयपुर डिवीज़न और कोटा डिवीज़न दोनों के जितने जिले हैं और वहां की जनता का जहां तक मुकदमेबाजी का सम्बन्ध है इससे सम्बन्धित हैं । यदि इन दोनों डिवीज़नों की जनता की गणना करें तो बाकी के जो तीन डिवीज़न की जनता है, उनसे उन दोनों की जनता अधिक हो जाती है । कोटा के साथ झालावाड़ की जनता हो सकती है, अलवर भरतपुर और धौलपुर की हो सकती है । धौलपुर का कोई गरीब व्यक्ति, किसान, मुझे बड़े जागीरदारों और जमींदारों से कोई सहानुभूति नहीं, बड़े बड़े व्योपारियों से भी कोई सहानुभूति नहीं, चाहे वे मुकदमा जोधपुर जाकर लड़ें, जोधपुर जावें या बम्बई जावें, उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन उस किसान और गरीब व्यक्ति से सहानुभूति है, जो सौ दो सौ रुपया खर्च करके भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न्यायालय में, सस्ते न्याय के लिए जाता है । धौलपुर से और भरतपुर से ऐसे व्यक्ति हिम्मत कर सकते हैं जब कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच रहे । लेकिन जब बेंच यहां नहीं रहेगी, तो वह यह समझेगा कि अब तो जोधपुर जाना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि पचास साठ प्रतिशत तो ऐसे व्यक्ति होंगे

Page No.82

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जो हिम्मत नहीं करेंगे कि जोधपुर न्याय के लिए जायें। उसका कारण क्या है ? जब भरतपुर, धौलपुर का एक व्योपारी या गरीब किसान यहां आता है। तो वे पहले पहल यह नहीं टटोलते हैं कि जयपुर में पुराने वकील कौन २ हैं जो बहुत दिनों से यहां वकालत करते हैं, बल्कि वे तो यह टटोलते हैं कि अलवर वाला है तो अलवर वाले को टटोलते हैं, उसमें उनको सुविधा रहती है, कोटा बूंदी का आता है, तो वह यहां के वकील के पास जाता है। जहां तक बन पड़ता है, वह यहां के बड़े बड़े वकीलों के पास नहीं जाता। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि दूसरी जगहों के अधिकांश वकील यहां आगये हैं; चूंकि यहां हाईकोर्ट की बैंच मुकर्रर हुई है, इसलिए आगये हैं; उनके मुवक्किल, क्लाइन्ट्स भी यहां आने लग गये। हुआ क्या ? जितने वकील हैं, उनमें से अधिकांश यहां आकर रह गये हैं। धौलपुर के वकील यहां पर हैं, भरतपुर के यहां पर हैं, उदयपुर के यहां पर हैं। वकील और क्लाइन्ट्स का परस्पर फिर से सम्बन्ध जुड़ गया है। यह कह सकते हैं कि जयपुर में रहने वाले हैं वे जोधपुर चले जायेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको जहां के लिये पैसा मिलेगा वे जावेंगे। लेकिन फिर भी सुविधा उनको मिलती है, किन्तु मुकदमा लड़ने वाले को नहीं मिलेगी। भरतपुर के वकील यहां आबाद हैं, अलवर के वकील यहां आबाद हैं, कोटा के यहां आबाद हैं, बूंदी, सीकर, झुंझनूं और सवाई माधोपुर के वकील यहां आबाद हैं और मैं समझता हूँ कि उदयपुर तक के वकील यहां आकर आबाद हो गये हैं, ऐसा नहीं है कि वे सब जोधपुर चले जावेंगे किताबों का एक छोटासा बक्स लेकर। मुझे मालूम हुआ है कि कईयों ने अपने आवास भी यहां बना लिये हैं। कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से भरतपुर, धौलपुर, अलवर को छोड़ कर जयपुर में आकर रहे हैं उसी प्रकार जोधपुर भी जाकर रह सकते हैं। लेकिन यह अव्यवहारिक नहीं है आज की स्थिति में। जिन वकीलों ने, यहां आकर जो कुछ भी कमाया अथवा और कुछ किया, उन्होंने करीब २०, २५ हजार रुपये से जयपुर में रहने के लिए मकान बना लिये, जोधपुर में अगर हाईकोर्ट रहे तो वह जोधपुर में भी बना ले यह अव्यवहारिक सा मालूम पड़ता है। इसलिए उस जनता की दृष्टि से जिसका हित ही सर्वोपरि है, जिस जनता का नाम लेकर इस रिपोर्ट में जगह जगह सिफारिश की गई है; उस जनता के हित की दृष्टि से हाईकोर्ट होना चाहिए, मेरा जैसा व्यक्ति जो राजस्थान तो क्या सारे हिन्दुस्तान और विश्व को विश्व-बन्धुत्व की दृष्टि से देखता है, अलग अलग दृष्टि से नहीं देख सकता। राजस्थान को इस दृष्टि से नहीं देख सकता कि जयपुर अलग है जोधपुर अलग है और उदयपुर अलग है। राजस्थान सारा एक काया है, शरीर है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, ये सब राजस्थान के एक एक अंग हैं, कोई राजस्थान रूपी शरीर का सिर है, कोई धड़ है, कोई हाथ है और पैर हैं और यदि शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर होता है तो तकलीफ पाता है, अगर राजस्थान के किसी हिस्से की जनता को तकलीफ होती है, तो सब को उसके लिए दुःख होना चाहिए। न्याय की दृष्टि से और जनता की दृष्टि से। उसको सुलभ न्याय कहां मिल सकेगा, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार किया जाना

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चाहिए। इसलिए अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि जयपुर डिवीज़न कई जिलों का डिवीजन है; अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ आदि जगहों के लिए वहां पर पहले से ही सुविधा हो गई है, तो उसको देखते हुए वहां की जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच रहना आवश्यक है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी किसी का झगड़ा हो तो झगड़ा होने के बाद में एक न्यायालय स्थापित कर दें और उसको पंचायती सौंप दें। उस पंचायत के सामने जाकर तीन, चार, पांच जगहों की झगड़े की बातें कह दें उसके सामने आर्ग्युमेंट्स दे दें, तथ्य दे दें, उसके बाद भी अगर कोई फैसला करने बैठता है और फैसला दे देता है, उसके बाद भी अगर कोई कहे यह बात नहीं कही, यह बात ध्यान में नहीं रखी और फैसला दे दिया, इसलिये तुम्हारी अक्ल टिकाने लगा देंगे। न तो कोई आर्ग्युमेंट्स दे, न दलीलें दें फिर भी ऐसी बातें कोई करता है, तो उससे धींगा मस्ती ही कह सकते हैं, इसलिये अगर आज हमें राजस्थान की बेहबूदी उसकी इकाई उसके संगठन को बनाये रखने के लिये एक निर्णय देने के लिये किसी कमेटी को देते हैं, तो हमारे लिये फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि जो कुछ भी व्यवस्था उसने दी है उस व्यवस्था को ध्यान से सुने और समझें। इसके अलावा यह भी बात नहीं कि उसके सामने कम कहने का मौका मिला हो। हमें जो कुछ कहने को था हमने उनके सामने रखा और उसके आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने तथ्यों को पूर्ण रुप से विवेचन किया, उसमें न किसी को छिपाया गया है और कुछ न बढ़ाया ही गया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली दफा राव कमेटी यहां आयी थी। उस समय यहां के बार एसोसियेशन द्वारा एड्रेस दिया गया था, उसमें मैं भी उपस्थित था, उपाध्यक्ष महोदय, उस एड्रेस में इस नगर की बहुत तारीफ की गई थी मगर मुझे खेद होता है। इस नगर के प्रति जब कोई रोष प्रकट की करता है। इस गुलाबी नगर के प्रति हमें गर्व है इसके रंगीले पन पर गर्व इतना ही नहीं बल्कि यहां की गलियों के प्रति भी हमें मोह है क्योंकि यह नगर हमारा राजस्थान का नगर है। जब एक बड़ा भाई छोटे भाई की अच्छाइयों बुराइयों के प्रति सद्भावना रखता है, तो समझ में नहीं आता जब बड़ा भाई यह कह दे कि तुम्हें यह भार सौंपा दिया जाता है तेरा हित इसी में है, फिर भी अगर वह हठ करता है तो इसमें बड़प्पन के उपयुक्त बात नहीं है। क्या बड़प्पन इसी बात में है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जालोर का आदमी भरतपुर आये। राजस्थान की विशालता राजस्थान की महानता और राजस्थान का गौरव इसी में है। जोधपुर के बारे में जिक्र करते हुए राव कमेटी ने यह लिखा है कि वहां कि जनता ने बहुत ही रीजनेबल बातें रखी रीजनेबल बातें रखते हुए भी केपिटल के बारे में उन्होंने अपना किसी प्रकार से भी क्लेम ज़ाहिर नहीं किया। वे भी जोधपुर को केपिटल रखने के बारे में अपनी राय ज़ाहिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इसलिए सब का हित इसी में है कि किसी बात को किस ढंग से रखा जाय और किस ढंग से कहा

(श्री तनसिंह)

जाय उस कहने के अन्दर सद्भावना होती है। एक ऐसी बात होती है जिसमें हम स्वयं निर्णय करें या सिर्फ कहने के लिये कह दें या केवल फेफड़े की एक्सरसाइज करने के लिये कहते हैं या उसमें वास्तविकता भी है। अगर जयपुर के पक्ष में निर्णय हो या जोधपुर के पक्ष में निर्णय हो तो जितने भी लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको शान्ती रखनी चाहिये । लेकिन यह बात नहीं होनी चाहिये कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। सब मुझे दे दो या सब मैं ही रख लूं यह न्याय की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक कहानी याद आती है शेक्सपीयरके चरित्र की साइकोलोजी की। उसमें यह निर्णय किया था कि दो हजार मोहरें किसी को दीं और उससे यह तय किया गया कि अगर वह समय पर मोहरें नहीं देता है, तो एक पौन्ड मांस निकाल दिया जाय । निर्णायक के अनुसार यह फैसला बिल्कुल ठीक जो कुछ तय किया गया है अच्छा है उस समय की साइकोलोजी कहती है कि उसके जैसा न्यायप्रिय और योग्य व्यक्ति देखा नहीं। उसके जैसा निष्पक्षव्यक्ति नहीं देखाजब फैसला देने आयतो यह फैसला दे ते हैं। कि मांस तो निकाल सकतेहैं, लेकिन खून का कतरा बाहर नहीं जाना चाहिये और एक पौन्ड से ज्यादा मांस निकलना ही नहीं चाहिये। लेकिन जब फैसला होता है उसके बाद यह कहना यह बड़ा अन्याय हुआ बड़ा पक्षपात हुआ। कतई उचित नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब यहां राव कमेटी आयी थी, उस समय राव कमेटी के सदस्यों की बहुत तारीफ की गई थी उनके बारे में मुझ को खुद को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी यहां के निवासियों ने बैकडौर से आकर कार्यवाही करना शुरू कर दिया । जो लोग सदस्यों की योग्यता और निष्पक्षता के विषय में पुल बांधा करते थे और कहा करते थे, एक तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, दूसरे इन्जीनियर हैं और तीसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन तीनों की निष्पक्षता के विषय में जयपुर के निवासियों ने तारीफ की थी।

श्री मुकिलाल मोदी : मैंने तो खिलाफत की थी।

श्री तनसिंह : जब इस प्रकार की रिपोर्ट पेश हो जाती है उसके बाद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग जाकर के दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे माननीय सदस्यों के प्रति सद्भावना है उन पर मैं आक्षेप करना नहीं चाहता। जब वे दस्तखत करते हैं, तो उनको एक बार सोचना चाहिये कि आज हमारे पर राजस्थान का उत्तरदायित्व है। वैसी हालत में इसके संगठन इसकी इकाई और इसकी बेहबूदी का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से हम पर है। केवल भावना के वशीभूत होकर दस्तखत कर देते हैं और उससे इस प्रकार की परिस्थितियों उत्पन्न कर दें जिससे संगठन में विघटन पैदा हो, जहां हमारे एक एक एक्शन और एक एक शब्द का अभिप्राय होता है वैसी हालत में इसका मतलब बे मतलब भी निकल सकता है और असंगठन की भावना भी पैदा हो सकती है। क्या आप यहां भी उसी हालत को दोहराना चाहते हैं जैसी कि बंबई और अहमदाबाद में हुई। मेरा यह निवेदन है हम यदि इस प्रकार

(श्री तनसिंह)

से बातें करते हैं, तो वास्तविकता और न्याय के प्रति गुमराह करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस प्रकार की बातों को यहां कहना ही नहीं चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य ने बड़े रोचक ढंग से वकीलों की वकालत की। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस प्रकार की बातें की जिसके बारे में मुझे एक कहानी याद आगई। एक व्यक्ति ने भंग पी ली और भंग पीकर वह सोचने लगा कि बरसात आयगी तो ये चीलें कहां जायगी यह कहते हुए वह बड़ा परेशान हो रहा था। उसी प्रकार से आज यहां भी सोचा जा रहा है कि हाई कोर्ट अगर उठ जायगा तो वकील लोग कहां जायेंगे। मेरा उन माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे जहां भी जायेंगे उनके लिए घर है, उनके लिए सोचने की बात नहीं। सोचना तो उन लोगों के लिए होता है जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं, जो आम जनता के हित की बात होती है, मामूली वर्ग के विषय में बात हो तो सोचने को आवश्यकता है। आज जिस वर्ग की वकालत की जा रही है वह वर्ग गरीब वर्ग नहीं जो अन्य स्थान पर जाकर व्यवस्था न कर सकता हो। वकीलों की वकालात यहां तो क्या किसी भी अदालत में करने की आवश्यकता नहीं।

श्री सरदारसिंह : वकालत नहीं, वास्तविक बात कही थी।

श्री तनसिंह : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,

श्री उपाध्यक्ष : कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री तनसिंह : एक बात और भी यहां कही गई वह यह कि यहां के हाई कोर्ट की बिल्डिंग का शिलान्यास हमारे गृह मंत्री महोदय ने किया था उस समय जोधपुर वाले चुप क्यों रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह न तो आरगूमेन्ट है और न हम गधा मस्ती में विश्वास ही करते हैं। क्या हमारे से आप यह आशा करते थे कि हम काले झंडे लेकर यहां आवें और पंतजी को यह बतलाते कि हमें आपका शिलान्यास करना पसन्द नहीं। हम तो स्पष्ट और न्यायप्रिय निर्णय चाहते हैं शान्ति का मार्ग अपनाने वाले हैं और उसके लिए भी मनुष्योचित उपाय अपनाने के हामी हैं और ठीक ढंग से विचार करके ही कोई रास्ता अपनाते हैं और अपनाना चाहते हैं और राजस्थान के गौरव के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हमें लातें उछालना धींगा मस्ती में विश्वास नहीं है। मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, यहां के एक महानुभाव का स्टेटमेंट याद आता है जो इस सदन में नहीं उन्होंने अखबारों में दिया था...

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं उनके वक्तव्य का उद्धरण देना ठीक नहीं है। उसके साथ साथ बाहर भी यदि कोई वक्तव्य दिया गया हो तो उस पर भी प्रकाश नहीं डालें।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति ने यह कहा था कि यदि हाई कोर्ट की बैंच यहां से हटा दी गई, तो हम आन्दोलन नहीं करेंगे, आन्दोलन वे करते

(श्री तनसिंह)

हैं जिनके अन्दर कमजोरी हो जो साइकोलोजी जानते हैं वे इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं इनडाइरेक्ट रूप से इससे आन्दोलन की धमकी मिलती है। मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा अगर उनको आन्दोलन के प्रति भय है। तो वे इस भय को निर्मूल कर दें। इस भय को निकाल दें। क्योंकि ऐसा समय और ऐसी कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं राज्य में जब उनको दृढ़ कदम उठाने की जरूरत पड़ती है और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? किसी न्यायपूर्ण कदम के लिए कोई गलती करता है, अलग रास्ता अपनाता है तो कानून का रास्ता उसके लिए खुला पड़ा है। वे लोग जो आज धमकी देना चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सोचना चाहिये कि आखिर आप क्या अन्याय कर रहे हैं। आप इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आखिर आपको राजधानी मिली है, विकास के सारे साधन आपको मिले हैं, तो दूसरों को अगर उससे छोटी चीज भी मिलती है। तो उसे वह भी नहीं देना चाहते, उसको मिली हुई वह चीज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई चुप रहे, तो उसको जीने का अधिकार नहीं, पनपने का तरक्की करने का अधिकार नहीं। आप केवल अपना ही पेट भरना चाहें तो यह जरूरी है कि हम लड़ेंगे नहीं आपस में, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपका यह काम उचित है या कानून की दृष्टि में और समानता की दृष्टि में उचित है ऐसी बात नहीं कह सकते।

अब तथ्यों की दृष्टि से मुझे कहना नहीं है क्योंकि इस विषय में तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। राव ने इन तथ्यों को तोला है, आंकड़ों को देखा है।

पर आज जो इस असेम्बली में यह बात लाई गई है और जिस ढंग से लाई गई है इसका अभिप्राय यह है कि हम आज इस पर दबाव डालना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर हमें स्वस्थ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी पैदा करनी है तो हमें उसकी मर्यादा को समझना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। जब हम एक कमेटी मुकर्रर करते हैं और विशेषज्ञों की कमेटी मुकर्रर करते हैं तो स्वाभाविकतया यह हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम उनको मानें। यह जरूर है कि हम सिफारिशों को रद्दोबदल कर सकते हैं। पर सामान्यतः जब विशेषज्ञ कमेटी मुकर्रर करते हैं तो इसके बाद.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

१५ मिनट हो गए हैं क्या? साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये। इस पर तो मैं सोचता हूं।

श्री तनसिंह : तो उसकी जो सिफारिश है उसका आदर करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए आज जब एक विशेषज्ञ कमेटी सारे राजस्थान का एक्सटेन्सिव टूर करके और हर तरह की जांच पड़ताल करने के बाद रिपोर्ट देती है, तो ऐसी सूरत में, ऐसे मौके पर हम भावनाओं में न बहें और मौका दें कि इस कमेटी की सिफारिशों का क्रियान्वन हो।

आज आप आन्दोलन की धमकी देते हैं, पर मैं यह कह दूं इसमें जनता आपके

(श्री तनसिंह)

साथ नहीं है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अगर हाई कोर्ट लेना है। तो ले लिजिये केवल हाई कोर्ट के लेने से जयपुर की हो जावेगी तो हमारी सारी सहानुभूति और सद्भावना आपके साथ है। पर इसके बाद हमारे मन में एक गुमा रहेगा और कसक रहेगी कि इस बटवारे में भाईचारे की बात नहीं बरती गई, सारे राजस्थान को एक रूप से एक आंख से नहीं देखा जाता, जयपुर ही जयपुर के स्वार्थ से देखा जाता है। यह भावना राजस्थान के हित के लिए उपयुक्त नहीं। उसकी सामूहिक तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों कमेटियों की सिफारिशों को सद्भावना पूर्वक मान्य किया जावे और इस बारे में कोई भय सरकार को हो तो उसे निर्मूल समझना चाहिये। न्यायपूर्ण चीजों में भय दिखाना उचित नहीं। ठीक रास्ते पर चलने वालों को तथ्यों को समझना चाहिये और सारे जनहित में काम करना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, सब कमेटी को जो रिपोर्ट सदन में वाद विवाद के लिये प्रस्तुत है, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रसंग है, जिस पर हम लोगों को थोड़ा सा अपनी भावनाओं को संयत रखकर ही विचार करना पड़ेगा।

कुछ बातें जो सदन में कही गई हैं उनमें वृहत् राजस्थान के समय की परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया। एक बात कही गई कि जयपुर को राजधानी उसके गुणों के आधार पर बनाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात कहने वाले ने यह बात कह कर जयपुर की कोई सेवा नहीं की। पहले राजस्थान बनने के समय एक परिस्थिति थी और उसका सारा लाभ लेकर जयपुर को राजधानी बनाया गया। यह एक खुला राज है। उस समय जयपुर के भूतपूर्व महाराजा की तीन शर्तें थीं और वे शर्तें ये थीं कि जयपुर का महाराज राजप्रमुख बनाया जावे जिन्दगी भर के लिये और जयपुर को राजधानी बनाया जावे और सम्भव हो तो जयपुर का ही कोई व्यक्ति मुख्य मन्त्री बने, सारा राजस्थान आज इस बात को जानता है कि राजधानी के प्रश्न पर सारे राजस्थान की जनता की एक आवाज थी कि अजमेर को राजधानी बनाया जाय और आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि राजस्थान का जनमत लिया जावे, तो आज भी राजस्थान की जनता के अधिकांश मत अजमेर को ही राजधानी बनाने के पक्ष में मिलेंगे। इसलिये गुणों की और अवगुणों की आज चर्चा करना समीचीन नहीं होगा। यह कहना कि जयपुर को राजधानी इसलिये बनाया गया कि इसमें गुण ही गुण हैं और राज्य के नगरों में गुण नहीं है, मैं समझता हूं कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण और यदि कहना चाहूँ तो प्रसंग से इधर उधर की एक बात होगी। ये बातें हो जाती हैं। जब कि एक स्थिति आ जाती है, एक संयोग मिल जाता है एक सौभाग्य बरस पड़ता है और जब एक काल बीत जाता है तो सौभाग्यशाली कहता है कि सौभाग्य उसकी बिन्दु का कुंकुम है, सूरज की तरह से चमकता है। इसलिये आज इस किस्म के प्रश्न की जरूरत नहीं है। पर अगर आज सब कमेटी के आधार को लेकर बहुत सी बातें, बहुत से सवाल आप खोलना चाहते हैं तो आइये राजधानी का सवाल भी खोल दिया जाय आखिर कहा तो यही जा रहा है न कि राजस्थान की दृष्टि से राजस्थान की जनता के मत को लेकर हमें फैसले करने चाहिये। हम इस बात को मानते हैं। अगर

(श्री जनार्दनराय नागर)

आप ईमानदारी से फैसला करना चाहते हैं, तो आइये इस सवाल को भी खोल देते हैं, क्या बिगड़ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये अपने मित्रों से कहता हूं कि आइये आप इस राजधानी के प्रश्न को भी खोल दीजिये। जयपुर आज शहर बन सकता है और राजधानी हो सकता है तो अजमेर भी शहर बन जावेगा। अजमेर का भी न्याय्य हक है। अजमेर मिला हमारे में, बाद में मिला, अजमेर के साथ हमने समझौता किया, कुछ वादे किये, विलीनिकरण के वक्त फैसला किया उसके साथ और आज नैतिक दृष्टि से आज अगर उसको मान कर चल सकें, तो यह हमारे चरित्र के लिये अच्छी बात होगी। आज क्या हम उस कहानी को भूल गये, जब राजस्थान के कुछ नरेशों ने हमारे पड़ौसी स्वतन्त्र देश से मिलने की बात की थी। आप इतिहास की उनरदुरमिसन्धिपूर्ण पंप्रन्चनाओं को भूले, नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये रेफेरेन्सन दें जो इससे सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अच्छा उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतिहास की दुरमिसन्धियों की ओर इशारा कर रहा था। तो इसलिये मेरा निश्चित मत है कि यदि हम आज मानते हैं कि राजधानी का सवाल समाप्त हो चुका, तो और भी सवाल समाप्त समझने चाहिये। मैं मानता हूं यह एक गुलाबी शहर है, रंगीन शहर है, चुलबुला रमणीक नगर है। जहां तक इसके गुलाबीपन का सवाल है, हम इसके साथ हैं। आज तो यह राजधानी है इसलिये मान सकते हैं कि यह आज सारे राजस्थान की प्रतिभा का केन्द्र स्थान है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम राजधानी के प्रश्न को खोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर दूसरे और तीसरे सवालों को क्यों खोलना चाहते हैं? हाई कोर्ट के प्रश्न को ही खोलने की फिर हमें क्यों आवश्यकता है। तारीफ की बात तो यह है कि दो दो कमेटियों ने निर्णय दे दिया, पटेल कमेटी ने निर्णय दिया, राव कमेटी ने निर्णय दिया कि हाई कोर्ट जोधपुर में रहेगा। फिर मुझे समझ में नहीं आता जब दो दो कमेटियों का एक मत से फैसला हो गया, तो फिर इस हाई कोर्ट के लिये आन्दोलन करने की बात कहना और इस बात पर आग्रह करना कि इस प्रश्न को फिर से खोल दिया जाय, कहां को न्याय की बात है। इसके लिये मुझे कोई तर्क समझ में नहीं आया। आज की राजस्थान की परिस्थितियों की दृष्टि से भी मुझे तो यह कतई उपयुक्त नहीं मालूम होता।

सर्वोपरि आज राजस्थान का राजनैतिक और सामाजिक जीवन जिस विकास की प्रसव पीड़ा के प्रयत्न में है, और प्रयत्न करना है, कोई यह न समझे कि हम उस प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गये हैं, हमारी प्रसव पीड़ा आज भी समाप्त नहीं हुई है। जब राजस्थान कठिन प्रसव पीड़ा में था जब हमारी २२।२३ रियासतों को, उसके इतिहास को, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को, हमारा अभिमान था, अन्तर की परामपरा का अभिमान था, हमारे अपने घाव थे, हमारे अपने आश्चर्य थे, उन सबके बीच हमने अत्यन्त कठिन प्रसव के रूप में राजस्थान का निर्माण किया। आज भी वह प्रसव पीड़ा जारी है। हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, रचनात्मक कार्यों से इस प्रान्त को सबल इकाई बनाना है, सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति पाकर

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता और विकास की ओर बढ़ना है । इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का सवाल भी तै मान लिया जावे जिस तरह से राजधानी का प्रश्न तै मानते हैं । और आज जब सारे हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट का सवाल सर्वोच्च स्तर पर है, तो न जाने आज के पांच साल के भीतर भीतर हाई कोर्ट की स्थिति स्थापत्य में सारे देश की दृष्टि से क्या परिवर्तन हो तब हम आज हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर झगड़ा पैदा करें यह उचित बात नहीं होगी ।

१२ मध्याह्न

इसलिए मेरा यह निश्चित मत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राव कमेटी ने जो फैसला दिया है । उस फैसले को निश्चित रूप से और स्पिरिट से मानना चाहिए, और राजस्थान में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि उस फैसले को भारत का गृहमंत्री ठीक प्रकार से मान ले और हमें भी यह विश्वास होना चाहिए कि भारत के गृह मंत्री जी इस फैसले को मानेंगे । उस फैसले को हम अच्छी तबियत से, सहयोग की भावना से कार्यान्वित करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अन्देशा है कि हाईकोर्ट के प्रश्न को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आठ साल की जिस अंधेरी घाटी से हम गुजरे हैं उसमें कहीं गिर न जायें । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पुरानी सामन्त जो अन्तर-आत्मा है और जो आज भी चिरकाल से रेंगती हुई चली आ रही है, ऐसा न हो कि हमारे नहीं चाहते हुए भी हमारे सामने बड़ी बाधा के रूप में आ जाये । हमने राजधानी के प्रश्न को निश्चित कर लिया और उसके लिए आज भी जनता की मांग हो सकती है, लेकिन एक चीज तय हो गई और जो वस्तु निश्चित रूप से आ गई और जिसको हमने स्वीकार कर लिया उसे स्वीकार कर लिया । मैं मेरे मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजधानी के मामले को निश्चित रूप से मान लिया उसी प्रकार से हाईकोर्ट के मामले को भी निश्चित मानकर चलना चाहिए । यह नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ को नहीं मानें और दूसरी चीज़ को मान लें यह कैसे हो सकता है कि मीठा मीठा तो आप लें और कड़ुवा दूसरों के लिए हो । यह प्रक्रिया आज राजस्थान में होने वाली है । हमारे जयपुर के मित्रों ने जो कर्णधार थे, भाग्य विधाता थे उन्होंने जयपुर को सदा ऊंचा उठाने में विश्वास किया और राजस्थान के दूसरे अंगों को निर्बल रखा । राजधानी के प्रश्न को तय करने के लिए कितनी ही कमेटियां बनीं, लेकिन उनके फैसले सरकार की मेज़ में रखे रहे । एक बहुत बड़ा सवाल राजस्थान में रहा कि राजस्थान की उजड़ी हुई राजधानियों के लिए ठीक प्रकार से उनका राजस्थान में कैसे विकास किया जाय । जहां तक जोधपुर का सवाल है राजस्थान के अन्य शहरों के बजाय आज जोधपुर का प्रश्न हमारे लिए अधिक चिन्ता का विषय है । उदयपुर के समान वह औद्योगिक नगर नहीं है । उसकी भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है कि जिससे हमें उसके प्रश्न पर चिन्ता के साथ सोचना पड़ेगा । जैसा मेरे मित्र ने कहा कि जोधपुर में कुछ विभाग भेजे जाने वाले थे और वह नहीं भेजे गये । आज एक विभाग कहीं से उठाया जाता तो उसके लिए आंदोलन खड़ा हो जाता है । विभागों के हटाने और एक स्थान

Page No.90

(श्री जनार्दनराय नागर)

से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दलील देते हैं कि प्रशासन की दृष्टि से बहुत विभाग जयपुर में रहने चाहिएं। लेकिन उसके लिए आपको एक आधारभूत दलील मान कर चलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सब महत्वपूर्ण विभाग जयपुर में हो रहें। ए० जी० ऑफिस का प्रश्न है, तो वह जयपुर में हो, राजस्थान कॉलेज का प्रश्न है तो वह जयपुर में रहे, यूनीवर्सिटी का प्रश्न है तो वह जयपुर में रहे और जयपुर यह दावा मानकर चलता है कि सारे प्रमुख विभाग जयपुर में ही रहें। हमने जयपुर के बहुत दावे माने और वे इसलिए माने कि भारत सरकार ने जयपुर को राजधानी बना दिया, लेकिन जिन बातों के लिए दूसरे अंगों ने दावे किये थे और उनके आगे अगर हमें झुकाना चाहें तो हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। अजमेर का राजधानी के लिए दावा था उसको पूरा कर सकें या नहीं, यह नहीं कह सकते और जोधपुर का जो हाईकोर्ट के लिए दावा है उसको हम मानेंगे। ये दावे हैं राजस्थान के नागरिकों के और राजस्थान के मुख्य की क्षेत्र जनता के। यह कह देना कि क्षेत्रीय भावना से यह बात हुई है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बात करते हैं तो वह क्षेत्रीय भावना से करते हैं और अगर जयपुर वाले बात करते हैं तो यह सम्पूर्ण राजस्थान की भावना और सम्पूर्ण भारत की भावना हो जाती है। बीकानेर वाले बात करें, जोधपुर वाले बात करें तो यह सब कोटे वाले बात करें क्षेत्रीय भावना से करते हैं और जयपुर वाले बात करते हैं वह भारत की भावना से करते है। क्या दलील है, इसका कहां अन्त है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे जयपुर के मित्र नहीं चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिसकी प्रतिक्रिया सारे राजस्थान में होगी। राजधानी बनने से कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाते हैं। यह बात अवश्य है कि राजधानी बनने से उसे महत्व मिलता है, लेकिन राजधानी बनने से कोई सारे राज्य का कोई सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान होता हो यह आज जनतंत्र में कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी निश्चित राय है कि जोधपुर में ही हाई कोर्ट रहे। हां जयपुर में जो संस्थायें अखिल भारतीय स्तर की हों उनका विकास होना चाहिए। मैं सरकार से भी अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार को जो विभाग जोधपुर में भेजने को हैं। वह उसको हिम्मत और उत्साह के साथ भेज देने चाहिए। अगर सरकार ने कोई विभाग अलवर में भेजने का वायदा किया है, तो वहां भेज देने चाहिये। आज हमारे नम्र संकोच के कारण यह बातें राजस्थान में उठती हैं। मैं कहता हूं कि जयपुर वाले राजधानी का फक्र रखते हैं। तो उनको उदार प्रवृत्ति का परिचय देना होगा और संकीर्ण हृदय से छोटी मोटी बातों को लेकर किसी प्रकार का राजनैतिक बखेड़ा उत्पन्न नहीं करेंगे। आज आठ वर्ष बीतने के बाद जयपुर का इतना विकास होने के बाद आज हाई कोर्ट के लिए यह कहा जा रहा है कि जयपुर में आना चाहिये यह तो विडम्बना है। इसलिए राव कमेटी की रिपोर्ट को मैं कहता हूं कि अक्षरशः मानना चाहिए और भारत के गृह मन्त्री को यह विश्वास देना चाहिये कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के निर्णय से जो राव कमेटी कायम हुई उसकी सिफा-

(श्री जनार्दनराय नागर)

रिशों को, हमारी नीयतों में विश्वास करके और सारी उमंग से कार्यान्वित करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी समिति का जो प्रतिवेदन इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ उस संबन्ध में कई माननीय सदस्यों के विचार आज सुनने को मिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी जयपुर और जोधपुर के नाम पर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह वास्तव में एक इस प्रकार का प्रसंग है कि जिसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस सारी परिस्थिति के यदि बैकग्राउन्ड को देखा जाय, तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने इन रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में जो एक नीति अपनाई थी और जिस निति को कार्यरूप में परिणत करने के लिए जिन मुख्य बातों को आधार बनाया था। वह बातें वास्तव में पूरी जरूर हुई हैं, लेकिन क्या वह बातें ठीक प्रकार से चलती रही उनको समझने का कुछ अभाव सा प्रतीत हुआ है। जिस समय रियासतों का एकीकरण हुआ था तो इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि मुख्य डिपार्टमेंट्स मुख्य फैक्ट्रीज़ हमारी रियासतों के अन्दर होने चाहिये। उस समय उनका केवल एक ही दृष्टिकोण था कि यदि सब रियासतों का एकीकरण हुआ, तो इस विशाल राजस्थान के अन्दर उन रियासतों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में आज उनकी जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आयेगी। और यह मानवता की दृष्टि से, यह एक प्रकार की ह्युमन वीकनेस है जिस पर कि हर आदमी विचार कर सकता है। उसी ह्युमन वीकनेस को लेकर उस समय जिस प्रकार की चीजें रखी गई कि उन सब को संतुष्ट करने के लिये सरदार पटेल ने किसी को राजप्रमुख बनाया, किसी को महाराजप्रमुख बनाया और किसी को उपराजप्रमुख बनाया, कहीं किसी डिपार्टमेंट को भेजने की सिफारिश की। इस प्रकार के मुख्य मुख्य कामों को विस्तार रूप से रखकर सब लोगों को सेटिसफाई करने की कोशिश की गई है। यह बात सही है कि अजमेर के लोगों की मांग थी कि राजस्थान की रियासतों को और अजमेर को मिलाकर और मिलाने के साथ साथ अजमेर को राजधानी बनाकर राजस्थान का निर्माण किया जाय। इस बात का निर्णय लेते वक्त सरदार पटेल के समक्ष केवल एक ही दृष्टिकोण था कि रियासतों के साथ अगर अजमेर को शामिल किया गया तो राजधानी के प्रश्न पर कुछ लोगों को संतुष्ट करने की व्यवस्था कर रखी है उसमें एक प्रकार से बड़ी अड़चन पैदा होगी, जिस अड़चन को दूर करना मुश्किल होगा। इसलिए अजमेर के दृष्टिकोण को न लिया जाय, अजमेर की स्थिति पर विचार नहीं किया जाय बल्कि जितनी भी प्रिन्सली स्टेट्स हैं, उनके राजा महाराजाओं में अलगाव की भावनाएं हैं इसलिये इन रियासतों को एक करके देखें। इस तरह से इस प्रश्न को एवायड किया गया कि जिससे किसी प्रकार की किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुँचे। उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थि-

(श्री भैरोंसिंह)

तियां डेवलप हुई हैं वह परिस्थितियां एक बात की ओर संकेत करती हैं कि जो भावनाएं सरदार पटेल की थीं उस भावना से आगे दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया। उस समय पटेल कमेटी एप्वॉइन्ट की गई थी और पटेल कमेटी ने सिफारिशें कीं। यदि उस समय की सरकार ने उन सिफारिशों को उसी रूप में लागू कर दिया होता, तो आज सरकार में जो एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है। वह अविश्वास की भावना पैदा नहीं होती हाई कोर्ट का झगड़ा सामने नहीं आता, केपिटल के बारे में दो राय नहीं होती, बाकी के डिपार्टमेंट किस स्थान पर भेजे जांय उसके लिए कोई कमेटी एप्वॉइन्ट करने का प्रश्न नहीं आता। लेकिन उस समय की सरकार ने जोधपुर में जिन जिन विभागों की सिफरिश की थी, जयपुर से बाहर जिन जिन विभागों को भेजने के बारे में योजना बनाई थी, उनको उस समय में जिस प्रकार का आश्वासन दिया था उस आश्वासन के आधार नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि आज लोगों के अन्दर चाहे किसी प्रकार की कोई कमेटी की सिफारिश हो पूर्णतः विश्वास नहीं होता कि जो कमेटी ने सिफारिशें की है, जिन को सरकार ने सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है, वे सारी की सारी लागू हो जायगी। और इसी कारण, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय से यह राव कमेटी की रिपोर्ट जनता के समक्ष आई है, प्रकाशित हुई है, उस दिन से लेकर जनता की भावनाएं उभाड़ी जा रही हैं, जयपुर के लोगों की भावनाएं उभाड़ती जा रही हैं और कहीं पर जोधपुर के लोगों की भावनाओं को उभाड़ दिया है। उन भावनाओं का उत्तरदायित्व जहां तक मैं समझता हूं केवल राजस्थान के मुख्य मन्त्री और राजस्थान के वित्त मन्त्री पर है। दोनों की ओर राव कमेटी ने संकेत किया है। जिस समय राव कमेटी के सामने यह दोनों महानुभाव उपस्थित हुए और जो बयान दिये उन बयानों का इनफरेन्स इस राव कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है, उससे ऐसा लगता है कि जैसा कि एक पागल के पास सिगरेट रहती है और उससे कहते हैं कि कहीं आग मत लगा देना। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार के व्यक्ति जो आग लगाने के महत्व को नहीं समझता कि आग लगने से सफाई हो सकती है, उनको आग लगने की याद दिलाई जाय तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? स्वयं सदन उस पर विचार करें। उसी परिस्थिति के अन्दर राजस्थान की राजधानी अजमेर रहे और जयपुर में हाई कोर्ट का बेन्च रहे और दूसरे स्थानों पर दूसरे विभाग रहें इस प्रकार का मौका हमारे मुख्य मन्त्री की तरफ से डेवलप हुआ है। जिस समय राजधानी कमीशन जयपुर में आया था; उस समय हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर में उस समय तक रख दी जाय जब तक कि ऑल इन्डिया बेसिस पर होने वाले लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया जाय। राजस्थान के वित्त मन्त्री ने अजमेर को केपिटल बनाया जाय इसके सम्बन्ध में यहां तक कह दिया कि पुरानी रियासतों की जो राइवलरीज़ हैं, उनको समाप्त करने के लिए अजमेर को केपिटल बनाया जाय। जिन राइवलरीज़ को सन् ४७ से खत्म करने की चेष्टा करते आ रहे हैं और सन् ५७ में जिनको खत्म ही नहीं किया है।

Page No.93

(श्री भैरोंसिंह)

बल्कि स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल ही खत्म कर दिया है. उन चीज़ों को वापसि रिवाइव करने की चेष्टा में हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने किसी एक एज़ीटेशन की भावना को सामने रखा। जयपुर में एज़ीटेशन होने वाला है उसको सामने रखकर माननीय मुख्य मन्त्री ने उस दृष्टिकोण से देखा। वह दृष्टिकोण इस बात की ओर संकेत करता है कि एजी-टेशन किया जाय और एज़ीटेशन किया जाय यही माननीय मुख्य मन्त्री की नीत है। जो कि राजस्थान सरकार के एक प्रतिनिधि हैं और राजस्थान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनकी नीति इस प्रकार की है कि ऐसे आन्दोलन किये जांय, तो उसके सामने सरकार झुक जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलन के पक्ष में, यदि आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार की बात आती है और अगर वह वाजिब चीज़ है तो सरकार का अपना हठवा-दिता का दृष्टिकोण नहीं होना चहिए। इस चीज़ को जनता समझती है कि किसी एक चीज़ को लेकर कोई चीज़ पनपती है। तो कोई नया प्रयोग करने से पूर्व हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जहां तक केपिटल का प्रश्न आता है आज एक निष्पक्ष हृदय से सोचा जाय तो ऐसा कोई भी बुद्धिवादी मनुष्य जिसमें सारी बातों पर विचार करने का माद्दा हो वह इस से इनकार नहीं कर सकता कि आज की परिस्थिति में ही नहीं बल्कि पहले की परिस्थि-तियों में भी राजस्थान की यदि कोई राजधानी हो सकती है, तो वह जयपुर है और आज भी कोई यदि राजधानी हो सकती है तो वह जयपुर है। इसके बारे में कोई नया मत नहीं हो सकता है और न इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। अजमेर और ब्यावर से आये हुये माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह उनकी ह्यूमन वीकनेस है। जिस क्षेत्र से वे आये हैं, उस क्षेत्र के लोगों को खुश करने की दृष्टि से, उस क्षेत्र के सवाल को विधान सभा में लाते हैं और इस प्रकार से लाते हैं कि अजमेर राजधानी हो। इस प्रकार की भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन हमें देखना चाहिए कि उन भावनाओं के बहाव में जो वास्तविक चीजें हैं उनको भूलें नहीं। इसी भावना को लेकर राजस्थान की वास्तविक परिस्थितियां जो हैं, उनको सामने रखें तो खुद उनका हृदय इस बात को कह देगा कि जयपुर को जो राजधानी बनाने का निर्णय लिया जा रहा है वह निर्णय ठीक है। उस निणय में किसी प्रकार का हेर फेर करना ठीक नही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, (नसीराबाद) : पहले आप अपने हृदय की बात कहें और दूसरे के हृदय की बात आगे करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य आरम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न एक आता है कि आज की परिस्थितियों के अन्दर अजमेर को राजधानी बनाये जाने का प्रश्न फिर लाया जा सकता है या नहीं? मैं समझता हूं कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय अजमेर का इन्टीग्रेशन राजस्थान के अन्दर नहीं हुआ था। उस समय या अजमेर के चौपड़ पर भाषण देते थे, आज यहा विधान सभा में इस प्रकार का भाषण दे देकर जनता को

(श्री भैरोंसिंह)

आकर्षित करना चाहते हैं कि अजमेर राजधानी होना चाहिए ।

अजमेर राजस्थान में मिल चुका है। इन परिवर्तित परिस्थितियों के अन्दर अजमेर राजधानी बन सकती है या नहीं इस सम्बन्ध में विचार करना होगा । उस परिस्थिति को लेकर जब कि अजमेर सी क्लॉस स्टेट थी, एक छोटी सी स्टेट थी। उस समय आप कामना कर सकते थे कि हम राजस्थान में शामिल हों, लेकिन राजस्थान की राजधानी अजमेर के अन्दर हो। वह परिस्थिति भिन्न थी। उन परिस्थितियों से भिन्न एक भिन्न प्रकार का भाषण देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज इस प्रश्न को उलझाना है । उनको विधान सभा में बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहिए । इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि राजधानी के प्रश्न को लेकर अड़चनें पैदा की जा रही हैं। जो सिफ़ारिश की गई हैं उसको स्वीकार किया जा सकता है। मेरी, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मान्यता है कि राजधानी जयपुर में हो और जयपुर में ही रही है, ऐसी स्थिति में राजधानी के प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए।

दूसरा प्रश्न आता है हाई कोर्ट का। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा जटिल सा प्रश्न बन गया है जिसके बारे में कई लोगों ने इस प्रकार की राय व्यक्त करदी है कि हाई कोर्ट के बारे में यदि राव कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ़ निर्णय लिया गया, यह भी संकेत मिलता है और मैंने समाचार पत्रों में भी देखा है, लोगों द्वारा यहां तक कहा गया है कि हम गर्दन कटाना जानते हैं, लेकिन नाक कटाना नहीं। हाई कोर्ट का प्रश्न जब गर्दन और नाक की स्थिति पैदा करता है तो गर्दन और नाक की स्थिति आ सकती है राजस्थान के अन्दर कोई जनहित की चीज़ होती हो, समूल राजस्थान के हित को आघात होता हो, उसकी बहबूदी के लिए किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो गर्दन का ही क्या प्रश्न है सर्वस्व बलिदान किया जाय, तो कोई बात है। जयपुर से जोधपुर हाई कोर्ट आये। उसकी बेन्च जयपुर से हटाये जाय इस प्रश्न पर अगर लोग गर्दन और नाक का प्रश्न लाते हैं, तो यह बुद्धिमता का प्रश्न नहीं होगा जिसकी कि प्रशंसा करें। जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के सम्बन्ध में राव कमेटी ने निर्णय दिया है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जोधपुर के अन्दर हाई कोर्ट की परमानेन्ट सीट होनी चाहिए। जिस प्रकार से राव कमेटी का मानना है। कुछ लोग उसको मान्यता देने को तैयार नहीं है। उसमें यहां तक हो गया है माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान में जोधपुर और जयपुर की बिल्डिंगों की तुलना करते हुए एक हाई कोर्ट के भवन की तुलना की है, उसमें यहां तक कहा गया है कि जयपुर में बिल्डिंग जो बन रही है, वह डबल स्टोरीड है और डबल स्टोरीड पर जो काम करने जायेंगे तो उनकी धमाधम से काम रुक जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धमाधम के काम रुकने का प्रश्न है यह सब जानते हैं कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी स्थानों पर एक ही स्टोरी में काम होता है? ऐसी बात नहीं है आज तक कई कई स्टोरीज़ के बिल्डिंग्ज में काम होता है । बंबई का सेक्रेटेरियट ६ स्टोरी का है। वहां पर धमाधम होते हुए भी वहां पर मंत्री लोग निर्णय

Page No.95

(श्री भैरोंसिंह)

लेते होंगे। इस प्रकार की दलील से जयपुर के विपक्ष में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये। इस प्रकार का राव कमेटी की रिपोर्ट से इनफरेन्स निकलता है। वह इस प्रकार है, उपाध्यक्ष महोदय, "The Minister for P. W. D. and the Chief Secretary conceded that the building constructed for the Bench at Jaipur could be easily utilised for the offices of the Government in the event of the abolition of the Bench. This is because of its close proximity to the Secretariat. We have a feeling that the site was chosen for the building with an eye to the possibility of the abolition of the Bench. Be that as it may, it is clear that the new building will not lack an occupant."

अब इससे ऐसा लगता है कि जिस समय हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही थी। उस समय भी शायद सरकार का ऐसा दृष्टिकोण था, लेकिन जैसा एक सदस्य ने कहा इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग का फ़ाउन्डेशन स्टोन भारत सरकार के गृह मंत्री के हाथ से रखा गया है। यदि भारत के गृह मंत्री जी के हाथ से इसका फाउन्डेशन स्टोन रखा गया है और उनको भविष्य का पता नहीं हो इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन मैं सम्मान के साथ समिति के प्रति सम्मान रखता हुआ कहूंगा कि इस प्रकार इन्फरेंस लेकर जयपुर के विपक्ष में निर्णय लिया है वह उचित नहीं है।

आज जब हाई कोर्ट का प्रश्न सामने आता है तब एक बात का विचार करना पड़ता है और वह यह कि यदि जोधपुर में हाई कोर्ट रखते हैं, तो उससे जयपुर की पब्लिक का क्या नुकसान करते हैं और जोधपुर वालों की वैभूति का कितना नुकसान होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था हमारे सामने अविश्वास बना हुआ है। इसके कारण जितने लोग हैं उनमें मतभेद सामने आता है। जोधपुर के सामने एक समस्या है और वह वाज़िब है। उनको जो आश्वासन दिये थे, वे पूरे नहीं हुए तो आगे के लिये भी आशंका हो सकती है। आज जो आश्वासन दिया जाता है वह पूरा होता है या नहीं यह गौर करने का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पुरानी राजधानियों की बहबूदी का सवाल है, यह मानना होगा कि हमारे सामने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा आदि के लिये जो वाज़िब प्रश्न है उसको स्वीकार करना चाहिये। जहां जयपुर में केपिटल है और उसकी वजह से उसकी बहबूदी बढ़ी है, तो हमें यह दृष्टिकोण सामने रखना पड़ेगा कि दूसरे स्थानों की बहबूदी में जो कमी आती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने की भावना से और इस दृष्टि से यह उचित है कि जोधपुर में परमानेन्ट हाई कोर्ट की सीट हो और यह आश्वासन इस सदन को देना चाहिये, राजस्थान की सरकार को देना चाहिये। और भारत सरकार को देना चाहिए जोधपुर में परमानेन्ट हाई कोर्ट की सीट होनी चाहिये इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकती।

अब प्रश्न आता है जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच रखने का और यह विवादास्पद सवाल है। जिस समय रिपोर्ट आई थी मुझे याद है, जयपुर वालों ने इस प्रकार की उठाई थी कि जयपुर में हाई कोर्ट की परमानेन्ट सीट होनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय मैं जल्दी ही खत्म करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट और बोल लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में बैंच के संबंध में हमारे सामने एक दृष्टिकोण है । इस रिपोर्ट के अनुसार जयपुर की बैंच जोधपुर जाने वाली थी, लेकिन आवाज़ उठाई गई कि जोधपुर का हाई कोर्ट भी यहां आ जाय, इसलिये जोधपुर के लोगों ने मीटिंग की और प्रस्ताव पास किया कि राव कमेटी के निर्णय में हेर फेर किया गया, तो हम आन्दोलन करेंगे । लेकिन यह एक एक्शन का रिएक्शन था । यहां पर जयपुर में ऐसी बात हो रही थी कि हाई कोर्ट पूरा ही यहां रहे, इसलिये जोधपुर वालों ने इसका विरोध किया । जयपुर वाले जब इस बात को महसूस करते हैं कि परमानेन्ट हाई कोर्ट जोधपुर में रहे तो कोई बात नहीं है लेकिन बैन्च यहां पर रहनी चाहिये । इसके दो भाग हैं । एक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट और दूसरी राजस्थान और जयपुर की विशेष परिस्थिति । लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि देश में एक इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट होना चाहिये । मेरी राय में इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिये कि इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट द्वारा प्रान्त की भलाई हो सकती है, तो उसकी ओर कदम उठाना चाहिये कि लेकिन प्रश्न यह आता है कि क्या इस प्रकार के सिद्धान्त का भारत सरकार ने समूचे देश के लिये, निर्णय किया है ? लेकिन इसमें मतभेद है । इस प्रकार का भारत सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, तो इस परिस्थिति में राजस्थान को अगुवाई करनी चाहिये या नहीं । इस पर सोचना पड़ेगा । यदि कोई अच्छा काम हो तो अगुवाई जरूर करनी चाहिये । लेकिन यह है नीति और व्यवस्था का प्रश्न । जब तक एक नीति नहीं हो तब तक इस ओर कदम उठाने की क्या जरूरत है ? हो सकता है कि आगे चल कर परिस्थिति में परिवर्तन हो जावे और दूसरा निर्णय लेना पड़े । आज जब लॉ कमीशन के लिये नीति निर्धारित नहीं की गई है और समूचे देश के लिये निर्णय नहीं किया गया है, तो क्या दृष्टि से राव कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिये ?

राजस्थान में जहां लिटीगेशन का प्रश्न आता है वहां लिटीगेशन करने वालों को असुविधा होगी । जहां किराये का प्रश्न है ११ रूपये ४५ या ६४ नये पैसे लिटीगेशन करने वालों के लिये ज्यादा नहीं हो सकते । जो लोग वकीलों को मेहनताना देंगे लिटीगेशन का वे सारी व्यवस्था लेकर चलेंगे उसमें धन खर्च करना पड़ेगा । उनके लिये किराये का धन ज्यादा नही है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जयपुर की बैंच उठ जाने से जोधपुर की अधिक बहबूदी हो जायगी ? मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है । केवल बैंच के चार जजों के और ४० कलर्क्स के वहां जाने से कोई बहबूदी में फर्क नहीं आता । नोन डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स जितने भी जयपुर में हैं, वे सभी यदि बाहर भेज दिये जावें, तो यहां कोई फर्क आने वाला नहीं है । आज हम हमारे प्रान्त में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं और इसके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं । जयपुर, जोधपुर और अन्य शहरों का डेवलपमेन्ट इन्डस्ट्रियल

(श्री भैरोंसिंह)

डवेलपमेन्ट करने से होगा । यदि बेसिक चीज़ है जिस के आधार पर हम राजस्थान का डवेलपमेन्ट कर सकते हैं । एक दफ्तर इधर से उधर चला जायगा, तो यह कोई मेन फेक्टर नहीं है जिसके आधार पर हमें इस प्रकार से सोचना चाहिये । ऐसी स्थिति में जोधपुर के महानुभावों को भी सहानुभूति से सोचना पड़ेगा । कई प्रकार की असुविधाएं हैं जिनके कारण इस प्रकार का निर्णय लेने से पहिले कि बैंच जोधपुर भेजी जाय या नहीं, कई प्रकार की बातों, को सुविधा असुविधा को और राजस्थान की विशेष परिस्थिति को सभी को देखना पड़ेगा और इसके बावजूद भी यदि इस प्रकार का मत बनता है कि जयपुर में बैंच नहीं रखी जाय और उसे जोधपुर भेज दिया जाय तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी । लेकिन मेरी दृष्टि से आज ऐसी परिस्थिति है कि खुला एश्योरेन्स जोधपुर वालों को देना चाहिये कि जोधपुर में परमानेन्ट हाई कोर्ट रहेगा और जयपुर में बैंच रहेगी और यदि दूसरी तरह की परिस्थिति बनती है, तो यहां की जोधपुर जाना चाहिये····

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट और लेना चाहता हूँ । अजमेर वालों की सहानुभूति में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि तीन डिपार्टमेन्ट अजमेर भेजने चाहिये । यह इस प्रकार की मांग है जिसको अनुचित नहीं कहा जा सकता । हमारे वहां दो तरह के डिपार्टमेन्ट्स हैं; एक तो डेवलपमेन्ट के और दूसरे नोन-डेवलपमेन्ट के । नोन-डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स हैं, वे जयपुर में नहीं रहने चाहिये । पुरानी रियासतों की पुरानी राजधानियां डिस्ट्रिक्ट के रूप में आज हैं उनमें स्थानान्तरित होनी चाहिये । जिन तीन डिपार्टमेन्ट्स को अजमेर भेजने के लिये राव कमेटी की सिफ़ारिश है उनको तुरंत अजमेर भेजना चाहिये ताकि नसीराबाद और अजमेर से आने वाले सदस्य अजमेर राजधानी ले जाना चाहते थे उनको संतोष हो जावे । यदि इसमें विलंब किया गया तो आन्दोलन खड़ा हो सकता है । जनभावना को उभारने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, जो सरकार इसको इम्पलीमेंट करने में देरी करती है वह जन भावनाओं को उभारने की कोशिश करती है । स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट की जितने कॉन्सीक्यूएन्सेज हैं, वे हमारे सामने आये और हमने उन्हें भुगता है । हमारे देश में हाहाकार मचा था, हमने उसे महसूस किया था । अगर वही परिस्थिति राजस्थान में बनाना चाहते हैं कि इन निर्णय को लेने में देरी करनी चाहिए, और अगर इस प्रकार की परिस्थिति नहीं उत्पन्न करनी है और राजस्थान के हित की दृष्टिकोण से विचार करना है, तो हमारी सरकार को तुरन्त भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन इस मांग के साथ प्रस्तुत करना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अन्दर दी गई सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू करने की व्यवस्था की जाय, उन सजेशन्स के बारे में तुरन्त कदम उठाये ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : समय समाप्त हो रहा है, तो क्या सिर्फ दो–चार मिनिट का सवाल है ।

Page No.98

श्री उपाध्यक्ष : वाइन्ड अप कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं कर रहा हूं ।

इस सम्बन्ध में एक बात का कमेटी ने उल्लेख किया है, उसे कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा । इसमें लिखा है अन्त में जाकर "our conclusion is that there should be one unified High Court for the State of Rajasthan and that its seat should be at Jodhpur and that the Bench at Jaipur should be abolished." लेकिन आगे चल कर उन्होंने लिखा है : "If the Government finds that it is not possible to give immediate effect to our proposal, we suggest that it may be implemented as early as practicable."

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय सदस्य कहे कि राव कमेटी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और बेंच को हटाने की सिफारिश की है, इसे तुरन्त लागू किया जाय । लेकिन मैं समझता हूं कि उसके दिमाग में एप्रीहेन्सन थे, एप्रीहेन्सन ऑफ एजीटेशन हो सकते हैं, राजस्थान की परिस्थितियां के हो सकते हैं और किसी कारण से हो सकते हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में एप्रीहेन्सन हो सकते हैं, इन एप्रीहेन्सन के बारे में हमारी सरकार की क्या नीति होगी ? मैं समझता हूं कि

(घंटी)

हम इस प्रकार का निर्णय लें कि राजस्थान के हाई कोर्ट की परमानेन्ट सीट जोधपुर में रहे और जब तक ऐसी परिस्थिति न बन जाय, जब तक जयपुर से हटा कर बेंच को जोधपुर ले जाना आवश्यक हो जाय, तब तक यहीं डिटेन की जाय, इसमें मैं समझता हूं आपत्ति नहीं होगी । बाकी डिपार्टमेंट अजमेर में भेज दिये जांय और केपिटल जयपुर में रखी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : एक सीटिंग शाम को और रखी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति ले लेता हूं । (सदन में शोर गुल व 'नहीं-नहीं' की आवाज ।)

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं मान कर चलूं कि सदन की अनुमति नहीं है ?

('नहीं-नहीं' की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही १६-४-५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याहन १२ बज कर ३३ मिनट पर दिनांक १६ अप्रेल, ५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार १५ अप्रेल, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ७४८०

विस्थापितों को राज्य सेवा में २० प्रतिशत अंश देना ।

भूमि-बन्दोबस्त व बिगोड़ी की दरें ।

राजकीय हिन्दी मिडिल स्कूल, मदनगंज (किशनगढ़) ।

सेल्स टैक्स अधिकारी, जयपुर ।

विकास खंड, करनपुर ।

ऑफिस कानूनगो व असिस्टेंट सदर कानूनगो ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च की गई धन राशि ।

एस. डी. एम. व तहसीलदार, कोटपूतली के न्यायालयों द्वारा जमीन के निर्णीत मामले ।

राष्ट्रीय विकास खंड ।

सेल्स टैक्स डीलर्स की नियुक्ति ।

ब्लैकस्मिथ सैन्टर, किशनगढ़ ।

बलाईयों की बकाया रकम ।

धौलपुर को जिला केन्द्र बनाया जाना ।

ग्राम जीताहाला (बस्सी) के हरिजनों द्वारा मकान व फैक्ट्री बनाने हेतु भूमि की अवाप्ति के लिये दिये गये आवेदन-पत्र

स्कम्भ

आदिवासियों को कुओं के लिये दी गयी रकम ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर में बड़े व छोटे उद्योग धन्धे खोलने-सम्बन्धी योजना ।

नायब तहसीलदार, मलारना डूंगर ।

अजमेर के आबकारी सहकारी कमिश्नर द्वारा लाइसेन्स ।

सिकराय में बहुउद्देशीय पाठशाला खोला जाना ।

विघोडी की वसूली ।

हरिजन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था हेतु नगरपालिकाओं को दी जाने वाली रकम ।

टौंक में कालेज होस्टल का निर्माण ।

मेजा बांध (भीलवाड़ा) के अन्तर्गत भूमि का वितरण ।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने सम्बन्धी योजना ।

तहसील शेरगढ़ व फलौदी में

स्कम्भ | स्कम्भ

विकास खंडों की स्थापना।

पुरुषार्थियों को भीमगंज, बारां में दिये गये स्टाल।

ग्राम गिरी (पाली) में रेगर जाति के परिवारों के आवास की व्यवस्था।

आबूरोड में वाटर-वर्क्स व ड्रेनेज की व्यवस्था।

पत्थर की खानें, मकराना।

संस्कार केन्द्र।

उच्चेन (रूपवास) में उप-तहसील की स्थापना।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों की कम्पेनसेट्री अलाउन्स का नहीं दिया जाना।

पेन्शनर्स, जिला चूरू।

ग्राम गुगलवा (झुंझनु) का चूरू ज़िले में सम्मिलित किया जाना।

राज्य सरकार द्वारा शरणार्थियों को राज्य सेवा नम्बरदारी के लगान की वसूली।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ७५४४

ग्रामोत्थान नामक संस्था को चर्म उद्योग हेतु धन-राशि।

ग्रामों में पशुधन-विकास हेतु चारागाह।

सन् १९५८-५९ में नये ब्लॉक्स खोलने के आधार।

पाली बालिका विद्यालय का माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तन।

अनुमति प्राप्त विधेयकों की प्रस्तुति ७५४८

(क) सचिव, विधान सभा, ने सदन की मेज पर विधान सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखा:—

विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:—

(1) The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1957.

(2) The Rajasthan Land Reforms and Resumption o Jagirs (Seventh Amendment) Bill, 1957.

(3) The Rajasthan Court Fee and Stamp Duty Laws (Extension) Bill, 1958,

(4) The Rajasthan Jagir Sambandhi Nirnaya Tatha Karyavahi (Vaidkaran) Sanshodhan Bill, 1858.

विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:—

(1) The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1958.
(2) The Rajasthan Appropriation (No.2) Bill, 1958.
(3) The Rajasthan Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1958.

(4) The Rajasthan Lands Summary Settlement (Amendment) Bill, 1958.

(5) The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1957.

(6) The Rajasthan Civil Courts (Amendment) Bill, 1958.

(7) The Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fargmentation) Amendment Bill, 1958.

(8) The Ajmer Wakfs Board (Dissolution) Bill, 1958.

(9) The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1958.

(ग) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने अजमेर राज्य का वित्त लेखा १९५६-५७ (१ अप्रेल, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा।

(क) प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . ७५५०

निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया:—

(१) मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७।

(२) राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८।

(३) राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७।

(ख) प्रवर समितियों के सुपर्द किये गये विधेयक

तीन विधेयक दिनांक १० अप्रेल, १९५८ को जिन प्रवर समितियों के सुपुर्द किये गये थे। उनके सदस्यों के नामों की घोषणा आज की गई, जो इस प्रकार है:—

१. राजस्थान फारेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८

(१) श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री)।
(२) श्री विद्यासागर।
(३) श्री भैवरलाल काला बादल।
(४) श्री तेजमल बापना।
(५) श्री शीशराम ओला।
(६) श्री फूला भाई।
(७) श्री दिलीपसिंह।

(८) श्री मूलचन्द डागा ।

(९) श्री अब्दुलगफ्फार ।

(१०) श्री रूपाराम ।

(११) श्री प्रभुलाल ।

(१२) श्री रावराजा सरदारसिंह ।

(१३) श्री शिवचरणदास ।

(१४) श्री हजारीलाल बाकोलिया ।

(१५) श्री राजाराम ।

(१६) श्री सोहनलाल ।

(१७) श्री हीरा ।

२. राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

(१) श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री) ।

(२) श्री जयसिंह राणावत ।

(३) श्री सोहनलाल भटनागर ।

(४) श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(५) श्री गोवर्धनसिंह केन ।

(६) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

(७) श्री चन्दनमल वैद्य ।

(८) श्रीमती सुमित्रा ।

(९) श्री जयचन्द्र मोहिल ।

(१०) श्री हरिकिशान ।

(११) श्री अनोपसिंह ।

(१२) श्री चन्दरसिंह ।

(१३) कुमारी शन्नोदेवी ।

(१४) श्री रामनारायण ।

(१५) श्री गिरधारीलाल ।

(१६) श्री सुगनचन्द ।

(१७) श्री सतीशचन्द्र ।

(१८) श्री तेजाराम ।

(१९) श्री पी० के० चौधरी ।

३. राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५७ ७५५३

(१) श्री नाथूराम मिर्धा (प्रभारी मन्त्री ।

(२) श्री मानकचन्द कोठारी ।

(३) श्री नाथूराम ।

(४) श्री गणपतिलाल वर्मा ।

(५) श्रीमती सतवन्त कौर ।

(६) श्री धर्मपाल पंवार ।

(७) श्री श्रीनिवास शारदा ।

(८) श्री श्रीभानसिंह ।

(९) श्री किशनसिंह बट्टड़ ।

(१०) श्री धन्नालाल हरित ।

(११) श्री रावतराम बालोत्तरा ।

(१२) श्री मोहरसिंह ।

(१३) श्री बेनाराम ।

(१४) श्री तनसिंह ।

(१५) श्री रामकरणसिंह ।

(१६) श्री मुरलीधर व्यास ।

(१७) श्री गुलाबसिंह ।

(१८) श्री शिवनाथसिंह ।

ये समितियां अपना-अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में उपस्थित करेंगी ।

Page No.103

स्कम्भ स्कम्भ

४. सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री टीकाराम पालीवाल, सदस्य विधान सभा, के आचरण के सम्बन्ध में जिस प्रस्ताव की सूचना श्री होतीलाल द्वारा दी गई थी उसे प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

५. मेजर फतेसिंह की गिरफ्तारी आदि से सम्बन्धित विशेषाधिकार-प्रश्न

उपरोक्त विषय पर श्री भैरोंसिंह (१४) ने जिस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

६. राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद ७५६१

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने वाद-विवाद आरम्भ किया। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री बृजमोहनलाल शर्मा।
(२) श्री बरकतुल्ला खां।
(३) डॉ० चन्द्रकला।
(४) श्री मुरलीधर व्यास।
(५) श्री चन्दनमल वैद्य।
(६) रावराजी सरदारसिंह।
(७) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।
(८) श्री तनसिंह।
(९) श्री जनार्दनराय नागर।
(१०) श्री भैरोंसिंह (१४)।

बुधवार, १६ अप्रैल १९५८ की कार्य-सूची

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विकास समिति, बस्सी द्वारा कर मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही के विवरण की तालिका।

ता०	१०—७—५७	प्रार्थना पत्र पेश हुआ।
ता०	३१—८—५७	प्रार्थना पत्र जांच के लिये इन्सपेक्टर को सौंपा गया।
ता०	२२—१—५८	इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पेश हुई जिससे पता चला कि समिति को रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का हक नहीं है।
ता०	४—२—५८	समिति को नोटिस जारी किया गया कि क्यों न रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जाय।
ता०	२५—२—५८	समिति से जवाब प्राप्त हुआ।
ता०	२७—२—५८	इन्सपेक्टर से बस्सी जाकर दुबारा जांच करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई।
ता०	१०—३—५८	समिति को दुबारा नोटिस दिया गया।
ता०	२१—३—५८	समिति से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि वे कर मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना चाहते।
ता०	८—४—५८	समिति द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये कराई गई फीस को लौटाने का आदेश दिया गया।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३७४ का उत्तर देखिये)

मुकदमात वापसी कब्जा जिनकी बाबत जबरन बेदखल करने की अर्जी पेश हुई

नं० शु	नम्बर मुकदमा मय ता० रज	सायल	गैर सायल	विवरण
१.	३।२१—१—५६	नन्दा वल्द गंगासहाय अहीर केवर पुरा सायल	अचौख्या वल्द हरसहाय अहीर कंवरपुरा व जाना देवीसहाय चुन्ना हरनारायण वगैरह सायलान	दर मियानी आदेश का अपील होने पर मिसल अपील में चली गई थी। अब वापस आई है। तारीख पेशी ४–२–५८।
२,	२८।२०—७—५६	सहरी पुत्र सेद्ध चमार बनार तहसील कोटपुतली	मातादीनसिंह शहजादसिंह सरदारसिंह श्योनारायणसिंह हरीपालसिंह गनेशसिंह, नारायणसिंह गनेशसिंह	कार्यवाही मुकदमा मतपपांति जारी है। ता० पेशी २१–१–५८

फहरिस्त मुकदमाम जो धारा १४५ जा. फो. के तहत वापसी कब्जा आराजियान की बा० सन् १६५६ में अदालत एस डी० एम० कोटपुतली चालू है ।

१	२	३	४	५
१.	१३८। ८—८—५६	मक्खन चमार द्वारिकपुरा	रामचन्द्रसिंह वगैरह दातला	मह० रेवेन्यू बोर्ड में तलबीदा हरसाल की गई है ।
२.	१३६।११—८—५६	जग्गू चमार द्वारिक पुरा	,,	,,
३.	१५०।११—८—५६	छिपालचमार द्वारिकापुरा	,,	,,
४.	१५३।२२—८—५६	बाल्या गोपीचमार राकसा बासीपुरा	ठा० वीरसिंह शाहपुरा	कार्यवाही चालू है ।
५.	१७०।२४—६—५६	परशादीचमार सा० द्वारिकापुरा	रामचन्द्रसिंह दातला	मह० रेवेन्यु बोर्ड में तलबीदा हरसाल की गई है ।
६.	१६०।६ १०—५६	मु० नाथीके बागोपाल रावत	चन्द्र रावत गोपालपुरा	शहादत फरीकैन अंतिम होगई फैसले के लिये ।

Page No.107

सन् ५७ में कुल १५ मुकदमें दायर हुए जिसमें से नीचे चालू मुकदमें दिये जाते है !

१	२	३	४	५
१.	२६—७—५७	श्योकरण गुजर सा० मलपुरा	रिछपाल गुजर मलपुरा	कार्यवाही चालू है ।
२.	३६।६—५—५७	परभाती रावत गोपालपुरा	धानी बनका	मह० रेवेन्यू बोर्ड राज जयपुर में तलबीदा इरसाल की गई
३.	८२।१६—७—५७	हरनाथ मालपुरा	रिछपालगुजर मालपुरा	कार्यवाही चालू है ।
४.	८८०।२०—७—५७	चन्दर चमार बीठलोदा	मामराज हजारी बीठलौदा	,,
५.	१०२।११—८—५७	परभातीरावत गोपालपुरा	मु० पन्नी बनका	मह० रेवेन्यू बोर्ड राज जयपुर तलबीदा इरसाल की गई ।
६.	११३।१३—६—५७	मोरानमार नारेहडा	वासी रामधन वगैरा	कार्यवाही चालू है ।
७,	११७।१८—६—५७	नाथ्या अहीरराज नोता	राधाकिशनसिंह वगैरा राजनोता	,,
८.	१२१।२०—६—५७	रामविलास महरमपुर	प्रहलादसिंह वगैरा महरमपुर	,,
६.	१३१।१४—१०—५७	वाल्याजाट	किशनसिंह लाखानी	,,
१०.	१३२। ,,	गंगासिंह लाखनी	,,	,,
११.	१५८।२६—११—५७	बन्ना गुजर श्योलालपुरा	सेढिएडा मंगल्या	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३७५ का उत्तर देखिये)

Statement Showing Blocks in Rajasthan Uptil March 1958.

S. No.	Name of District.		Name of Blocks with (Hd. Qrs)
1	2		3
1	Bikaner	1	Nokha
2	Churu	2	Sardarshahar
3	Ganganagar	3	Raisinghnagar
		4	Srikaranpur
		5	Hanumangarh
		6	Suratgarh
		7	Padampur
4	Alwar	8	Kishangarhbas
		9	Govindgarh (Hd. Qr) Lachhmangarh
		10	Tijara
		11	Mandawar
		12	Kotkasim
5	Bharatpur	13	Nagar-Phari (Hd Qr. Nagaur)
		14	Basseri
		15	Rajakhera
		16	Nadbai
		17	Roopbas
6	Jaipur	18	Jobner
		19	Bassi
		20	Sanganer
		21	Jaipur (H. Q.) Jhotwara
		22	Bandikui
		23	Phagi

१	२	३	
7	Jhunjhunu	24	Chirawa
		25	Udaipur-wati
		26	Surajgarh
		27	Nawalgarh
8	Sawai Madhopur	28	Hindaun
		29	Todabhim
		30	Mahwa
		31	Karauli
		32	Sawai Madhopur
		33	Gangapur
9	Sikar	34	Neem-ka-thana
		35	Lachhmangarh
		36	Dantaramgarh
10	Tonk	37	Malpura
		38	Tonk
		39	Todaraisingh
11	Ajmer	40	Pisangan
		41	Masuda
		42	Jawaja
		43	Kekri
		44	Srinagar
		45	Kishangarh (H. Q. Silora).
		46	Bhinai
12	Barmer	47	Siwana
		48	Shiv
13	Jaisalmer	49	Sankra. (H. Q Pokaran).
14	Jalore	50	Ahore
		51	Sanchore
15	Jodhpur	52	Bilara
		53	Osian
		54	Bhopalgarh

१	२	३	
16	Nagaur	55	Deedwana
		56	Ladnu
		57	Kuchaman
		58	Makrana
17	Pali	59	Sumerpur
		60	Bali
		61	Desuri
		62	Kharchi
		63	Sojat
18	Sirohi	64	Pindwara
		65	Abu (H. Q. Abu Road)
19	Bundi	66	Bundi Talera H. Q. Talera).
		67	Hindoli
20	Jhalawar	68	Jhalrapatan
		69	Khanpur
21	Kota	70	Baran
		71	Antah
		72	Ladpura
		73	Shahbad
		74	Atru
		75	Itawa
22	Banswara	76	Garhi
		77	Kushalgarh
		78	Bagidora
		79	Ghatol
23	Bhilwara	80	Mandalgarh
		81	Mandal
		82	Shahpura
		83	Jahajpur
24	Chittorgarh	84	Pratapgarh

Page No.111

१	२	३	
		85	Begun
		86	Kapasin
		87	Chittor
		88	Rashmi
25	Dungarpur	89	Dungarpur
		90	Simalwara
		91	Sagwara
		92	Aspur
		93	Dungarpur west (H. Q. Bachiwara)
23	Udaipur	94	Rajsamand
		95	Amet
		96	Khambhalgarh
		97	Girwa
		98	Kotra
		99	Khanmore
		100	Doriawad
		101	Badgaon (Udaipur)
		105	Relmagra

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the sanction amount on Agriculture wells in Udaipur Division during 1957-58.

S. No.	Name of the District.	Name of Tehsil.	Amt. sencd.	No. of walls. New.	Old.	Ramark
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udnipur.	Kotda.	1200/-	--	9	
	,,	Phalania.	nil.	--	-	
	,,	Baira	6000/-	88	-	
	,,	Amet	3150/-	17	-	
	,,	Kumbhalgarh	2550/-	5	14	
	,,	Rajsamand	3100/-	15	-	
	,,	Ralmagra	4000/-	16	-	
	,,	Kharwara	13700/-	-	90	
	,,	Salumber	6600/-	-	35	
	,,	Girwa	2700/-	-	27	
	,,	Nathdwara	16600/-	-	27	
	,,	Bhopal sagar	650/-	3	-	
	,,	Lasudia	12250/-	54	11	
	,,	Sarada	nil.	-	-	
	,,	Mavli	nil.	-	-	
	,,	Vallabhnagar	2900/-	4	9	
	,,	Deogarh	10000/-	40	-	
		Total :	25900/-	132	272	
2.	Bhilwara.	Raipur	2200/-	5	5	
	,,	Hurda	7650/-	-	32	
	,,	Nandalgarh	1200/-	1	5	
	,,	Banera	1950/-	13	5	
	,,	Sahada	1000/-	-	9	
	,,	Asind.	4450/-	8	9	
		Total :	18450/-	27	65	

१	२	३	४	५	६	७
3.	Chittorgarh.	Begum	350/-	-	1	
	,,	Rashmi	1600/-	-	8	
	,,	Badisadri	1300/-	-	12	
	,,	Chhoti Sadri	2750/-	11	-	
	,,	Achenera	2000/-	8	-	
		Total :	8000/-	19	21	
4.	Dungarpur.	Dungarpur	41170/-	68	173	
	,,	Sagwara	10050/-	10	35	
	,,	Aspur	11150/-	6	88	
		Total :	62370/-	84	271	
5.	Chittorgarh.	Pratapgarh	5800/-	-	26	
6.	Banswara.	Ghatol	13650/-	-	81	
	,,	Kusualgarh	27100/-	-	142	
		Total :	40750/-	-	233	
		Grand Total :	2,21,270/-	312	888	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ का उत्तर देखिये)

बांरा के केबिन होल्डर्स के नाम की सूची

१.	श्री चेलाराम रूपचन्द	अन्य स्थानीय व्यक्ति को किराये पर
२.	,, विशनदास टेकचन्द	,, ,,
३.	,, पोखरदास मेवाराम	,, ,,
४.	,, भगवानदास प्यारालाल	स्वयं के कब्जे में
५.	,, मूलचन्द लालचन्द	,, ,,
६.	,, बिहारीलाल गनेशदास	विस्थापितों को किराये पर
७.	,, सुमरमल विशाखो राम	,, ,,
८.	,, घनश्यामदास करमचन्द	अन्य स्थानीय व्यक्ति को किराये पर
९.	,, बिहारीलाल जैसाराम	विस्थापितों को किराये पर
१०.	,, दित्ताराम गोधाराम	स्वयं के कब्जे में
११.	,, बहादुरचन्द रक्खीराम	विस्थापितों को किराये पर
१२.	,, गनेशदास तख्तराम	स्वयं के कब्जे में
१३.	,, निहालचन्द ताराचन्द	विस्थापित को किराये पर
१४.	,, करमचन्द जमनादास	स्वयं के कब्जे में
१५.	,, फतेहचन्द तोताराम	अन्य स्थानीय व्यकित को किराये पर
१६.	,, हरीचन्द लक्कूराम	,, ,,
१७.	,, तेजभान बलियाराम	विस्थापित को किराये पर
१८.	,, झन्डूराम मोतीराम	अन्य स्थानीय व्यकित को किराये पर
१९.	,, अमीरचन्द बस्तीराम	विस्थापित को किराये पर
२०.	,, घनश्यामदास लालचन्द	अन्य स्थानीय व्यकित को किराये पर
२१.	,, निहालचन्द भगवानदास	,, ,,
२२.	,, जमनादास तोपनदास	,, ,,
२३.	,, केशरदास टीकमदास	,, ,,
२४.	,, होताराम जंगीराम	स्वयं के कब्जे में
२५.	,, थानाराम खेमचन्द	,, ,,
२६.	,, निहालचन्द भगवानदास	,, ,,

२७.	,, गेलाराम निहालचन्द	अन्य स्थानीय व्यक्ति को किराये पर
२८.	,, मानाराम खन्डाराम	,, ,,
२९.	,, फ़तेहचन्द उत्तमचन्द	,, ,,
३०.	,, मोतीराम साईं दित्ताराम	,, ,,
३१.	,, दौलतराम परसराम	स्वयं के कब्जे में
३२.	,, अजीतसिंह मनोहरलाल	विस्थापित को किराये पर
३३.	,, जोधाराम मेघराज	स्वयं के कब्जे में
३४.	,, साईं दित्ताराम रामचन्द	विस्थापित को किराये पर
३५.	,, रामलाल प्यारालाल	,, ,,
३६.	,, लोकनाथ साईंदित्ताराम	,, ,,
३७.	,, उत्तमचन्द प्यारालाल	अन्य स्थानीय व्यक्ति को किराये पर
३८.	,, ऊदाराम वैशाखीराम	,, ,,
३९.	,, लालचन्द भोजाराम	विस्थापित को किराये पर
४०.	,, देवी दित्ताराम प्यारेलाल	अन्य स्थानीय व्यक्ति को किराये पर।

७६६८ A

परिशिष्ट ६

(कृपया श्र तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN THE BLOCKS OPENED DURING THE YEAR 1056-57 UPTO DECEMBER 1957.

N A M E O F D I S T R I C T

S. No	Items of work.	Ganga-Nagar. (Hanuman-garh)	Alwar. (Tijara)	Bharat-pur. (Raja-khera)	Barmer (Shiv)	Jalore (San-chore)	Churu (Sar-darsh-ahar)	Jodhpur. (Osian)	Nagaur (Ladnu)	Pali (Kharchi)	Sikar (Lach-man-garh)	Ajmer. (Srinagar & Kish-engarh).	Jaipur (Bandi-kui)	Jhun-jhunu (Udaipur wati)	Sawai-mad-hopur (Gan-gapur)	Sirohi. (Abu)	Bundi (Hindoli)	Jhalawar. (Khan-pur)	Bans-wara. (Bagi-dora)	Bhilwara. (Mandal).	Chittor-garh. (Kapasin)	Dungar-pur. (Aspur)	Udaipur. (Khamnore & Dharia wad)	Tonk (Tonk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	People's contribution																							
1.	Labour (Value Rs.)	203000	33886	204818	79415	329643	272243	65354	286735	67430	128134	355273	95662	458411	108016	5409	100662	109060	51209	179507	77415	231373	38237	338855
2.	Cash & other contribution.	123205	6424	6271	36437	33875	218030	25141	515578	86326	346832	92661	123032	894683	130730	8595	59552	5700	25147	34689	22098	111918	54000	13086
	Physical achievements.																							
(a)	Agriculture & Animal Husbandry.																							
1.	Chemical Fertilizers distributed.	194	706	214	—	228	—	205	—	176	5	7318	432	59	399	316	1297	278	486	476	566	188	1024	1557
2.	Improved seeds distributed (mds.)	4744	5575	1228	—	543	123	1640	163	7821	85	12636	1752	1146	25960	931	8262	10301	482	2062	9890	401	7199	6216
3.	Compost pits dig (No.)	363	240	558	1	64	6082	37	2570	473	1342	375	3934	6653	450	345	287	743	314	874	2796	471	272	2171
4.	Improved implements distributed.	569	31	2	-	8	—	2	5	9	3	21	105	66	7	-	-	39	4	-	11	-	31	15
	Improved animals supplied (Nos.)	—	2	12	-	62	24	27	83	1	-	70	4	9	-	15	-	-	1	-	-	-	1	21

७६६८ B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.	Improved birds supplied (No.)	Nil.	2	49	-	12	-	-	118	2	-	74	-	12	-	4	3	-	-	-	-		-	40
(b)	Irrigation :																							
7.	Net area under irrigation (acres)	-	1851	-	-	1973	-	168	159	321	79	1772	2	407	446	84	698	-	383	586	336	109	-	614
8.	Wells constructed (No)	-	50	82	-	277	-	27	58	39	15	324	135	55	73	30	53	60	63	84	150	28	209	148
9.	Wells repaired (No)	-	3	32	-	85	-	5	9	31	17	77	597	88	23	40	24	-	35	3	146	-	20	42
(c)	Health & Rural sanitation																							
10.	Primary Health Centres started.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rural latrines in use (No.)	203	3	5	-	407	1	8	39	1	21	6	14	18	22	1	-	-	-	7	-	-	6	85
12.	Drains constructed (Yds).	576	614	2763	-	880	350	95	129	-	12	654	62	255	504	-	48	249	239	25	380	50	528	151
13.	Drinking waer wells constructed.	-	24	31	-	53	5	11	10	11	191	69	52	99	51	-	7	16	9	17	36	33	42	8
14.	Drinking water wells renovated.	-	26	27	6	86	12	10	37	25	47	10	16	88	26	-	6	30	31	2	4	23	49	25
(d)	Education																							
15.	New school slarted (No.)	6	2	13	-	29	6	14	13	2	7	10	14	3	38	-	-	-	-	3	8	14	16	5

७६६८ C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16.	School buildings constructed (Nos)	12	5	4	1	18	6	2	6	4	8	43	10	28	7	9	2	-	2	9	1	21	20	5
17.	Ordinary Schools converted in to (No)	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	4	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	-	7
(e)	Social Eduction.																							
18.	Adult Literacy.																							
i.	No. of adult Literacy Centres (Nos)	17	43	36	1	16	37	25	27	40	96	52	30	55	23	10	36	29	16	15	56	16	59	63
19.	Community Centres such as recreation centres Panchayat Ghars, etc. started. (Nos)	19	14	10	-	-	24	-	35	4	11	88	46	12	75	14	39	41	4	23	18	10	63	22
20.	Roads constructed.	-	35	34	-	3	-	5	14	20	2	41	1	112	3	3	8	25	14	14	28	-	120	5
21.	New houses constructed.	564	110	234	21	1747	512	195	10	271	193	241	832	616	61	-	89	-	7	136	166	60	256	594
22.	Total No. of Cooperative Societies.	79	28	30	6	9	27	9	40	33	17	223	40	16	16	20	15	42	27	7	19	8	89	30
23.	Members of Cooperative Societies.	3010	1538	1424	102	113	423	69	1078	672	400	8243	2510	2156	351	1384	370	704	1317	977	369	154	2391	1437
24.	No. of Panchayats.	30	16	6	-	-	19	7	22	22	-	43	-	16	-	13	16	29	9	7	-	-	27	21

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार दिनांक १५ अप्रेल, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७४८१	१४	त्रिगौड़ी	त्रिगोड़ी
७४८४ व	शीर्षक	११ अप्रेल, ५८	१५ अप्रेल, ५८
७४८६			
७४८७	अन्तिम से ५	कानरपुर	करनपुर
७४९१	९	काननुगो	कानूनगो
७४९४	१०	नेक्सटा प्रश्न	नेक्सट् प्रश्न
७५०२	अन्तिम से ३	इस सुझाव	झुकाव
७५११	,, से ६	उधर देने	उत्तर देने
७५१२	,, से ७	समानुभूति	सहानुभूति
७५१४	१५	शिकायट	शिकायत
७५३०	१	ढेनेज	ड्रेनेज
७५४१	अन्तिम	किय	किया जा सकता है,
७५४३	५	नम्बरदरी	नम्बरदारी
७५४९	शीर्षक	अतारांकित	अनुमति प्राप्त विधेयक
७५५८	४	occwred	occurred
७५५८	१७	सदन ये	सदन में
७५७६	२०	गस्वा	गत्वा
७५८०	१	श्री बृमोहनलाल शर्मा	श्री बृजमोहनलाल शर्मा
७५९६	७	पैरेग्राम	पैराग्राफ
७५९७	अन्तिमसे १४	Jaipnr	Jaipur
७६०२	१८	आधिस	ऑफिस
७६०४	१	श्री बरकतुल्ल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
७६२५	अन्तिमसे १६	Capital	Capital
,,	,, ,, ७	Construet	Construct
,,	,, ,, ,,	naw	new

१	२	३	४
७६२८	,, ,, ७	Svfficient	Sufficient
,,	,, ,, ६	accomondation	accomodation
७६५.२	,, १	श्री तंनहिं	श्री तर्नसिंह
७६८३	अन्तिमसे ८	रावराजी सरदारसिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह